CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.VIII, Fourth Session, 2015/1937 (Saka) No. 20, Monday, April 20, 2015/Chaitra 30, 1937 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCES	8-9
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Situation arising due to inflammatory statements made by politicians including parliamentarians	12-16
(ii) Re:Need to conduct an enquiry into the alleged irregularities in various competitive examinations conducted by U.P.P.S.C	588-589
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 361 to 363	17-35
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 364 to 380	36-100
Unstarred Question Nos.4141 to 4370	101-564

PAPERS LAID ON THE TABLE		565-571
MES	SSAGE FROM RAJYA SABHA	572
FEL	ICITATION BY THE SPEAKER	
	Congratulations to Saina Nehwal and Sania Mirza for securing top positions in world rankings in Women's Badminton (Singles) and Tennis (Doubles) respectively	574
STA	NDING COMMITTEE ON RAILWAYS 4 th Report	575
	NDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND TILIZERS	
	5 th to 7 th Reports	575
STA	NDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT 5 th Report	576
STA	TEMENT BY MINISTER	
	Recent Developments in the Republic of Yemen and efforts made for safe evacuation of Indian nationals from there	
	Shrimati Sushma Swaraj	577-581
_	TION RE: FIFTEENTH REPORT OF BUSINESS VISORY COMMITTEE	582
	CRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES VELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2015	582
MA	TTERS UNDER RULE 377	593-610
(i)	Need to include the region along river Yamuna in Kanpur Dehat district in Buldelkhand region	
	Shri Bhanu Pratap Singh Verma	593

(ii)	Need to provide adequate compensation to people whose thatched huts were destroyed in fire in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Col. Sona Ram Chaudhary	594-595
(iii)	Need to establish a Fisheries University in Andhra Pradesh	
	Shri Gokaraju Ganga Raju	596
(iv)	Need to set up a hospital-cum-medical college in Jalore, Rajasthan	
	Shri Devji M. Patel	597
(v)	Need to regulate the course of river Ganguli causing erosion of villages and farm lands in Gaunaha block of Valmiki Nagar Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Satish Chandra Dubey	598
(vi)	Need to put to use vacant land under Army control in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh Shri Rajesh Verma	599
(vii)	Need to set up a SAI Training Centre in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh	
	Shri Ganesh Singh	600
(viii)	Need to establish a Greenfield Airport in Alwar district of Rajasthan	
	Shri Chand Nath	601
(ix)	Need to establish a Debts Recovery Tribunal in Thiruvananthapuram, Kerala	
	Dr. Shashi Tharoor	602
(x)	Need to obviate the difficulties being faced by Cooperative societies from various sections of Income Tax Act, 1961	
	Shri Anto Antony	603

(xi)	Need to allocate funds for development of trade, commerce and infrastructural facilities in Tiruppur, Tamil Nadu	
	Shrimati V. Sathyabama	604-605
(xii)	Need to release funds under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority in Telangana	
	Shri B. Vinod Kumar	606
(xiii)	Need to accord constitutional status to National Commission for Other Backward Classes	
	Dr. A. Sampath	607
(xiv)	Need to provide financial assistance to Andhra Pradesh to undertake relief and rehabilitation measures for people distressed due to recent unseasonal rains and hailstorms in the State	
	Shrimati Kothapalli Geetha	608
(xv)	Need to take suitable measures to bridge the economic disparity among SCs, STs and OBCs compared to upper castes	
	Dr. Udit Raj	609-610
DISC	CUSSION UNDER RULE 193	
Ag	grarian situation in the country	611-718
	Shri Kodikunnil Suresh	611-614
	Shri Nand Kumar Singh Chauhan	615-617
	Shri Jay Prakash Narayan Yadav	618-619
	Shrimati Meenakshi Lekhi	620-622
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	623-624
	Shri Tariq Anwar	625-626
	Shrimati Krishna Raj	627-628

Shri Keshav Prasad Maurya	629-631
Shri Arjun Ram Meghwal	632
Shri P.V. Midhun Reddy	633-635
Shri Sunil Kumar Singh	636-637
Shri A.P. Jithender Reddy	638-640
Shri Devendra Singh Bhole	641-642
Shri Sankar Prasad Datta	643-644
Shri Uday Pratap Singh	645-647
Shri Rahul Gandhi	648-653
Shri M. Venkaiah Naidu	654-665
Shri Nishikant Dubey	666-689
Shri Bhairon Prasad Mishra	690
Shri Radha Mohan Singh	691-709,
Shri P. Karunakaran	714-718 710-711
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	737
Member-wise Index to Unstarred Questions	738-743
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	744
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	745

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, April 20, 2015/Chaitra 30, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCES

HON. SPEAKER: Hon. Members, it is with profound sadness and grief that the House has learnt of the passing away of H.E. Mr. Lee Kuan Yew, former Prime Minister and the Founding Father of Singapore. The House expresses its deepest sympathies, heart-felt condolences and its solidarity to the Government, the Parliament and to the people of Singapore for this great loss.

I have also to inform the House about the sad demise of two former Members Smt. Rano M. Shaiza and Shri Ghufran Azam.

Shrimati Rano M Shaiza was a Member of the Sixth Lok Sabha representing the Nagaland Parliamentary Constituency of Nagaland. Smt. Shaiza was a Member of the Committee on Petitions during the Sixth Lok Sabha. An educationist by profession, Smt. Shaiza was associated with a number of women, children and youth associations and strove for spread of education.

Shrimati Rano M. Shaiza passed away on 1st April, 2015 in Kohima at the age of 86.

Shri Ghufran Azam was a Member of the Seventh Lok Sabha representing the Betul Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh. Shri Azam also served as a Member of the Rajya Sabha for two terms.

An active social and political worker, Shri Azam worked for the upliftment of the backward and downtrodden sections of society. Shri Ghufran Azam passed away on 2 April, 2015 in Mumbai at the age of 72.

We deeply mourn the loss of our former colleagues and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.

Hon. Members, 58 people are reported to have been killed and over 150 others injured when Dehradun Varanasi Janata Express derailed near Bachhrawan in Uttar Pradesh on 20 March, 2015.

Hon. Members, in a natural calamity more than 16 people are reported to have been killed and several others injured in floods caused due to heavy rains in Jammu and Kashmir on 1 and 2 April, 2015. The floods also affected the livelihood of several people and caused large-scale destruction and devastation of property, crops and cattle in the State.

In another tragic incident, 13 para military personnel were killed in four separate extremist attacks in Sukma, Kanker and Dantewada on 11, 12 and 13 April, 2015.

The House expresses its profound sorrow on these tragedies and attacks which have brought pain and suffering to the bereaved families and wishes the injured a speedy recovery.

Hon. Members, further as you are aware on 2 April, 2015 in a barbaric terrorist attack in the precincts of the University campus at Garissa in north-eastern Kenya, 148 persons, mostly students, were killed and 79 others were injured.

We condemn this cowardly terrorist act in the strongest terms possible. We stand in solidarity and sympathy with the bereaved families and the injured and convey our heart-felt condolences to the Government and the people of Kenya.

We also urge international community to redouble its commitment to fight the menace of terrorism in all its forms and manifestations.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.03 hrs

The Members then stood in silence for short while.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, there are so many notices. Let me take them first.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Kodikunnil Suresh, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri K.C. Venugopal, Dr. P. Venugopal, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Shri P. Karunakaran.

The matters, though important enough, I think, do not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunities after Question Hour or during Question Hour.

As regards the matter raised by Shri P. Karunakaran, hon. Minister of External Affairs will be making a statement in the House today, which is listed in today's Order Paper at Serial No. 10.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion. Also, the suspension of Question Hour, according to Rules of Procedure, cannot be taken into consideration.

I will allow you in 'Zero Hour'. I am sure.

... (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम अभी उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूँगी। देखिए, एक तो आपने वेग बात की है बहुत सारे स्टेटमैंट्स की। शून्यकाल में मैं मना नहीं करूँगी, शून्यकाल में मैं आपको अलाऊ करूँगी। आपकी भी बात आई। मैं समय आने पर उठाने दूँगी। उसके लिए एडजर्नमैंट नहीं होगा। No, I am sorry.

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, आप बैठिये। मैंने बोला कि मैं मामला उठाने दूँगी।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you in 'Zero Hour', but not under Adjournment Motion. Actually, it is a State matter, but still, I will allow you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am allowing him, but not now under Adjournment Motion. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will not allow you under Adjournment Motion, but in 'Zero Hour'.

श्री मल्लिकार्ज्न खड़गे (गुलबर्गा): मेरा माइक ही हमेशा खराब होता है। ...(व्यवधान)

मैडम, आपने जो आदेश दिया है उस आदेश को तो हम मानते हैं, लेकिन हमने जो सवाल उठाया है और हमारे माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं, वह इतना महत्वपूर्ण है कि सारे स्त्री समाज के लिए एक ऐसा वक्तव्य देना, इस सदन के एक सदस्य द्वारा, और बहुत से ऐसे पोलिटीशियन्स जो आज वह स्टेटमैंट दे रहे हैं और मिनिस्टर्स जो स्टेटमैंट दे रहे हैं और समाज को तोड़-फोड़कर अशांति फैलाने की जो बात कह रहे हैं, उसके लिए यहाँ चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : I am sorry. आप बहुत सारी बात करेंगे तो कैसे होगा।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैडम, उनका माइक बंद कर दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माइक दे दो।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Every time it is happening. Why? Nobody wants to listen to me. जब मैं बात करता हूँ तो यह ऑफ हो जाता है। Why is this happening? So, I have to protest. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माइक चालू है आपका।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Whenever I am speaking, the mike is always off.

You listen to us. If we are talking anything illegal or out of the way, then do not allow.

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी का माइक बंद न करें।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Then, every time such things are happening and everybody is speaking. What is this? ... (*Interruptions*)

यह महत्व का मुद्दा है। इसीलिए हम यह उठाना चाहते हैं। आप उनको परमीशन दीजिए। मंत्रीगण बार-बार यह बात कर रहे हैं। इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उनको परमीशन दूं या आप बोलेंगे?

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: नहीं, मैंने उनके लिए परमीशन मांगी है, क्योंकि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप उनको परमीशन दीजिए। यह सवाल महत्वपूर्ण है, इसिलए हम यह चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। आप सब प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। प्लीज़, मैंने पहले ही वैसे कहा है, ज्योतिरादित्य जी, कि मैं एडजर्नमेंट मोशन किसी का भी एलाऊ नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने एक मिनट की रिक्वैस्ट की, इसलिए आपको बोलने का मौका दे रही हूं।

11.11 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Situation arising due to inflammatory statements made by politicians including parliamentarians

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): आपके निर्णय का हम सदैव पालन करते हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम कह रहे हैं। इस बार आज आपने कृपा करके एलाऊ किया है। अध्यक्ष महोदया, देश में आज एक चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बार-बार सरकार में बैठे हुए सांसद और अनेक गठबंधन दल के सांसद ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके आधार पर देश में सदभाव...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जनरल बात मत बोलो।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : सदभाव का वातावरण ही पूरी तरह से चूर-चूर हो रहा है। ... ने एक टिप्पणी की कि सारे देश के मुस्लिमों को उनके मताधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आप जनरल सब बातें मत कहें, I am sorry.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उसी के साथ केन्द्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी एक अशोभनीय टिप्पणी हमारी यू.पी.ए. की अध्यक्षा के विरुद्ध की है।...(व्यवधान) इसकी जितनी भी आप निन्दा करें, वह कम होगी।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन लेडी से ब्याह

_

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

किया होता, गौरी चमड़ी न होती तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका नेतृत्व स्वीकारती।...(व्यवधान) इससे ज्यादा अशोभनीय बात क्या हो सकती है। ... (व्यवधान) आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज ऐसी टिप्पणी देश की महिलाओं के विरुद्ध ही केवल नहीं है, मैं तो समझता हूं कि इस देश के हर वासी का सिर शर्म से झुक चुका है।... (व्यवधान) आज इस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, देवी-देवताओं को पूजा जाता है, लक्ष्मी को पूजा जाता है और जो संस्कृत में हमारा श्लोक है कि 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता' जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता विराजते हैं।... (व्यवधान) आज ये जो अशोभनीय टिप्पणी की है, यह केवल इस देश की महिलाओं के विरुद्ध ही नहीं, इस देश के हर वासी के विरुद्ध है। नाइजीरिया के लोगों के विरुद्ध भी यह टिप्पणी की गई है।... (व्यवधान) नाइजीरिया के हाई किमश्नर ने कहा है कि भारत देश से माफी हमें चाहिए, क्योंकि एक मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है।... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश के दौरे पर हैं, उनके मंत्री ऐसी टिप्पणी करते हैं और यहां प्रधानमंत्री जी मोन वत साधे हुए हैं।... (व्यवधान) आज हम चाहते हैं कि केवल सांसद और मंत्री के द्वारा माफी न मांगी जाये, लेकिन उनका त्याग-पत्र मांगा जाये और प्रधानमंत्री स्वयं सदन में माफी मांगें कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध की गई है, यह हमारी मांग आपके माध्यम से है। ... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गये?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस पर सब नहीं बोलेंगे, मैंने इसीलिए एलाऊ किया था कि यह बात गलत थी, इसलिए मैंने एक ही बात के लिए इनको एलाऊ किया था। आपको मैं शून्यकाल में मौका दुंगी, प्लीज़ बैठिये।

...(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, please allow me to speak. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

... (Interruptions)

DR. P. VENUGOPAL: The matter is related to two ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Madam, it is about tribal people.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I know that, but it is a State matter.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, not now. I will allow it during 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do you want to say something?

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह केवल एक ही मैटर मैंने एलाऊ किया। यह बात सही है कि किसी महिला के लिए गलत बोले। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, the issue raised by Shri Jyotiraditya Scindia definitely is an important issue that has to be responded to. As the hon. Speaker has rightly said that when you give him an opportunity, then there has to be a response and that will be responded to. Nobody in the Government approves of such statements, particular, at personal level. ... (*Interruptions*) That too, on a Party functionary, who is holding the highest office in the Party. This sort of comments is not acceptable to anybody.

Secondly, the issue that Shri Venugopal wants to raise here also is an important issue. Madam, what I would suggest is that we have been seeing ...

HON. SPEAKER: I know that. It can be allowed during 'Zero Hour'. I will allow it.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Yes, whenever you give permission, these issues can be discussed. I request the House to proceed with the Question Hour and complete the Business and go back to it. ... (*Interruptions*) The Prime Minister is nowhere in the picture in this. ... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इस सदन के मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है, इससे ज्यादा अशोभनीय बात नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये बातें उन्होंने कहीं, बिल्कुल...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अगर कोई साधारण एम.पी. बोलते तो उनके बारे में आप कुछ कह सकते थे, लेकिन एक मंत्री, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी है, अगर ऐसे

मंत्री बोलते हैं तो उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी को भी ख़ुद यहां आकर यह कहना चाहिए कि मेरे बार-बार बोलने के बाद भी हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मिल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं लीजिए। आप इस बीच में प्रधान मंत्री जी को क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: क्यों न लाएं? He is a Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : You want to politicise it.... (*Interruptions*) आप इस इश्यू के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is a Minister in his Cabinet.

HON. SPEAKER: I understand that much.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is the Leader of the House and, therefore, he has to reply....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बात आप लोग समझिए। मैं यह सब से रिक्वेस्ट कर रही हूं। मैंने पहले भी यह कहा था। बार-बार कोई माननीय सदस्य इधर से कुछ बोलते हैं, उधर से कुछ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि क्या एक माफी आवर रखुं?

ज्योतिरादित्य जी, मैं आपकी बात से भी बिल्कुल सहमत हूं। जिस दिन यह स्टेटमेंट आया, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगा। किसी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी उसी समय यह कहा था कि यह गलत बात है। लेकिन, हर चीज़ में प्रधानमंत्री को लाइए। Please do not do that. मगर, यह नहीं बोलना चाहिए।

वैंकैय्या जी, यह मैं आपसे भी कहूंगी। मंत्री हों, आपके साथी हों और सभी लीडर्स को मैं कहूंगी कि वे अपने-अपने सभी सदस्यों को प्लीज़ यह कहें कि ऐसी कोई बात वे अपने मुंह से क्यों निकालें जो किसी को हर्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब क्या हो गया?

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: वे माफ़ी मांगे। यह गलती है, इसे वे कबूल करें। ऐसी चीज़ आइन्दा नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: क्या मैं रोज़ एक को माफ़ी मांगने के लिए कहूं? मैंने बोला न कि यह गलत है। श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: आपने तो बोला है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम तो सदन नहीं चलने देंगे। ऐसा नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

11.17 hrs

At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन के बाहर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। सदन के बाहर जो घटित हो, क्या रोज़ उसकी चर्चा यहां पर करें?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने ऑन-रिकॉर्ड यह कहा है कि यह नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

11.19 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 361- Shri Ram Kumar Sharma.

(Q.361)

श्री राम कुमार शर्मा: आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी के उत्तर और मेरे प्रश्न के पूर्व एक मूल सवाल पैदा हो गया है।...(व्यवधान) मेरे मूल प्रश्न और मंत्री जी के उत्तर में काफी अन्तर है। मेरे पास मूल प्रश्न की छाया प्रति है। यदि आपका आदेश हो तो मैं इसकी कॉपी आपको समर्पित कर दूं।...(व्यवधान)

श्रीधरण कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर, 2014 को प्राप्त हुई है।...(व्यवधान) समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर कमेटी ने रेलवे के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के सुझाव दिए हैं, तािक रेलवे में भ्रष्टाचार के कारण प्रति वर्ष जो हज़ारों करोड़ रुपये की हािन हो रही है, उसे रोका जा सके।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ढांचागत सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I want to first of all clarify that the decision to delegate all the tendering powers which were enjoyed by the Minister previously was made by me on the 10th of November, the first day in office. So, it is not a Committee which recommended anything. We appointed a Committee on the 13th of November only to suggest ways and means of implementing the decision, to come out with a proper structure, and to develop management information system whereby we will be able to have proper control and also a proper system to understand how the delegation will take place. Shri Sreedharan himself said that it was a watershed development in the history of Indian Railways that we have delegated powers to this extent. That report on delegation of powers to General Managers has already been implemented.

What we are now trying to implement is the possibility of giving away powers of various kinds. There are various powers which we use. In terms of approval of works, currently, the ceiling on the powers of the General Managers to

sanction works is up to Rs. 2.5 crore, which we want to increase. The powers relate to traffic facilities; new rules; road safety related works; computerization; works related to workshop; and also the power to give sanction of estimates, which is a major power which we feel should be enjoyed by the General Managers. We have already delegated powers related to some of the establishment issues. We are now trying to look at the delegation of powers relating to commercial issues, which normally are dealt with by the Railway Board. We are trying to see how those powers can be delegated. We want to delegate powers not only to the General Managers, but also going beyond, we are trying to find out how the powers can further be delegated to the Divisional Railway Managers and also to some Station Masters.

The whole exercise of delegating powers is aimed to bring in more efficiency, more transparency, more accountability and also a sense of belonging to the executives like the General Managers and the Divisional Railway Managers. We are also introducing a system whereby some of the Zones, at least two to begin with, will have the autonomy to decide and we will sign an MoU with them so that they can exercise their powers properly, which will bring in more efficiency. ... (*Interruptions*)

श्री राम कुमार शर्मा: महोदया, कमेटी ने हाल ही में अन्तरिम रिपोर्ट मार्च, 2015 को सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के रेलवे में सम्बन्धित लोगों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार के घपलों का उल्लेख किया है। ... (व्यवधान) में जानना चाहता हूँ कि क्या इन तत्वों की पहचान की गई है, यदि की गई है तो वे कौन-कौन हैं और उन पर क्या-क्या आरोप हैं? ... (व्यवधान)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I want to clarify that the Sreedharan Committee was appointed to implement the decision made by the Minister of Railways on the 10th of November, the first day in office. After that, the Committee has made its report, and the final report came in March. What he has said in the report as a passing reference is about the amount of money that can be saved if we are able to do certain things. In any case, we have already decided to

implement the decisions made by me in the form of Committee recommendations.

All of them will be implemented in a proper manner.

We are not ending here; we are also going further or even beyond it. We

have decided to delegate substantial powers to the DRMs. We have decided to

delegate financial powers to the Station Managers/Station Masters. We are

introducing accountability with empowerment through signing of MoUs with

Zonal Railways and Production Units. We are fixing timelines for procedural

approvals. There will be incentives for timely completion of works. The PSUs will

be empowered with additional decision-making and financial powers.

All of this is a part of an overall exercise to revamp the functioning of

Railways to bring in more accountability. If at all there is any instance or evidence

available of any wrong practice, it is needless to say that the Government will take

strict action to bring the culprits to book. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.45 a.m.

11.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Eleven of the Clock.

11.47 hrs

Lok Sabha reassembled at Forty Seven Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 361 हो गया है, अब प्रश्न संख्या 362 होगा।

...(व्यवधान)

11.47 ½ hrs

At this Stage Shri K.C. Venugopal, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Ranjit Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उन्हें माफी मांगने के लिए बोलती हूं। आप सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे तभी वह शांति से बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप सभी बिल्कुल शांत रहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक नया बखेडा खडा नहीं करें।

...(व्यवधान)

11.48 hrs

At this Stage Shri K.C. Venugopal, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Ranjit Ranjan and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष: गिरिराज जी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): महोदया, आज जो विषय यहां उठा है, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था।...(व्यवधान) मेरी बातों से अगर किसी को दुःख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब कोई कुछ भी न बोलें। कभी न कभी सबके मुख से कुछ न कुछ बातें निकल जाती हैं। कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आजकल यह थोड़ा ज्यादा हो गया है।

...(व्यवधान)

11.50 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ...Contd

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 362, श्री दिलीप सिंह भूरिया जी।

...(व्यवधान)

(Q. 362)

श्री दिलीप सिंह भूरिया: अध्यक्ष जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर, दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में एस.सी. और एस.टी. के छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। कभी-कभी उनसे 18-20 घंटे तक काम लिया जाता है। अगर वे ठीक से काम नहीं करते तो उनका मर्डर हो जाता है, ऐसी मेरे पास कई रिपोर्ट्स हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम कानून बना रहे हैं, राज्यों पर छोड़ा है, नीति बना रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस बारे में स्पष्ट नियम, रूल्स और कानून बनें तभी यह सख्ती से लागू होगा और छोटे-छोटे बच्चों के काम करने का मामला रुकेगा।

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam Speaker, in my answer I have very categorically mentioned the situation. Out of the estimated number of domestic workers of 41.3 lakh a majority of them are female workers. Domestic workers are considered unorganized sector workers. Secondly, domestic workers come under the purview of State Governments and hence State Governments are the appropriate governments. Thirdly, State Governments have the authority to notify the scheduled employments. All other things which the hon. Member has

mentioned, like their conditions and their major issues, come under policy matters. It is only when the national policy on the domestic workers is taken into consideration that other important legislations which are under the purview of different Acts can come to them. I, therefore, request the hon. Members that in whichever State the problem is very serious in nature, since the State Government is the appropriate authority, the State Government may take up this issue.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: अध्यक्ष महोदया, जब मंत्री जी मानते हैं कि यह मामला बहुत गंभीर है तो फिर नीति क्यों नहीं बनाते। देश की आजादी को 68 साल हो गए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इस देश में 125 करोड़ लोग हो गए हैं। अगर दिलतों और आदिवासियों के बच्चों के साथ इस तरह होता रहता है, रेप और अन्य घटनाएं होती हैं। हम राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं देते कि इस तरह का कानून बनाएं। यह मामला तब रुकेगा नहीं तो ये घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जाएंगी। उनकी हत्याएं होती रहती हैं जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में कब तक नीति बनेगी और कानून आएगा?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने नीति बनाने के बारे में प्रश्न पूछा। इन्होंने बताया कि यह समस्या बहुत गंभीर है और विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के लोग ही ज्यादा हैं। मैं भी इसे मानता हूं। इस बारे में मार्च, 2014 को पॉलिसी कैबिनेट में गई। उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए। हमारे आने के बाद उस पर विचार हो रहा है। हम इसे जल्दी से जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और डोमैस्टिक वर्कर्स के वर्किंग आवर्स, लीव, तनख्वाह और हैरासमैंट, वॉयलैंस, सैक्सुअल हैरासमैंट आदि को इस पॉलिसी के अंतर्गत लाने का हमारा विचार है। It is under active consideration.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Madam Speaker, domestic workers today make the maximum number of workers in the unorganized sector. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the Act which has been brought for unorganized sector workers like the building workers, beedi workers has done a lot of benefit to them. I notice that the main problem which these domestic workers face, most of the hon. Members are well aware of their problems, is the problem of health and education. It is a big burden on them.

I appreciate the initiative taken by the Minister by bringing an Act for their benefit. I would take this opportunity to ask the hon. Minister whether he is

writing to the State Ministers concerned as to how to make improvements and also

how the house-owners of the domestic workers are going to contribute a minimum

towards their health and education and whether they are going to be included in

the proposed Act or not.

SHRI BANDARU DATTATREYA: The hon. Member has raised two issues. The

first issue is the minimum wage in unorganized sector under which these people

are included. The minimum wage comes within the purview of State Government

because it differs from State to State. The VDA or other ingredients of the

minimum wage differ from place to place.

The second issue is welfare measures. The domestic workers are already

included in the Unorganized Workers Act. There is a scheme called Rashtriya

Swasthya Bima Yojana which has got the coverage of family members of five.

They may avail of Rs 30,000 cashless benefits. The remaining benefits are there

under different welfare schemes. Once it comes to the policy, the benefits will be

brought out.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 363 श्री भीमराव बी. पाटील - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी - उपस्थित नहीं। श्री सुधीर गुप्ता

(Q.363)

श्री सुधीर गुप्ता: मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मंत्रालय नेचुरल गैस के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। अभी मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश से मल्लावरम से मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम मन्दसौर नीमच सिहत प्रदेश के 16 जिलों से होते हुए राजस्थान के चितौड़-भिलवाड़ा-बीकानेर तक 1746 किलोमीटर की पाइपलाइन पहुंचाने की आपकी योजना है। यह योजना 7,000 हजार करोड़ की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह योजना कब तक प्रारंभ होगी और कब तक इसके पूर्ण होने की संभावना है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: देश की आजादी के बाद 15,000 किलोमीटर की पाइपलाइन ग्रिड थी। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी अविध में हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से जोड़े, यह योजना उसी के तहत है, मल्लावरम से भिलवाड़ा तक पाइपलाइन की पहले से ही मंजूरी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। जगदीशपुर से हिन्दिया तक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, दो बड़े पाइपलाइन योजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा उसी के तहत एलएनजी टर्मिनल और डिफरेंट जगह पर नए-नए खाद्य कारखाना प्लांट लगने वाले हैं, दोनों को मिलाकर फर्टिलाइजर प्लांट और बंद पड़े हुए पॉवर प्लांट से संबंधित गैस पाइपलाइन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

श्री गौरव गोगोई: म्यांमार जैसे देश में नेचुरल गैस का बड़ा भंडार मिल चुका है। नार्थ-ईस्ट एक समय में असम देश की इकोनॉमी में ऑयल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। धीरे-धीरे ऑयल के डिपॉजिट नार्थ-ईस्ट में कम होते जा रहे हैं लेकिन गैस मिलने की संभावना आज भी है। जैसे-जैसे तेल का प्राइस नार्थ-ईस्ट में नीचे आ रहा है, नेचुल गैस की ओर आकर्षण धीरे-धीरे बढ़ रहा है, घट भी रही है।

12.00 hrs

इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह नार्थ ईस्ट में कम्प्रीहैन्सिव एक्सप्लोरेशन स्टडी करवायेंगे, ताकि एक्चुअल में हमारा नेचुरल गैस डिपाजिट कितना है, उसे सरकार जान पाये। खासकर हमारी नैबरिंग कंट्री म्यंमार में नेचुरल गैस का बहुत रिच भंडार है, तो हम आशा करते हैं कि नार्थ ईस्ट में भी वैसा ही होगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, यह अच्छा प्रश्न है। मैं पिछले हफ्ते ही उनकी कांस्टीटूएंसी नुमालीगढ़ तक होकर आया हूं। मैंने असम के चार दिन के दौरे में वहां के मुख्य मंत्री से लंबी बातचीत की है। अभी तक नार्थ ईस्ट देश को दिया था, लेकिन अब दिल्ली की सरकार नार्थ ईस्ट को अपने हाथ में लेगी। हम आने वाले तीन महीने में नार्थ ईस्ट के लिए नया हाइड्रो कार्बन विजन डाक्यूमैंट लेकर आयेंगे, यह हम असम में कहकर आये हैं।

HON. SPEAKER: Thank you. The Question Hour is over.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table – Shri Rajiv Pratap Rudy.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप बाद में बोलिये।

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

राजीव प्रताप रूडी): मैडम, आप उन्हें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके बाद किसानों का इश्यू लेना है। उसमें वह बोल लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे आपका मामला भी मालूम है। अभी आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कर रहे हैं? इसमें क्या ऑब्जैक्शन है?

...(व्यवधान)

12.02 hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 4 of 2015) (Hindi and English versions) promulgated by the President on 3rd April, 2015 under article 123(2)(a) of the Constitution. ... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 2254/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2255/16/15]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2013-2014.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2256/16/15]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2257/16/15]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2013-2014.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2258/16/15]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2013-2014.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 2259/16/15]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2013-2014.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 2260/16/15]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Buddhist Studies, Leh-Ladakh, for the year 2013-2014.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 2261/16/15]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2013-2014.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 2262/16/15]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 2263/16/15]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Allahabad Museum, Allahabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Allahabad Museum, Allahabad, for the year 2013-2014.
- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 2264/16/15]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2013-2014.
- (22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 2265/16/15]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 2266/16/15]

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2013-2014.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 2267/16/15]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2013-2014.
- (28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 2268/16/15]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 796(E) in Gazette of India dated 13th November, 2014 under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.13(E) dated 7th January, 2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2269/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2270/16/15]

... (Interruptions)

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Tuesday, the 17th March, 2015 adopted the following Resolution:-

"That this House concurs in the Recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to the nomination by the Chairman of six Members from the Rajya Sabha to the Parliamentary Committee to review the Rate of Dividend which is at present payable by the Indian Railways to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with Railway Finance vis-à-vis General Finance and to make Recommendations thereon."

- 2. I am further to inform the Lok Sabha that the Chairman has nominated the following six members of the Rajya Sabha to the said Committee:-
 - 1. Shri Derek O'Brien
 - 2. Shri Avinash Rai Khanna
 - 3. Shri K.C. Tyagi
 - 4. Dr. Vijaylaxmi Sadho
 - 5. Shri Arvind Kumar Singh
 - 6. Shri T.K. Rangarajan'

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप सब पहले महिला खिलाड़ियों का सम्मान करें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to make a statement.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप सब पहले महिला खिलाड़ियों का अभिनंदन करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप महिला खिलाड़ियों का अभिनंदन नहीं करना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप उनका अभिनंदन यहां खड़े-खड़े ही करेंगे?

...(व्यवधान)

12.03 ½ hrs

At this stage, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members went back to their seats.

12.04 hrs

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to Saina Nehwal and Sania Mirza for securing top positions in world rankings in Women's Badminton (Singles) and Tennis (Doubles) respectively

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं महिला सिंगल्स में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बैडिमेंटन खिलाड़ी बनने के लिए बैडिमेंटन स्टार सायना नेहवाल तथा महिला डबल्स में विश्व में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनने पर सानिया मिर्जा को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से बधाई देती हूं।

ये शानदार उपलब्धियां राष्ट्रीय गौरव का विषय हैं तथा ये हमारे सभी उदयीमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगी।

हम सायना नेहवाल और सानिया मिर्जा को उनके भावी खेल जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS 4th Report

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways (2014-15) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Railways (Railway Board).... (*Interruptions*)

And, I also oppose the Land Bill.

... (Interruptions)

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 5th to 7th Reports

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

- (1) Fifth Report on Demands for Grants 2015-16 of the Department of Fertilizers.
- (2) Sixth Report on Demands for Grants 2015-16 of the Department of Pharmaceuticals.
- (3) Seventh Report on Demands for Grants 2015-16 of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

... (Interruptions)

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT 5th Report

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): I beg to present the Fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Item No.10, Shrimati Sushma Swaraj

... (*Interruptions*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष जी, यमन में जो लोग फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए...(व्यवधान) Madam, it is a very important issue about evacuation of Indians who are held in Yemen.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: देखिए, एक बार आप सभी से निवेदन है कि माननीय सुषमा जी यमन के नागरिकों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करना चाहेंगी। कुछ तो हमें ध्यान रखना चाहिए। आप किसी को बधाई भी नहीं देना चाहते। आप सभी कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई बात नहीं होती है। न अपने खिलाड़ियों को बधाई दोगे।

...(व्यवधान)

12.08 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Recent Developments in the Republic of Yemen and efforts made for safe evacuation of Indian nationals from there*

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय अध्यक्ष जी, "यमन गणराज्य में हाल के घटनाक्रम और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किए गए प्रयास" के संबंध में मैं वक्तव्य देना चाहती हूं।...(व्यवधान)

मुझे इस पुनीत सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि युद्धग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान "राहत" अत्यंत सफल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खूब सराहा है। ...(व्यवधान) हमने न केवल 4,741 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 18 अप्रैल तक 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस निकासी प्रक्रिया के दौरान हम "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओत-प्रोत रहे हैं।

वर्ष 2011 में अरब वसंत आंदोलनों की शुरूआत के उपरांत यमन में भारी उथल-पुथल के बारे में हम सब जानते हैं।...(व्यवधान) उत्तरी यमन से हूथीस के जैदी शिया गुट और राष्ट्रपति अब्दु रब्बो मंसूर हादी के नेतृत्व में संघीय सरकार के बीच गंभीर मतभेद के कारण इस देश में सितंबर 2014 से ही राजनैतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था दिनोंदिन बदतर होती जा रही है।

भारत सरकार यमन में आंतरिक घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रखे हुए है। यमन में बिगड़ते आंतरिक हालात से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है,...(व्यवधान) अपितु इससे वहां रहने वाले हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण पर भी असर पड़ा है। सना स्थित हमारे राजदूतावास के अनुसार यमन के विभिन्न क्षेत्रों में 4000 से अधिक भारतीय काम कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, यमन में सुरक्षा माहौल के बिगड़ने की संभावना को देखते हुए विदेश मंत्रालय और सना स्थित हमारे राजदूतावास ने इस वर्ष 21 जनवरी को, 19 मार्च को तथा 25 मार्च को तीन परामर्शी जारी करके वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को उपलब्ध वाणिज्यिक साधनों की सहायता से स्वेच्छा से यमन छोड़ने का आग्रह किया था, क्योंकि उस समय सुरक्षित निकला जा सकता था। किंतु तब किसी ने इस सलाह पर ध्यान देते हुए यमन नहीं छोड़ा।

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2271/16/15

तत्पश्चात स्थानीय सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और हमारे राजदूतावास के अधिकारियों और वहां रहने वाले अन्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हेतु अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के संबंध में सलाह देने के लिए विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेत्त्व में एक अंतर मंत्रालयी दल ने 9 से 13 मार्च को यमन की यात्रा की।

अध्यक्ष महोदया, हमने तत्काल अपेक्षित उपाय किए ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमने स्थानीय यमनी एजेंसियों तथा क्षेत्र की अन्य सरकारों के साथ संपर्क साधा, ताकि इन लोगों को सुरक्षित एवं समय पर निकाला जा सके। गठबंधन सैन्य बलों द्वारा यमनी हवाई क्षेत्र पर लगाए गए नो फ्लाई जोन तथा समुद्री मार्गों को बाधित किए जाने के कारण निकासी प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी और यह एक बहुत कठिन कार्य बन गया।

मैंने व्यक्तिगत रूप से 27 तथा 29 मार्च को सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत की और इस निकासी प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सऊदी अरब नरेश महामहिम सलमान बिन अब्दुलअजीज अस्सऊद के साथ 30 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसके दौरान सऊदी नरेश ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा की अध्यक्षता में "विदेशों से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए स्थायी अंतर-मंत्रालयी समूह" की बैठक 26 मार्च से नियमित आधार पर होती रही, तािक निकासी योजना बनाने, समन्वयन करने और उसे कार्यान्वित करने का काम किया जा सके। हवाई तथा समुद्री मार्ग से निकासी की योजनाओं को प्रभावी बनाने तथा संशोधित करने के लिए 30 मार्च के बाद से मैनें स्वयं इस समूह की अनेक बैठकों की अध्यक्षता की।

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बात समझिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बिल तो पेश ही नहीं हुआ है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। आर्डिनेंस जरनल-वे में सदन में ले किया गया है। जब बिल इंट्रोड्यूज होगा, तब आप विरोध कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब बिल इंट्रोड्यूज ही नहीं हुआ है, तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं। यह तो आर्डिनेंस है, सभापटल पर रखा गया है। बिल इंट्रोड्यूज करते समय आप विरोध कर सकते हैं। आप प्रोसीजर के अनुसार विरोध कर सकते हैं। विरोध करने का यह तरीका ठीक नहीं है। सदन में बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप यमन में भारतीय नागरिकों के साथ नहीं हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, हमने यमन में अपने नागरिकों और भारत में उनके परिवार के चिंतित सदस्यों की सहायता के लिए 26 मार्च से विदेश मंत्रालय में चौबीसों घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष तथा हैल्पलाइनों की स्थापना की। सना में हमारे दूतावास और जिबुती में हमारी नियंत्रण कक्ष में इसी प्रकार चौबीसों घंटे कार्य करने वाली हैल्पलाइन स्थापित की गई।

इन कार्यों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, हमने जिबुती को अपने निकासी प्रयासों का केंद्र बनाया। मेरे सहयोगी राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह ने स्वयं जिबुती में हमारे शिविर कार्यालय से इन प्रयासों का निरीक्षण किया। जनरल वी.के. सिंह ने इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए बार-बार जिबुती और सना के बीच आना-जाना किया। मैं यहां कहना चाहूंगी कि जनरल वी.के. सिंह ने मंत्री की तरह नहीं बल्कि सेना के पूर्व जनरल की तरह वहां काम किया। इथियोपिया में हमारे राजदूत श्री संजय वर्मा द्वारा जिबुती में बैठकर, उन्हें पूरी सहायता दी गई। हमने अपने निकासी प्रयासों को सुदृढ़ करने और समन्वयन के लिए जिबुती और सना में विदेश मंत्रालय के 26 अधिकारियों की तैनाती की।

इस निकासी के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय के साथ सहयोग करके आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। हमने 5 समुद्री जहाजों तथा 7 विमानों के माध्यम से निकासी के लिए पर्याप्त क्षमता का उपयोग किया। भारतीय नौसेना के तीन युद्धपोतों - आई.एन.एस. सुमित्रा, आई.एन.एस. मुम्बई और आई.एन.एस. तरकश और दो यात्री समुद्री जहाज जो गृह मंत्रालय ने हमें मुहैया कराए कावारात्ती और कोरल का उपयोग किया गया। 7 विमानों में से तीन इंडियन एयर फोर्स के सी-17 ग्लोबमास्टर्स और एयर इंडिया के चार व्यावसायिक विमान शामिल थे।

एयर इंडिया के तीन हवाई जहाजों ने भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को सना से जिबुती पहुंचाया। ...(व्यवधान) एक एयर इंडिया के ए.आई. 777 का उपयोग भारतीय नागरिकों को कोच्चि तथा मुंबई पहुंचाने में किया गया। ...(व्यवधान) युद्धरत गुटों के बीच भारी गोलाबारी तथा लड़ाई के बावजूद हमारी नौसेना के जहाजों ने यमन में अदन, अल-हुदायदाह तथा अल-मुकल्ला बंदरगाहों से लोगों को सुरक्षित निकाला। ...(व्यवधान) अदन से जब हमारी नौसेना लोगों को निकाल रही थी, वहाँ घुप्प अंधेरा था, हाथ को हाथ दिखायी नहीं दे रहा था, ऊपर से गोलाबारी हो रही थी, उस समय भी 180 लोगों के स्थान पर साढ़े तीन सौ लोगों को भारतीय नौसेना का जहाज लेकर यमन से निकला। ...(व्यवधान)

हमारे राजदूत श्री अमृत लुगुन की गहन निगरानी में यमन में हमारे दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमारी निकासी योजना के संचालन के लिए अत्यंत किठन परिस्थितियों में रात-दिन काम किया। ... (व्यवधान) जिबुती में तैनात हमारे अधिकारियों ने भी अथक कार्य किया और इस व्यापक प्रयास का समन्वयन किया। जिबुती में हमारे मानद काउंसेल श्री निलन कोठारी ने हर संभव स्थानीय सहायता दी। ... (व्यवधान)

हमने यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे जिन नागरिकों के पास यात्रा दस्तावेज नहीं थे, उन्हें सना स्थित हमारे दूतावास द्वारा आपात प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएं। ...(व्यवधान) हमने यमन में उन सभी भारतीयों को जो घर वापसी के इच्छुक थे, समय से और सुरक्षित निकासी में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ...(व्यवधान)

हमने यमन से सिर्फ निकासी प्रक्रिया की देखरेख ही नहीं की, बिल्क इससे भी आगे बढ़कर कार्य किया। ... (व्यवधान) भारतीय रेल ने वहाँ से वापस आए लोगों को सम्भाला और उनके घर तक की यात्रा के लिए निःशुल्क कंफमर्ड टिकट दिए तथा पूरा अतिथि सत्कार किया। ... (व्यवधान) संबंधित राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में वापस आने वाले सभी व्यक्तियों को भारत में उनके आगमन पर सहायता उपलब्ध कराई। ... (व्यवधान)

मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगी। ...(व्यवधान) यद्यपि मुंबई पहुंचने वालों में से ज्यादातर लोग अन्य राज्यों के थे तथापि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हवाई अड्डे पर सभी सुविधाएं प्रदान करवाई तथा आगे की यात्रा के लिए 3,000 रुपये का नगद अनुदान हर यात्री को दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ... (व्यवधान) चूंकि भारतीय दूतावास हवाई हमला प्रारंभ होने के बाद सना में कार्यरत कुछेक विदेशी मिशनों में से एक था, इसलिए हमें पड़ोसी तथा पश्चिमी देशों सिहत 33 देशों से उनके नागरिकों की निकासी हेतु औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुए। ... (व्यवधान) हमने जमीनी सच्चाइयों के आधार पर इन अनुरोधों पर यथासंभव सकारात्मक कार्रवाई करते हुए, कुल मिलाकर हमने 48 देशों के नागरिकों को निकालने में मदद की। ... (व्यवधान)

वे देश हैं- आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, कनाडा, क्यूबा, जिबुती, मिस्र, एल सेल्वाडोर, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैण्ड, इटली, जार्डेन, केन्या, किर्गीस्तान, लेबनान, मालदीव, मोरक्को, म्यांमार, मेक्सिको, मॉल्दोवा, नेपाल, न्यूजीलैंड, फिलीपीन्स, पाकिस्तान, रोमानिया, रूस, सोमालिया, स्वीडन, श्रीलंका, सूडान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तंजानिया,

ब्रिटेन, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, यू.ए.ई. युगाण्डा, यूक्रेन तथा यमन के नागरिकों की सहायता की। इसकी विश्वभर में सराहना की गई। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैंने जो सूची पढ़ी है, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रशिया जैसे विकसित देश शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि वे नहीं निकाल सकते, भारत के जहाज आएं तो उनमें बैठ जाओ। इस तरह 48 देशों के नागरिकों को हम निकालकर लाए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जहां तक निकाले गए भारतीयों का संबंध है, वे 27 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के रहने वाले हैं। निकाले गए नागरिकों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है, वह सूची मैंने लगा दी है, सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि निकाले गए लोगों में 53 प्रतिशत लोग अकेले केरल से हैं। हमने कुल 4,741 भारतीय नागरिकों को निकाला है, जिनमें से 2,527 लोग अकेले केरल प्रदेश के हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, 18 अप्रैल, 2015 तक 4,741 भारतीय और 1,947 विदेशियों सहित कुल 6,688 व्यक्तियों को इस कार्रवाई में हवाई तथा समुद्री मार्गों द्वारा निकाला जा चुका है। यह विदेश मंत्रालय की देखरेख और समन्वयन से अनेक भारतीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों का संयुक्त प्रयास था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सना में सुरक्षा की बदतर होती जा रही स्थिति तथा निकासी प्रक्रिया के सफल समापन के बाद हमने अपना दूतावास 15 अप्रैल को जिबुती में स्थानांतरित कर लिया है। यमन में स्थिति के सामान्य हो जाने तक हमारा दूतावास जिबुती से कार्य करता रहेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का सामूहिक प्रयास था। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज़, एयर इंडिया, शिपिंग मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक सूत्र में बंधकर काम किया और उसी एकजुटता का परिणाम था कि यह महाभियान इतना सफल रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

12.21 hrs

MOTION RE: FIFTEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th March, 2015."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th March, 2015."

The motion was adopted.

12.22 hrs

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2015*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006."

The motion was adopted.

श्री कलराज मिश्र: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। ... (Interruptions)

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section -2 dated 20.04.2015

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.23 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we totally oppose the Ordinance that has been tabled today. This is a black law... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, two issues cannot be taken up at a time. Let this issue be first taken up. आज सरकार द्वारा जो ऑर्डिनेंस सभा पटल पर रखा गया था, हम सब उसका पूरा विरोध करते हैं और इसलिए विरोध करते हैं...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): यह विषय सदन में आएगा। जब स्पीकर महोदया ने यह क्लियर कर दिया कि यह ऑर्डिनेंस है, जब बिल लाया जाएगा तो उस पर चर्चा होगी। अगर इस प्रकार से प्रथा तोड़कर बहस शुरू कराएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: First you speak and then I will allow Shri Venugopal. SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I am on the same subject.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will allow you as well. Please take your seat. Now during this 'Zero Hour' I am allowing one or two people. First let Shri Kharge speak.

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मेरा यह कहना है कि यह जो ऑर्डिनेंस सभा पटल पर रखा गया है, आप कहेंगे कि रूल्स के मृताबिक इसे रखना चाहिए इसलिए रखा है। हमारा कहना यह है कि इस ऑर्डिनेंस की

जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह ऑर्डिनेंस आप जबर्दस्ती बार-बार लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो ऑर्डिनेंस है, एक बार पहले भी बिल के रूप में इस सदन में रखा गया था। उस वक्त भी विरोध पक्ष के सभी सदस्यों ने और उधर के भी काफी सदस्यों ने उसका विरोध किया था...(व्यवधान) इसके बावजूद यह पास हुआ और पास होने के बाद राज्य सभा में चला गया। जब राज्य सभा में चला गया तो वहां के सदस्यों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया और यह बिल गिर गया। आपने 20 तारीख को दोनों सदन, राज्य सभा और लोक सभा को पुनः समवेत करने की तारीख तय की थी। लेकिन आपने राज्य सभा को प्रोरोग करके 23 तारीख तक के लिए एक्सटेंड किया, जबकि 20 तारीख से इस सदन की बैठक रखी ताकि आप इस ऑर्डिनेंस को, जो कि जनता की मंशा के खिलाफ है, उसको ला सकें। आप बेक डोर से आना चाहते हैं और बेक डोर से इस कानून को लाना चाहते हैं। इससे आपकी हठधर्मी साबित होती है कि किसी न किसी तरीके से इसे पास कराया जाए।...(व्यवधान) इसके विरोध में हम सभी हैं और यह चाहते हैं कि आप इसे वापस लें।...(व्यवधान) साथ ही देश की जनता यह चाहती है कि वर्ष 2013 का जो कानून है, उसी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि वह किसानों के फायदे का है, सभी के लिए अच्छा है, उसे सभी ने स्वीकार किया है और आपने भी उसे स्वीकार किया है।...(व्यवधान) राज्य सभा और लोक सभा में बीजेपी के नेताओं ने एकमत होकर वर्ष 2013 के इस कानून को पास किया है।...(व्यवधान) इसे पास हुए एक साल भी नहीं हुआ है और आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इम्पलीमेंट भी नहीं किया गया है।...(व्यवधान) आप एक साल में ही इसमें बदलाव कर रहे हैं तो हम सब इसके विरोध में हैं।...(व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि आप इसे विद्ड्रा कीजए।...(व्यवधान) हम बंदोपाध्याय जी और अन्य नेतागण से बात करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद विचार प्रकट करेंगे, यही हम सब का विचार है। श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, आपने शुन्य काल में इस विषय को उठाने की अनुमित दी है।...(व्यवधान) में समझता हूं कि यह अध्यादेश वैधानिक है और इस विषय पर पूर्व में विमर्श हो चुका है। वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह अध्यादेश सदन में लाया गया है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सदन में खड़गे साहब जो विषय रख रहे हैं, यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।...(व्यवधान) मैं पक्के तौर से यह कह सकता हूं कि सरकार इस देश में जो भी काम करेगी, वह गरीबों के लिए करेगी, किसानों के लिए करेगी।...(व्यवधान) यह सरकार गरीबों और किसानों के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि जो वैधानिक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने की दिशा में हम लोगों ने यह कार्यवाही की है और अध्यादेश को सभा पटल पर रखा गया है।...(व्यवधान) जब अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया जाएगा तब इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy-Speaker Sir, 20 poor labourers from Tamil Nadu were killed by the Andhra Pradesh Police on the 7th of this month. Many of them are tribals. In the name of Red Sanders Anti-Smuggling Task Force, they reportedly moved from two different directions from Ethagunta and Cheekateegalakona and encountered about 100 smugglers in the Seshachalam forest in Chittoor district. That had resulted in the death of 20 woodcutters from Tamil Nadu.

In this incident, there is more than what meets the eye. The police claim that they were violently attacked by 100 smugglers. But there is no trace of the remaining 80 people. It was reported that they were cutting trees and carrying logs but around the strewn bodies of the poor labourers, red sandalwood logs (evidently old logs) were found to be systematically kept. Surprisingly, no one from the police force was hurt.

Seven of the woodcutters were shot in the face and the back of their neck. Some of the bodies had burnt injuries and their skin was peeling off. Some media persons have reported that most of the dead bodies had decomposed suggesting that they were killed much before the so-called Tuesday Encounter. Even the renowned forensic expert has raised serious doubts about the claim of the AP Police.

The brutal attacks on the labourers and gruesome murders have been seen widely in the social media. It has touched the conscience of the entire nation.

Though the Police Chief of Andhra Pradesh was calling it a commendable job, the National Human Rights Commission and the Government of Tamil Nadu have asked the Andhra Pradesh Government to come clean with the facts. Even the High Court of Andhra Pradesh wanted an inquiry.

In an Inter-State matter like this, how and why the AP Police acted on its own in haste and murdered people without arresting them and bring to light the kingpins behind the so-called smuggling? Since this tragedy has raised many

doubts, the Centre must have swung into action by now as it involves Central Government officials like IPS officers and Customs officials.

We must uphold the rule of law and we all believe that all are innocent till it is proved beyond doubt that they are guilty of smuggling or any other law violating activity. Our Government of Tamil Nadu guided by our leader Amma has come forward to give Rs. 1 crore as ex-gratia to all the families of the deceased in the tragic incident – Rs. 60 lakh from the Government and Rs. 40 lakh from our Party, the AIADMK. Each family of the 20 people killed was given away Rs. 5 lakh. This House must now discuss the ways to bring to light what had happened in reality and to compensate adequately the loss to the poor labourers and to their families. The errant officials must be punished by appropriate authority.

With this I conclude. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. A. Sampath, Shri P.K. Biju and Shri P. Karunakaran are allowed to associate with the matter raised by Dr. P. Venugopal.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to oppose the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance. ... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Is there any sequence? The leader of major Opposition talks on one issue. Then you have an issue about Andhra Pradesh. Then the third person comes back to the same issue. Is there any sequence in this House? ... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: The Minister cannot say so. ... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Is this a discussion on land acquisition? Once a Member has raised a matter under 'Zero Hour', the second Member associates. You have to protect the House. ... (*Interruptions*) It is not the question of giving two minutes. Precedents cannot be changed. This is not the way the House can be run. When the hon. Member has already spoken on land acquisition, when the

second Member has raised the issue about Andhra Pradesh, how can the third Member again go back to the issue of land acquisition? Is there a sequence? ... (*Interruptions*) Of course, we have to obey what you say. I understand that. But there has to be some sequence of issues in the House. How can you allow different subjects being linked to each other to be taken up? There are precedents. This is not the correct way of doing things in the House. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let him say what he wants to say. Shri Sudip Bandyopadhyay, please conclude within one minute.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I oppose the fact that Minister is challenging your authority. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No, he is not challenging.

... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I will conclude in one or half a minute. ... (*Interruptions*)

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 was debated on the floor of the House on 29th August, 2013. It was voted. The voting result was, Ayes: 216 and Noes: 19. I moved an amendment. That amendment was voted. The Trinamool Congress opposed it. Our leader, Kumari Mamata Banerjee, held a rally opposing this Ordinance, which has been introduced. We totally oppose this. We the Members of the Trinamool Congress walk out in protest against this Ordinance.

14.14 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is an Ordinance raj. We also oppose this and walk out in protest.

14.14 ½ hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The only submission which I would like to make to the House is the statement made by the Leader of the Congress Party in Rajya Sabha on 10.3.2015. I would like to bring it on record.

Shri Ghulam Nabi Azad who is the Leader of the Congress Party in Rajya Sabha had said: "Who stops the Government? Once we are done with the first half of the Session, you can go for the second Ordinance and nothing will change." It is the statement made by Shri Ghulam Nabi Azad in the other House.

It is the statement made by the leader of the Congress Party itself. So, this is just to bring facts on record of what they had to say as far as the Ordinance is concerned. This is a legitimate act on the part of the Government to bring the Ordinance. Once an Ordinance has been brought, it has to be positioned in the House and that is the only process which has been completed.

14.15 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS ...Contd.

(ii) Re:Need to conduct an enquiry into the alleged irregularities in various competitive examinations conducted by U.P.P.S.C

श्री विनोद कुमार सोनकर: महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षायें हुईं, उनमें गड़बड़ी के विरोध में इलाहाबाद के छात्र आंदोलनरत थे। उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाईं। मैं जब शाम को जिला अस्पताल में उनको देखने गया तो पुलिस द्वारा मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया,...(व्यवधान) जातिसूचक शब्द प्रयोग किए गए, मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया।...(व्यवधान) मुझे पच्चीसों लाठियाँ मारी गईं और वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से मेरे खिलाफ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जाँच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ और दोषी जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुझे बहुत बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। SC/ST उत्पीड़न का मुकदमा नहीं लिखा गया। मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। आप हमारे संख्क्षक हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? इसकी जाँच कराई जाए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

महोदय, जिलाधिकारी और एसएसपी वहाँ राजनीति करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इसकी जाँच करायें। HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Daddan Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Kumar Sonkar.

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय सोनकर साहब ने यह विषय उठाया है। इनके साथ एक घटना हुई है, जिसमें इन पर लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस बर्बरता का विषय इन्होंने उठाया है, यह निश्चित रूप से सदन के लिए चिंता का विषय है कि किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसा हो। हम सदन को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, यह सरकार की तरफ से रिस्पांस है, पर हाउस को इस मामले का काग्निजेंस लेना चाहिए। We have a specific Committee which deals with this type of misdemeanour. So, I would request the Chair to take cognizance if the hon. Member gives it in writing.

HON. DEPUTY SPEAKER: I will also recommend this matter.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I would like to invite the attention of this august House to the pain and agony faced by the people coming back from Yemen. They are forced to make an exodus from Yemen and have left behind all their possessions and earnings.

First of all, I would express my sincere gratitude to the Government of India for taking decisive steps to send back those Indians who were trapped in the

highly dangerous war zone. But it should be noted that the people who returned were going through a period of crisis and trauma. They were not sure about their return to Yemen. They have no possessions and investment in the country. Most of the people, among whom nearly 3000 belongs to the State of Kerala, who were doing nursing jobs in Yemen have left behind all their possessions and jobs. They had borrowed large sums of money from banks as educational loans and their jobs were the only hope to repay them. Although they have been rescued from the conflict ridden places, they are coming with empty hands and are in a state of agony and dilemma.

Hence, it is highly necessary to take adequate steps to rehabilitate them and provide them a way to earn their livelihood. I would request the ministries concerned to initiate adequate rehabilitation work with the cooperation of the State Government. Rehabilitation of thousands of people who lost all their possessions is a great challenge in front of the State Government. It is highly necessary to provide necessary assistance to meet out rehabilitation packages in this regard to the State Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Anto Antony and Shri Devji M. Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I fully share with the views expressed by Shri K.C. Venugopal. I also appreciate the initiative taken by the Government of India on this issue. In the list given by the Government of India, it is very clear that 2527 persons from Kerala out of 6000 persons have been rescued. As stated by Shri K.C. Venugopal, the houses of such persons were looted. Each and every item was stolen by the anti-social elements. They came here really with empty hands. So, rehabilitation package is very essential.

The second issue is that many of the persons, especially nurses and hospital staff, are still remaining there because they compelled them to be there for treating people. The Embassy is closed now. The Government should take action for

bringing back those who are still there. I would request the Government to take urgent steps for bringing them back.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh, do you want to associate with him?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, my subject is different. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Those who would like to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran may send their slips to the Table.

Dr. Shashi Tharoor, Dr. A. Sampath, Shri Rabindra Kumar Jena and Shrimati P.K. Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, my Adjournment Motion notice is on the minimum pension under EPF. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: In one minute, please tell what you want.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, the decision to enhance the minimum pension under EPF to Rs.1,000 per month was taken by the then UPA Government and implemented by the NDA Government. Unfortunately, the Government has decided to stop the same with immediate effect saying that the decision was to give pension for only one year. It was implemented from September 2014 and withdrawn by 31st March 2015.

The Circular issued by EPFO said that it has decided to suspend the Scheme in the absence of any directions from the Government to continue this benefit beyond March 2015. The enhancement of pension to Rs.1,000 is possible by increasing the Government contribution to EPS 95 from the existing 1.16 per cent to 1.79 per sent, that is, a nominal increase of only 0.63 per cent. If the Central Government makes an allotment of Rs.563 crore per year, the pension to around 32 lakh families can be enhanced to Rs.1,000 per month.

Sir, it is a very important matter. Without any reason, the Government of India has withdrawn this increase in minimum pension under EPF. Sir, 32 lakh

families have been affected by this. The hon. Finance Minister should make a statement in this regard.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, Shri Anto Antony and Shri M.K. Raghavan are permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को शून्यकाल में सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही निन्दनीय, घृणित और शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर में प्रकाश में आई है। भारत सरकार की योजना के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिनमें गरीब बालिकाओं को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ पर वर्षों से बालिकाओं के भोजन में नशीला पदार्थ खिलाकर उनके शोषण का सिलसिला चल रहा था। घटना 10-11 अप्रैल की रात की है। नशे की डोज़ शायद ज्यादा हो गई और कुछ बच्चियाँ बेहोश हो गईं। रात में वहाँ पर अराजक तत्व आते हैं। एक दर्जन अराजक तत्व वहाँ देखे गए। कुछ वयस्क बालिकाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और चीख पुकार करते हुए वे गेट की तरफ भागीं। बजाय उनकी कोई सहायता करने के या उनकी बात सुनने के, गेट बंद कर दिया गया, उनको बाहर जाने से रोक दिया गया। बच्चियों के हंगामे को सुनकर जब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तो ग्रामीणों ने पुलिस और मीडिया को सूचना दी। पुलिस वहाँ बाद में पहुँची, पहले मीडिया पहुँची। बालिकाएँ चीख-चिल्ला रही थीं। उनकी मांग थी कि कोई महिला अधिकारी आए जिसके सामने वे अपनी बात रखेंगे कि यहाँ पढ़ाई को छोड़कर बहुत कुछ होता है। हम अपनी व्यथा उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन कोई महिला अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आई। उसकी सीडी भी मीडिया के लोगों ने बनाई है और अखबार की पूरी कतरनें भरी पड़ी हैं, इसको हमने पटल पर उपलब्ध भी कराया है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस घटना के चार दिन पहले वहाँ के चौकीदार की पत्नी की लाश कमरे की छत से लटकते हुए संदिग्थ अवस्था में पाई गई थी। उसको आत्महत्या का स्वरूप देकर लीपापोती कर दी गई थी। लेकिन जब इस घटना के दूसरे तीसरे दिन इसकी पोस्टमार्टरम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। यह घटना भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि, वह वहां पर एकमात्र महिला थी, बाकी वहां पर सब पुरुष कर्मचारी तैनात हैं। वह महिला इनके दुष्कृत्यों का विरोध करती थी, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया।

महोदय, इतनी संवेदनशील घटना पर केन्द्र सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करे।...(व्यवधान)

14.25 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Matters Under Rule 377.

(i) Need to include the region along River Yamuna in Kanpur Dehat District in Bundelkhand Region

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत कानपुर देहात, जालौन व झांसी जिले आते हैं। जालौन व झांसी जिले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। बुन्देलखण्ड पैकेज में मिलने वाली सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देश स्वतंत्र होने के बाद यमुना पट्टी के किनारे कानपुर देहात को 18 किलोमीटर तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शामिल किये जाने का प्रस्ताव था।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कानपुर देहात के यमुना पट्टी के किनारे के क्षेत्र को बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शामिल करने का कष्ट करें।

(ii) Need to provide adequate compensation to people whose thatched huts were destroyed in fire in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर-जैसलमेर (राजस्थान) लोक सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 56,779 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 32,73,660 है, जिसमें 19 पंचायत समितियों में 581 ग्राम पंचायतों के 3298 राजस्व ग्राम हैं। क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या दुर-दुर बसी ढाणियों में निवास करती है। यहां जीवन-यापन करने का मुख्य आधार कृषि एवं पश्पालन होने के कारण परम्परागत तौर पर कृषक एवं पशुपालकों का निवास परिवार एवं मवेशियों सहित अपने-अपने खेतों में ही ढाणियों में रखा जाता है। ये ढाणियां पूर्णतया घास-फूस एवं लकड़ियों से बनी होती हैं। क्षेत्र में आये दिन ढाणियों में आग लगने एवं आगजनी से जान-माल की हानि होने की खबरें समाचार पत्रों, कार्यकर्ताओं एवं आम अवाम की जन-स्नवाई में सामने आती रहती हैं और जनता एवं पीड़ितों द्वारा मुआवजे की मांग की जाती रहती है। मैं यहां ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाह्ंगा कि स्थानीय किसान या मजदूर, जो विकट मरुस्थलीय भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों की कमी, शिक्षा के अभाव एवं पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण एवं परम्परागत रीति-नीति के कारण ढाणियों में रहने को मजबूर हैं। बैंकिंग एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर इस क्षेत्र के निवासियों की जिन्दगी भर की कमाई इन झोंपड़ीनुमा ढाणियों में ही होती है। प्राकृतिक आपदाओं, अपरिहार्य कारणों एवं गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूरज के आग उगलने से इन ढाणियों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती हैं। पानी की भयंकर कमी, दूरस्थ, आवागमनों के साधनों की कमी एवं सड़कों के अभाव में अग्निशमन यंत्रों का यहां तक पहुंचना असम्भव होने के कारण सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र में ढाणियों में पिछले कुछ वर्षों में आग लगने की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	2009	2010	2011	2012	2013	2014
प्रकरण	219	642	635	632	690	443
अनुमानित नुकसान	13.66	46.05	32.13	65.20	70.61	25.03
(लाखों में)						

उक्त आंकड़े तो मात्र बाड़मेर जिले के हैं। जैसलमेर में भी यही हालात हैं। केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राशि सहायता के रूप में राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा राहत कोष के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में दिसम्बर, 2012 में संशोधन किया गया है, जिसमें नुकसान होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है:

	पक्का मकान	कच्चा मकान	भोजन एवं बर्तनों हेतु	दुधारू पशुओं के	मानव
दिसम्बर 2012	25,000	10,000	2,000	गाय भैंस ऊंट-	एक लाख
से पूर्व				10,000 भेड़-बकरी	
				1,000	
दिसम्बर 2012	70,000	17,600	2,800	गाय भैंस ऊंट-	डेढ़ लाख
के बाद				10,000 भेड़-बकरी	
				1,650	

उक्त राशि हताहत परिवारों के नुकसान की तुलना में पांच प्रतिशत भी नहीं है, जिस परिवार का सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह सरकार की सहायता का मोहताज हो जाता है, जिसे तत्काल सहायता की नितान्त आवश्यकता होती है, इसलिए जिला कलैक्टर के पास पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए तथा सहायता राशि को बढ़ाकर कम से कम दो गुना करने का प्रावधान करना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, only the approved text of the matter will go on record.

(iii) Need to establish a Fisheries University in Andhra Pradesh.

SHRI GOKARAJU GANGA RAJU (NARSAPURAM): In addition to agriculture, fisheries and aquaculture form one of the most significant food production sectors in Andhra Pradesh which is at present facing acute shortage of field level technical manpower. As the State is the pioneer State in fish production, Andhra Pradesh has a rich resource base of water bodies, both inland freshwater; and coastal marine/brackish waters that sustain a sizeable fishery forming the basis of livelihood of 1.3 lakh fishermen families involving 5.1 lakh fishermen (14% of total Indian fisher folks). There are 271 fish landing centres spread over 498 fishing villages, along the coastline extending to 974 kilometres. The continental shelf area of 33,000 square kilometres caters to a well-established capture fishery along our coast. Fisheries education imparted in the State is currently limited to a Fisheries College at Nellore offering Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc.) and M.F.Sc. degrees; and a Fisheries Polytechnic affiliated to the Sri Venkateshwara Veterinary University at Bhavadevarapalli in Krishna District. This is grossly inadequate, given the acute dearth of skilled manpower that is needed for the targeted developments in fisheries, aquaculture, sea-food processing and export industries in the State.

An estimate of the manpower requirement in the sector by 2030 in the country requires additional 32 lakhs of qualified manpower for the sector to progress and achieve the targets. This manpower gap can only be bridged by establishing a number of subsidiary institutions apart from those institutions of higher learning, particularly in regions like Andhra Pradesh where a lion's share of the future demand would arise. In this context, there is a need for a Fisheries University which will produce trained and qualified personnel. I, therefore, urge upon the Government to establish a Fisheries University either at Undi of Bheemavaram in West Godavari district in Andhra Pradesh in PPP mode.

(iv) Need to set up a hospital-cum-medical college in Jalore, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर (राजस्थान) की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 24,85,286 है तथा क्षेत्र में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि दर 26.31 प्रतिशत रही है। जिले में शहरी आबादी कम है जबिक ग्रामीण आबादी 92.41 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी अधिक होने से स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अभी भी कृषि या उसकी सहायक गतिविधियों से ही अपना जीवन-यापन करते हैं तथा ग्रामीण अंचल के लोग बीमार होने पर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज़ करवाने को मज़बूर होते हैं। क्षेत्र से प्रतिदिन सैंकड़ों मरीज़ गाड़ियों से जांच एवं इलाज़ हेतु गुजरात जाते हैं जिससे लोगों का आर्थिक नुकसान एवं समय बर्बाद होता है। गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र के लोग गुजरात के निजी अस्पतालों में महंगा इलाज़ लेकर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसव पूर्व जांच की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम होने तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रथम तीन माह में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। आज भी घरेलू प्रसव का प्रतिशत 18.8 से 31.4 है जिससे जन्म के समय कम वज़न वाले शिशुओं की मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर बढ़ जाती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अंतिम व्यक्ति तक गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए जालौर जिला केन्द्र पर 1,000 बिस्तरों का अस्पताल-सह-मेडिकल कॉलेज का होना अत्यन्त आवश्यक है।

(v) Need to regulate the course of river Ganguli causing erosion of villages and farm lands in Gaunaha block of Valmiki Nagar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री सतीश चंद्र दुवे (वाल्मीकि नगर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर के प्रखंड गौनाहा से गुजरने वाली गंगुली नदी की मुख्य धारा में परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर गाँवों व उपजाऊ जमीन का कटाव हो रहा है, जिससे उपजाऊ जमीन में बालू भर रही है और कहीं-कहीं तो बड़े-बड़े गड्ढे बन रहे हैं। आये दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है तथा ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। 10 गाँवों के लोग तो बहुत ही परेशान हैं। ये गाँव इस प्रकार हैं, 1. मटियारिया 2. सिरसिया 3. मस्जिदवा 4. घुमली-परसा 5. बड़हरवा 6. हरदी 7. डुमरा 8. सैथोल 9. शेरवा 10. पिपरा आदि प्रमुख प्रभावित गाँव हैं तथा कई गाँवों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। यह अति पिछड़ा, आदिवासी बाहुल्य व अविकसित क्षेत्र भी है। यहाँ सिवाय कृषि के आर्थिक रूप से गरीब किसानों को मजबूत करने के लिए कोई और माध्यम नहीं है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त विषय बहुत ही संवेदनशील है, जिस पर आप मानवीय रूप अपनाते हुए गंगुली नदी की मुख्य धारा में परिवर्तन रोकने हेतु गाइड बाँध का निर्माण जल्द कराने की कृपा करें, जिससे हजारों लोगों को राहत मिल सके।

(vi) Need to put to use vacant land under army control in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उ०प्र०) में सेना की कई सौ एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, जिस पर किसी प्रकार की सेना की गतिविधि नहीं हो रही है। यदि उक्त भूमि पर सेना द्वारा सैनिक टुकड़ी की स्थापना, हवाई पट्टी, हेलीपैड, सैनिक स्कूल, सैनिक अस्पताल आदि का निर्माण हो जाए तो इससे सेना के साथ-साथ सीतापुर की जनता को भी लाभ मिल सकेगा। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जो भूमि बिल्कुल सीतापुर शहर के अन्दर है, उसको बाजार मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया जाए, जिससे सीतापुर का अवरुद्ध विकास बहाल हो सके।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए जनहित में समुचित निर्णय लेने की कृपा की जाए।

(vii) Need to set up a SAI Training Centre in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र सतना (म0प्र0) के शासकीय महाविद्यालय साई (एस.ए.आई.) प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, दिनांक 2 दिसंबर, 2014 को तारांकित प्रश्न संख्या 121 में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र सतना में खेलकूद संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण सुविधा देने हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि सतना में खेलकूद को बढ़ावा देते हुए ऐसी प्रतिभाओं को खोजकर उनको उचित प्रशिक्षण देने के लिए साई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा, किन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि यथाशीघ्र मेरे संसदीय क्षेत्र सतना (म0प्र0) की यह मांग पूरी की जाए।

(viii) Need to establish a Greenfield Airport in Alwar district of Rajasthan

श्री चाँद नाथ (अलवर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर (राजस्थान) में डी.एम.आई.सी. के तहत अलवर जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है जिसके लिए इंटरनेशनल स्तर के सलाहकारों द्वारा विस्तृत अध्ययन के पश्चात 'टेक्नो इकानोमिक स्टडी रिपोर्ट' तैयार की गई है। इसके पश्चात हवाई अड्डे हेतु साइट निरीक्षण के पश्चात 'एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंण्डिया' द्वारा प्रस्तावित साइट को फरवरी, 2014 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन डी. एम. आई. सी. डी. सी., नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात अगस्त, 2014 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं डिफेंस मंत्रालय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप में साइट क्लियरेंस एवं एरोड्रोम अनुमित हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके पश्चात नवम्बर, 2014 व जनवरी, 2015 में स्मरण पत्र भी भेज दिया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री एवं रक्षा मंत्री से आग्रह है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ही मंजूरी प्रदान की जाए जिससे अलवर जिले में बनने वाले 'ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे' का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

(ix) Need to establish a Debts Recovery Tribunal in Thiruvananthapuram, Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Since its inception in October 1999, the Debts Recovery Tribunal (DRT) at Ernakulam has been the only body for the State of Kerala and the Union Territory of Lakshadweep for resolving matters pertaining to the recovery of bad debts.

The existing infrastructure allows an average disposal of only 500 cases per year, resulting in a mounting backlog of some 1902 cases worth Rs.2841.62 crores (as on March 2014), defeating the very purpose of a DRT to dispose of cases within six months.

The decision of the Government to establish an additional tribunal in Ernakulam would not absolutely resolve the problem of mounting debt recovery litigations and settlement delays, particularly in the southern part of Kerala.

I, therefore, urge you to establish a Debts Recovery Tribunal in Thiruvananthapuram for servicing the southern region of Kerala and also the UT of Lakshadweep. This would reduce the burden on the existing tribunals and facilitate a timely release of stressed assets of various banks and financial institutions.

(x) Need to obviate the difficulties being faced by Co-operative societies from various sections of Income Tax Act, 1961.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I take this opportunity to invite the kind attention of the Government to the difficulties faced by the co-operative societies in the country regarding the ill effects of Section 80 P (4), Section 131 and Section 133 (6) of the Income Tax Act 1961. As per Section 80 P (4) of the Income Tax Act, co-operative societies are treated as co-operative banks thereby deprived of the benefits. Section 133 (6) of the Income Tax Act makes it mandatory that the co-operative societies may disclose the details of the depositors who earn an annual interest of Rs.10,000/- or more and the cumulative deposits above the amount of Rs.5,00,000/- in a year in a saving account. Co-operative societies are the back bone of rural and agrarian economy. Any move to destroy co-operative societies will badly affect the prospects of the farmers in the country. Therefore, I request the Government to kindly enhance the interest limit from Rs.10,000 to Rs.50,000 and cumulative deposit from Rs.5,00,000 to Rs.10,00,000.

(xi) Need to allocate funds for development of trade, commerce and infrastructural facilities in Tiruppur, Tamil Nadu.

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): With a humble beginning in the year 1929 the garment industry of Tiruppur began exports in the year 1978. At present, it earns foreign currency to the tune Rs.18,000 crore per year. Out of the total textile production of the country, 44 per cent is from Tamil Nadu. Tiruppur contributes 20 per cent of the total textile exports of the country. Tiruppur provides employment to around five lakh labourers at a time when the world faces challenges of unemployment. Due to the significant growth of garment industry in Tiruppur, there is still an employment opportunity for more than one lakh labourers. Knitting industry is more dependent on labour force than the capital cost and material. Skilled manpower is the need of the hour. It is expected that the total trade of Tiruppur can be around one lakh crore rupees by the year 2020.

The labourers should be provided housing facilities. Garment industrialists have work orders from around the globe and all they need is technology. Besides shortage in skilled manpower, there is also shortage of manpower in areas like technology, management cost-cutting and standardisation. Government should set up an integrated trade centre, research centre and skill development centre besides providing housing facilities for labourers and bank loan facilities.

Tiruppur is well connected with all the countries of the world, but its connectivity with different parts of the country should be improved.

I urge that a separate commissionerate should be set up in Tiruppur exclusively for garment trade so as to fulfil the growing demands. There should be hassle-free trade, loans at low interest rates, concessions for exports, tax rebate for imported artificial fibre, technological assistance for drainage recycling plants, housing facilities for labourers and separate hostel facilities for women in Tiruppur.

Infrastructure facilities should be upgraded in Tiruppur as it earns Rs. 18,000 crore through exports.

I, therefore, urge upon the Union Government to allocate Rs. 5,000 crore in the forthcoming budget for implementing various developmental activities in Tiruppur including infrastructure through National Urban Renewal Mission, National Urban Housing Scheme and other schemes.

Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy – not present.

Shrimati Sakuntala Laguri – not present.

Shri Prataprao Jadhav – not present.

Shri M. Murali Mohan – not present.

(xii) Need to release funds under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority in Telangana

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, the Government of Telangana has initiated an ambitious programme titled Haritha Haram to increase the forest cover in the State from 25.16 per cent to the national requirements of 33 per cent. The objective is to plant 230 crore saplings by 2019 and is sought to be achieved by a multi-pronged approach of rejuvenating degraded forests, ensuring more effective protection of forests against smuggling, encroachment, fire, grazing and intensive soil and moisture conservation measures, both inside and outside forests, following the watershed approach.

The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) funds have been created by the Centre precisely for such programmes. However, as of now, there is no clarity on how much has been earmarked and allocated for each State. The requirements of the Government of Telangana from the CAMPA funds are Rs. 416 crore for the year 2015-16. I request the Centre to release them at the earliest and also clarify Telangana's and other States' share of CAMPA funds for this year.

(xiii) Need to accord constitutional status to National Commission for Other Backward Classes

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, even after the implementation of the Mandal Commission Report and the Government of India Order of 1991, the Other Backward Classes are denied of the social and economic justice, which is enshrined in the Constitution of India. It is estimated that more than 50 per cent of the population of India belong to the category of Other Backward Classes. The National Commission for Other Backward Classes established in the year 1993 lacks adequate powers and hence the social justice principles enshrined in the Constitution of India still remain a dream. The implementation of the Mandal Commission Report naturally necessitates a powerful and efficient National Commission for Other Backward Classes, which is yet to be promulgated by necessary constitutional amendments.

Hence, I urge upon the Government of India to initiate immediate steps for the creation of a National Commission for Other Backward Classes on the model of the SC/ST Commission with constitutional status at the earliest.

Thank you.

(xiv) Need to provide financial assistance to Andhra Pradesh to undertake relief and rehabilitation measures for people distressed due to recent unseasonal rains and hailstorms in the State

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, hon. Deputy-Speaker, for giving me this opportunity.

I would like to draw kind attention of the august House regarding the unseasonal torrential rains coupled with hailstorms, which claimed human lives and caused damage to crops in over one lakh acres in Andhra Pradesh. Unseasonal rains played havoc in Rayalaseema and the worst-affected districts are Anantapur, Kurnool, Kadapa, Chittoor and Srikakulam. The normal life was disrupted in many towns and left hundreds of villages without electricity as gail winds uprooted electrical poles. Our hon. CM of Andhra Pradesh has immediately announced an *ex-gratia* sum of Rs. 4 lakh to each of the bereaved families. Enumeration of crop damage as well as loss of livestock is going on in order to furnish proposals for financial assistance to the affected farmers.

Likewise, mango farmers in Andhra Pradesh, the State with the highest mango production, have suffered crop losses worth millions due to sudden hailstorms. The loss is estimated to be around thousands of crores of rupees. As per the estimated reports, nearly half the standing crop has been damaged in many parts of Andhra Pradesh. The coconut and chilly farmers have also suffered heavy damages. Poultry farms also suffered damages.

Keeping in view the position explained above, I request the hon. Minister of Agriculture, through the Chair, to kindly intervene in the matter and provide financial succor to the farmers in Andhra Pradesh without further delay. Thank you, Sir.

(xv) Need to take suitable measures to bridge the economic disparity among SCs, STs and OBCs compared to upper castes

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Udit Raj, when I called you, at that time you were not present in the House. As a special case I am allowing you, but when I am calling, you have to be here. Otherwise, I cannot permit this.

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Sorry, hon. Deputy-Speaker, Sir. The gap between household expenditures of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes is increasing ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Udit Raj, you have to read the approved text.

... (Interruptions)

DR. UDIT RAJ: Sir, please give me half-a-minute to explain and give an example. HON. DEPUTY SPEAKER: Under Rule 377, you have to read the approved text only.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Only the approved text will go on record.

DR. UDIT RAJ: Thank you so much, Sir. As per recent reports from the National Sample Survey Organization, it is seen that the gap between monthly average household expenditures of different communities compared to upper castes have, in most cases, increased in 2011-12 from 1999-2000 as is listed below.

*	average monthly apper castes (%)	household	expenditures	of different	communities
Sample	Rur	a1		Urhan	

Sample period	Rural			Urban		
periou	ST	SC	OBC	ST	SC	OBC
2011-2012	-53	-37	-19	-48	-60	-43
1999-2000	-49	-38	-22	-45	-65	-37

I urge the Government to take suitable measures, as deemed fit, to bridge the gap in monthly average household expenditures among SCs, STs and OBCs compared to upper castes.

14.54 hrs

<u>DISCUSSION UNDER RULE 193</u> Agrarian situation in the country -- Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Discussion under Rule 193 regarding Agrarian situation in the country. Shri Kodikunnnil Suresh to continue his speech.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the agrarian situation in the country.

Sir, I am going to focus only on my State of Kerala. The agricultural scenario in Kerala is getting worse day-by-day, especially, in paddy production. The professional estimate of agricultural income of the State recorded a negative growth of 1.79 per cent during 2009-2010. The quick estimate for 2010-2011 also indicate a decline of 0.78 per cent growth over 2009-2010.

The share was 17.48 per cent during 2004-05 and it declined to 10.5 per cent in 2010-11. The real GDP growth at factor cost increased to 8.5 per cent in 2010-11 from 8.0 per cent in 2009-10 in the country. After two consecutive years of subdued performance, agriculture turned into a significant driver of growth in 2010-11. The situation of agricultural production and marketing is getting worse day by day. The cost of production is increasing due to higher rate of wages, high cost of manures, low productivity and low prices of the products. The climate change, drought, untimely rain, etc., affect the cultivation very badly. Crop insurance has not become universal and hence the farmers are in distress.

Adding to their misery, now the Government has decided to stop interest subsidy on short term loans given to the farmers. The UPA Government had introduced the scheme with an objective to help the farmers. The Reserve Bank of India has directed all the banks to stop this scheme by 30th June 2015. The hon. Agriculture Minister is sitting here. It is a very important issue. Recently, the Reserve Bank of India has given this direction to all nationalised banks to stop the

interest subsidy on short term loans. The objective of the scheme is to provide loans to agriculturalists to do repeat cultivation, which is very important. This short term loan from the scheduled commercial banks is helping the farmers to do repeat cultivation. In the guise of reducing illegal transactions, the Government is stopping this scheme, which was a great boon to the farmers. The banks used to sanction a short term loan, up to Rs. 3,00,000 per crop, with two per cent interest subsidy. Moreover, on the basis of surety, Agricultural Gold Loan was allowed at seven per cent interest. If the loan is repaid in equal instalments without failure, then a bonus interest subsidy of three per cent is allowed under the scheme. The hon. Agriculture Minister should give a reply on why it has happened and why the Reserve Bank of India gave such a direction to the banks because it has adversely affected the small and marginal farmers. It is a great jolt to the farmers.

Instead of giving more help to the farmers, the Government is introducing anti-farmer steps while the Government has not stopped any subsidy schemes given to the industries or to the businessmen in the country. They are only stopping the subsidy on loans being given to the farmers, but the subsidy being given to the corporate sector is not being stopped. This is the attitude of the NDA Government against the farmers. This attitude of the Central Government is endangering the agricultural sector where almost 70 per cent of the workforce of the country is engaged.

If this attitude of the Government regarding subsidy continues, it will lead to more suicides by farmers. It is a very dangerous situation. Since you have withdrawn the subsidy on short term loan, the small and marginal farmers are in trouble. Ultimately, it will lead to suicides by farmers; the rate of suicides by farmers will increase. Therefore, the Government should respond to that. Hence, I would request the Government to reintroduce the interest subsidy scheme in respect of the agricultural sector immediately.

20.04.2015 74

Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I invite the attention of the Government to the vulnerable condition of the paddy cultivators of Kerala? Kuttanad, which is under my parliamentary constituency, and Palakkad are the two major paddy production centres in Kerala. In 2012-13, rice was cultivated in 1,97,000 hectares of area and the production was 5,08,000 metric tonnes. The productivity per hectare is 2,577 kilograms.

15.00 hrs

There were 7,359 padashekarams in Kerala. The procurement of paddy is done by the Kerala State Civil Supplies Corporation. This is under the Government of Kerala. This agency is not paying the money in advance to the farmers or at the time of paddy collection. The farmers never get the money in time. That is a very serious issue in Kerala and especially in Kuttanad. The Civil Supplies Corporation which is under the Government of Kerala has collected paddy from the farmers. But they are not giving money on time. This is a very big crisis that our farmers are facing in my constituency Kuttanad. There is a huge demand from the farmers for this. The Government always agree to pay on time, but it gets delayed for months together. The support price fixed for paddy is only Rs.1,900 per quintal. This amount of Rs.1,900 is the MSP for paddy now. It is not on par with the cost of production. The cultivators never get profit at this rate. There is a huge demand from the people to raise the Minimum Support Price from Rs.1,900 to Rs.2,500 per quintal. I would request the Government to accept the MSP for paddy at the rate of Rs.2,500 per quintal.

There is a lack of warehouse facility for storing paddy immediately after the cultivation. In my constituency Kuttanad there is no storage facility. The Central Warehousing Corporation has not started any storage facility in Kuttanad. Kuttanad is one of the major paddy cultivating areas. I would request the hon. Minister to consider this.

Another major issue which we are facing in Kuttanad is this. The productivity from the land is gradually coming down in this area. The reason is

that the nutrient of the soil is getting lost due to the continuous use of chemical and fertilizer. The soil requires regeneration. I would urge that assistance may be provided to the cultivators for rejuvenation of the soil.

The last point is about the Kuttanad package. The Kuttanad package was announced by the UPA-I Government. After that, the UPA-II Government implemented it. The Kuttanad package of about Rs.1,840 crore was formulated by Dr. M.S. Swaminathan. But it got over in 2014. But, I would urge that the period of the package should be extended up to 2020 and in addition, Rs.1,000 crore should be sanctioned under RKVY and the Flood Management Scheme. Then only, Kuttanad will be protected. Thank you.

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा): सभापित महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर सारे सदन में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिस पर सारा सदन राजनीति से ऊपर उठकर चिन्ता करता है।

15.04 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

कृषि की वर्तमान स्थिति पर, वास्तव में सारे देश में विगत माह में जो ओले बरसे, बारिश हुई, तूफान आया उसके कारण देश के अनेक राज्यों के विभिन्न हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। यह बात जब शासन तक पहुंची, तो एक संवेदनशील सरकार ने इसे संज्ञान में लिया और देश के गृह मंत्री तथा कृषि मंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बार-बार कुदरत के रूठने के कारण, प्रकृति के लहरीपन के कारण किसान पर लगातार मार पड़ती है और किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका धन खुले आसमान के तले पड़ा रहता है। अन्य लोगों की सम्पत्ति तो तिजोरी में बंद रहती है या गोदामों में रहती है, लेकिन एक किसान ही है, जिसके उपर प्रकृति की मार का सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व का मौसम संयमित नहीं रहा। बेमौसम बरसात होना, अचानक ओले बरसना, तूफान आ जाने के कारण किसानों पर भारी मार पड़ती है। आज़ाद हिन्दुस्तान में ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में किसान की सहायता के लिए भारत सरकार के कुछ प्रावधान रहे हैं। अभी तक जब प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था, तो केन्द्र सरकार का कानून था, नियम था कि उसी समय केन्द्र सरकार की तिजोरी किसानों के लिए खुलेगी, जब नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक होगा। लेकिन एक किसान होने के नाते मुझे आज यह कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि 65 वर्षों का वह कानून किसानों के हक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बदलकर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के स्थान पर 33 प्रतिशत नुकसान पर भी किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह फैसला देश के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला है। यहाँ पर एक राजनैतिक व्यक्ति नन्दकुमार सिंह चौहान नहीं बोल रहा है, बिल्क बुरहानपुर जिले का एक किसान आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है। इसी के साथ, अभी तक नुकसान के लिए सहायता दिये जाने के जो पैमाने थे, उसे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके किसानों को अब तक प्राकृतिक आपदा में जितने नुकसान पर सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया। यह छोटा फैसला नहीं है। यदि मेरे जैसे किसान को पूर्व की सरकारों के समय के पैमाने से सहायता दिये जाने का प्रावधान था, तो 50 प्रतिशत से अधिक मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे मदद मिलती थी, लेकिन अब मेरे 33 प्रतिशत के काइटेरिया में आ जाने से मुझे केन्द्र सरकार की सहायता मिलेगी। यदि पहले मापदण्ड पर मुझे

एक लाख रुपये की सहायता मिलनी थी, तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो मापदण्ड बदल दिये, उनके कारण अब मुझे एक लाख रुपये के स्थान पर डेढ लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

सभापित महोदय, आज किसानों के लिए यह क्रान्तिकारी निर्णय है। आने वाले समय में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए हमें और कुछ निर्णय करने होंगे। रासायनिक खाद पर हमारी खेती की निर्भरता बढ़ने के कारण उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन किसान की लाभ प्राप्ति में कमी आ गयी। हमारे देश में, जब मैं छोटा था, उस समय हमारे आस-पास के सारे किसानों के पास खेती के साथ पशुधन भी हुआ करता था। रासायनिक खाद बहुत कम लोग जानते थे। पशुधन होने के कारण दूध उत्पादन के साथ गोबर खाद का इस्तेमाल किसान खेती में करते थे, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी और खेती की लागत भी कम आती थी। लेकिन अब देश में पशुधन जिस तेजी से घट रहा है, उसके कारण अब किसानों के पास गोबर खाद उपलब्ध नहीं है और वे पूरी तरह से रासायनिक खाद पर निर्भर हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि हम पशुधन के पालन को प्रोत्साहन देने हेतु एक सहायक व्यवसाय के रूप में देश भर में मजबूती से एक नया नेटवर्क खड़ा करें, जिससे खाद की बड़ी मात्रा में पूर्ति गोबर खाद के रूप में हो और कृषि लागत में कमी हो।

इसी के साथ, प्रधानमंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया है कि 50 प्रतिशत की जगह यदि 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है तो केन्द्र से आर्थिक सहायता दिए जाने और दी जाने वाली सहायता को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों के लिए एक बहुत मुआफिक, व्यवहारिक फसल बीमा योजना इस देश में लागू करने का समय आ गया है। वह फसल बीमा योजना व्यावहारिक हो और यदि किसान प्रीमियम देता है तो फिर उसके नुकसान में फसल बीमा योजना से सहायता मिले। अभी जो फसल बीमा योजना लागू है, मैं एक किसान होने के नाते आग्रह के साथ कह रहा हूं कि उसमें मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत है। इसमें और आगे बढ़कर, यदि कोई राज्य सरकार अपने राज्य के लिए अपनी फसल बीमा योजना बनाकर अपने किसानों के लिए लागू करना चाहती है तो केन्द्र सरकार उसमें भी सहायक बनकर, राज्य और केन्द्र की योजनाओं को क्लब करके, किसानों की फसल बर्बाद होने पर उसे अधिक से अधिक सहायता मिले, इसका इंतजाम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के बीच खड़े होकर यह बात कही है कि राज्य सरकार की फसल बीमा योजना लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनके इस विचार और प्रस्ताव को भारत सरकार सहारा बनाकर यदि उस स्तर पर फसल बीमा योजना लागू करेगी तो वह अधिक लाभप्रद होगी। इससे किसान को कष्ट और संकट के समय में इस

फसल बीमा योजना के माध्यम से मदद मिल सकेगी। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान करने का समय आ गया है।

में कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो क्रांतिकारी फैसला किसानों के हित में किया है, यह परिवर्तन 65 साल में पहली बार हुआ है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना में भी परिवर्तन करके उसे व्यावहारिक बनाया जाए और लागू किया जाए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ी विषम प्राकृतिक आपदा सामने आई है। लगातार छः महीने या करीब एक साल से देश में कहीं न कहीं कोई न कोई विपदा या संकट आ रहा है, चाहे जम्मू-कश्मीर में हो या उत्तराखंड में या देश के अन्य राज्यों में हो। कोई न कोई प्राकृतिक आपदा देश में आ रही है और फिर वह विकराल रूप धारण कर लेती है। हमारा राज्य बिहार भी इससे अछूता नहीं है। कृषि मंत्री जी भी बिहार से आते हैं। वहां प्राकृतिक आपदा ने भयानक कहर उहाया है। एक तरफ कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बर्बादी हुई है और दूसरी तरफ मौसम का जो मिजाज़ बदला है, बेमौसम जो बारिश हुई है, उसने किसानों का सब कुछ लूट लिया है। किसान ने इससे पहले बैंकों से या अन्य जगहों से कर्ज लेकर किसी तरह संसाधन जुटाकर खून-पसीना बहाकर अपनी खेती की, जिसे वह अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सब कुछ पानी में डूब गया यानि उसकी फसल और घर तक इस बेमौसम की बारिश और फिर उससे आई बाढ़ से तबाह हो गए। उसने तिलहन, दलहन या गेहूं की जो फसल अपने खेतों में बोई थी, वह सब नष्ट हो गई है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और उसे अपनी नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए।

बिहार का कोई जिला प्राकृतिक आपदा से अछूता नहीं है। मेरा संसदीय क्षेत्र बांका के अलावा नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई लखीसराय या पटना आदि सभी जिलों में जान-माल की भारी हानि हुई है। हम नारा लगाते थे - जो जमीन को बोए, वही मालिक होए। लेकिन आज इस प्राकृतिक आपदा और कहर के कारण जो जमीन जोत रहे हैं, वे किसान माथे पर हाथ रखकर रो रहे हैं। इस तरह लक्ष्ण ठीक नहीं हैं। मैं कुछ और कहूंगा तो उधर से आवाज आएगी, लेकिन साल होने को आ रहा है, लक्ष्ण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप सामने आ रहा है और हमारा अन्नदादाता सुखी नहीं है, दुखी है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत और खिलहान से गुजरता है। आज उस किसान पर विपदा आई है और वह रास्ता संकट का रास्ता बन गया है।

किसान और मजदूर राष्ट्र की तरक्की का प्रतीक होते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और उसके लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं। लेकिन आज हमारे किसान की आंखों में आंसू हैं तो कैसे आप 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार कर पाएंगे और कैसे समृद्ध भारत बनेगा, जब स्मार्ट गांव ही नहीं बन पाएगा तो कैसे 'मेक इन इंडिया' और स्मार्ट सिटीज बना पाएंगे। जब किसान आत्मनिर्भर होगा,

कृषि आत्मिनर्भर होगी, तब हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकेगी, लेकिन आज की स्थिति अच्छी नहीं है। आप अच्छे दिन आएंगे की बात करते हैं, लेकिन किसानों के बुरे दिन आ गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। भूमि बिल पर मैं नहीं कहूंगा, वह तो एक काला कानून है, उसका विरोध तो सड़कों पर हो रहा है। जिस प्रकार से पांच इंच जमीन के लिए महाभारत हुई थी, उसी तरह से भारत में जमीन के लिए जंग होगी, लेकिन कभी भी काला कानून पास नहीं होने देंगे। इससे किसान का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए वह मुद्दा अपनी जगह पर है।

रोशनी आने पर लोग भूल जाते हैं, चिराग गरीबों के बुझा दिए जाते हैं, इंसानियत का चिराग बुझा दिया जाता है, किसान और मजदूर का चिराग बुझा दिया जाता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। डीजल और बिजली नहीं है। जमीन बचाओ, जमीन बचेगा तो खेती बचेगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, नौजवान बचेगा और तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा जीवन बचेगा। आज जो प्राकृतिक आपदा आयी है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर आमादा हैं, उनकी कौन सुन रहा है? उनकी भी सुननी चाहिए। गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, हम इनसे निवेदन करते रहते हैं और जो असंवेदनशील हैं। माननीय राधा मोहन सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हम जो भी आग्रह करते हैं, देश और खास कर बिहार के लिए, हम बांका संसदीय क्षेत्र से चुन कर आते हैं। हमारे वहां इतनी ओलावृष्टि हुई थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि गाड़ियां पत्थर पर चल रही हैं या ओलों पर। इसलिए किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पशुधन और जानमाल की हानि हुई है। मेरा यह कहना है कि जहां मौसम का मिजाज बदला है, वहां किसानों की तबाही हुई है। आप किसानों को मुआवजा दीजिए, किसानों को बचाइए और बिहार सहित देश में तथा हमारे बांका क्षेत्र में बेहतर इंतजाम कीजिए ताकि जो किसान आज रो रहा है, वह रोए नहीं बल्कि उसके शरीर पर मरहम लगाने का काम किया जाए। किसान ही देश के निर्माता हैं और देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत से हो कर गुजरता है।

महोदय, यही बात मुझे कहनी थी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

*SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): It is an unfortunate but hard-hitting truth that protests on the agrarian crisis have become a calamities, bad weather yielding bad harvests, forcing them to get out on the streets is an attempt to find a resolution.

The farming profession is a unique one. A farmer has to have the skills and knowledge of an agriculture scientist so he can assess the health of soil and seeds, the crops that will be suitable for the weather and land of that region, the sources of water, whether he will be hit by any adverse weather conditions and such other; a farmer has to have the strength and skill of a labourer if he does not have the resources to hire one; a farmer has to be good at marketing so that he is not taken advantage of by middlemen and agents during negotiations; a farmer has to be an able financier if he has to keep his accounts and money in order for household expenses, reinvestment in farming activities, education of his children, etc. What this tells us it that a farmer is not simply a farmer but he has to be a scientist, labourer, MBA graduate and economist- all rolled into one, in order to be truly successful. Such is the pressure that is laid upon one who chooses farming as a means to livelihood.

Our country has been carrying the legacy of being an agriculture-rich country for decades now. For years we have also proudly claimed that nearly 50% of our population is occupied in agriculture. But we have been bogged down by the sad truth that, over the years, the number of people occupied in agriculture has been dwindling. The erstwhile Planning Commission had reported that in the years between 2004 and 2010, there was a decline by over 15 percentage points. That is the unviable nature of the agricultural profession today.

What is sadder is that India has been under producing food items that are inherently part of our food culture. We actually have to import dal from African countries like Tanzania in order to meet our internal demand for a staple pulse like dal. There was a time when millets were a mainstay in the consumption pattern of

^{*}Speech was laid on the table.

our society but they have now been bypassed for short-term gain of growing wheat and rice instead. A crop like millets contributes to the nutritional level of the populace and is among the few crops that is climate resilient, making it more viable than most other crops. Yet we have moved away from such sustainable farming practices.

The subsidy regime that targeted only foodgrains and neglected pulses, oilseeds etc. was short-sighted and has resulted in this situation where we have to import items that are staple to us. When the past governments spoke of being inclusive, they should have realised that inclusion is not limited only to humans- it also applies to our crops, our agriculture and our basic sustenance.

The number of small and marginal farmers has also been increasing. According to the Agricultural Census 2011, nearly 80% farmers have an average landholding size of less than one acre! The smaller the plot of land, the less a farmer can break even. How can agriculture be a sustainable profession then? I, therefore, stress the need to promote industrial farming not only to augment production of crop items that were once produced in plenty but also to develop a strategy that is more sustainable than small and marginal farming.

Even if the Government or a group of private people are to take up industrial farming, how do we do so without ease in land acquisition procedures? Land is not being acquired for wasteful endeavors. Land is being acquired to give back to the society that which they have demanded for and which they need for their own development. As we live in Lutyens Delhi, we demand for good roads, good water, good traffic control, good green cover- all of which have been provided by the government and provided well. Why should the same trust in the government and access to facilities not be extended to the rest of the country? Are these not double standards then, wherein we readily accept the services provided by the government in our own backyard but are not willing to afford the same opportunity to the common masses.

The manufacturing sector that was given a fillip after this government came to power. It is a well-known fact that of the agriculture, manufacturing and services trio, the services sector has been a major contributor to our GDP. While this sector has been growing, agriculture has been dwindling because of the risks involved and manufacturing has been stalled because of bureaucratic delays. The boost in the manufacturing sector through projects such as a Make in India will prove to be a good alternative for those who are seeking to diversify from agriculture.

It is that the present Government is trying to correct and expand. Even in advanced economies, studies have shown a trend of shifting from mining and agriculture to manufacturing as development and growth occurs. We, therefore, have to strengthen our manufacturing base as well so there is a more balanced growth in the economy. This is the vision that was required for boosting our economy and this is the vision that the present government seeks to implement.

This may be a lesser known fact but agriculture is not limited to the rural areas alone and has made its mark in a metropolitan city like Delhi as well. Along the banks of river Yamuna you have thousands of urban farmers who mainly cultivate vegetables. The exact number of farmers and the yield output is unknown because no proper survey has been conducted here. There are complex issues of illegal living on the land, unauthorized constructions, illegal land use but fact remains that you have a number of people who sustain on vegetable produce from these small tracts of land and find this more financially viable than growing grains in their hometowns.

WPI inflation rate was reported to have deflated to -2.06 only two days, ago on 16 March 2015. This would bring much cheer to producers and consumers alike but we have to take sufficient step to ensure that inflation in the prices of vegetables, including in Delhi, has to be controlled in light of the agrarian crisis that has affected the whole country. In this context, I would like to laud the Agriculture Minister for starting tech-enabled Kisan Mandis in Delhi. The

Ministry had also given me a detailed reply to one of my unstarred questions on this topic citing the development of a common e-market platform. This is on a pilot basis but it can go a long way in ensuring that farmers can sell their produce at reliable farmer's markets without being run down and swindled by the multiple middlemen in the supply chain. Agriculture marketing thereafter will be the responsibility of the State and one can only hope that they will show as much vision and boldness in their decisions as the Centre has.

I would like to end by citing policies regarding to two most important concerns of a farmer, irrespective of a crisis- these are soil and water. Agricultural practices on these two factors of soil and water have been so unsustainable that with each passing year a greater crisis loomed on the heads of farmers. We should have had regular soil health tests to determine the viability and suitability of the crop that will be grown in a season but this need was ignored. Fertilisers were promoted widely instead of our age-old traditional organic farming methods, and these chemicals were spread so far and deep that today the soil has a changed quality. Water pumped for irrigation had been subsidised for short-term gain but the thinking did not go so far ahead as to understand the irrevocable depletion of groundwater table and how there should have been simultaneous measures to recharge groundwater. Is it any surprise that agriculture has become so unsustainable and prone to crisis then?

It is on the foot of this crisis that the initiatives led by this Government have become so vital. For irrigation, all the disjointed initiatives under various Ministries have been combined under Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna, 'Per Drop-More Crop' and is steered with a bottom up approach that will focus on water sources and distribution networks. Soil health Cards for each farmer, i.e. 14 crore soil health cards to be issued over 3 years, are being promoted extensively and this has been complemented with the Paramparagat Krishi Vikas Yojna to revive organic farming. The advantages of these forward-looking strategies can be gleaned from the agricultural situations in states like Gujarat and Madhya Pradesh.

The growth rate of GSDP in Agriculture (from 2007-08 to 2011-12) in Madhya Pradesh with the highest growth rate was 7.6% and in Gujarat was 4.8% whereas in states like Haryana and Maharashtra it was only 3.3% and 2.0% respectively (State of Indian Agriculture Report 2012-13). Gujarat is a state where alluvial soil is not as rich for farming in comparison to Haryana and Maharashtra. Yet Gujarat has surpassed these states because of measures that focused on the two most important factors of water and soil through regular groundwater recharging techniques and soil health tests.

By 2017, the Government proposes to cover Integrated Watershed Management Programmes across the country on mission mode as it has been a successful model of replenishing irrigational needs. IWMP is only one among many such practices. I, therefore, urge all the members of the House to come together in identifying the best practices across the country that will help us tide over the present agrarian crisis. We should give a boost to sustainable agriculture practices such as organic farming that have been an integral part of our tradition and adopt modern practices that have been successfully implemented in other states.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, आपने नियम 193 के अंतर्गत देश में कृषि की दशा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आज महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में जिस तरह से किसान की हालत हो चुकी है और जिस तरह से बेमौसम की बारिश हो रही है, इस कारण सभी किसानों के घरद्वार और फसल आदि ध्वस्त हो रहे हैं, इससे किसान बहुत परेशान हो चुके हैं। दुर्भाग्य से आज तक महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में कभी इतिहास में ओले नहीं गिरे थे। पिछले दो दिन पहले कोंकण के सभी प्रांतों में कम से कम पॉव-पॉव किलो के वजन के ओले गिरे हैं। आज देश में आम के फल पैदा होने का समय है, काजू के फल आने का, पश्चिम महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में संतरे आने का मौसम है, जिस पर किसान का पूरे वर्ष गुजारा चलता है। लेकिन ओले गिरने से महाराष्ट्र के किसान और फल उत्पादक किसान बर्बाद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन साल से सूखा था, जिसके कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में पीने का पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश के कारण संतरा और अंगूर की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन किसानों को मदद देने के लिए शासन के स्तर पर जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है।

महोदय, आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी के सभी सांसद मार्च के महीने में माननीय कृषि मंत्री जी से मिले थे। कृषि मंत्री जी के ध्यान में हमने सभी बातों को लाने की कोशिश की गयी थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी ने उसको गम्भीरता से देखा। और तुरंत ही केन्द्र सरकार की टीम महाराष्ट्र में भेजी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो टीम गई वह एक ही दिन में पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके आ गई, यानी टीम को जिस तरीके से देखना चाहिए, उसकी स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए, वह कर नहीं सकती, क्योंकि सवेरे आठ बजे से रात से 10-12 बजे जब वे खेत में जाते थे तो रात के अंधेरे में खेती का परीक्षण करने की कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं थी और ऐसे वक्त मे जिस तरीके से केन्द्र सरकार के पास सही रिपोर्ट आनी चाहिए, वह आ नहीं सकी। यह बात ठीक है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों की कुछ न कुछ मदद तो की गई है। लेकिन फल उत्पादक किसानों की जिस तरीके से मदद की जानी चाहिए, वह मदद नहीं की गई। लेकिन केन्द्र सरकार की टीम भेजकर नुकसान का परीक्षण करने का जो तरीका है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा वहां की स्थिति की एक रिपोर्ट राज्य शासन केन्द्र के पास जब भेजता है तो मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी टीम वहां भेजने की बजाय राज्य शासन को बुलाये, उनके अधिकारियों को यहां बुलाये, हम जैसे

लोकप्रतिनिधियों को बुलाये और उस स्थिति का एक अंदाजा लें और राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र से जो सहायता दी जानी है, वह सहायता देने की कृपा करें।

महोदय, कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बहुत बदलाव करने की जरूरत है। आज जो छोटे-छोटे किसान हैं, वे कृषि बीमा की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन खासकर रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, कोंकण के जो आम उत्पादक किसान हैं, उनमें जो बड़े किसान हैं, वे इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन जिनकी खेती कम है, उनका इश्योरेंस से उतना संबंध नहीं है। इसलिए आज की जो स्थिति है, जिस तरीके से सम्माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार के माध्यम से अभी 33 परसैन्ट का नुकसान यानी 33 परसैन्ट से ऊपर जिनका नुकसान हुआ, उन्हें मुआवजा देना का कानून बना, लेकिन दुर्भाग्य से परसों महाराष्ट्र की तरफ से नुकसान की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट में भी पचास परसैन्ट से ऊपर और पचास परसैन्ट से नीचे ऐसी रिपोर्ट तय की गई है। अगर केन्द्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया होगा तो तुरंत राज्य सरकार के पास भी इसकी जानकारी करने के लिए और उसका इम्पलीमैन्टेशन करने का आप तुरंत आदेश दें। खासकर एक ऐसी बात होती है कि कई बार ऐसा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र के लिए कह सकता हूं कि कम से कम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पांच हजार किलोमीटर का एक क्षेत्रफल है, लेकिन कभी-कभी उस पांच हजार किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंदर 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में दो-तीन घंटे के लिए ऐसा तुफान आता है, जिसमें बारिश भी आती है और तूफान भी आता है और उस तूफान से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उससे पेड़ गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। लेकिन जब उसका पंचनामा करने का वक्त आता है, उसे मुआवजा देने का वक्त आता है तो वहां की जो वेधशाला होती है, उस वेधशाला में उसकी रिपोर्ट नहीं होने के कारण उन किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर या राज्य सरकार के माध्यम से यदि उस स्थिति की रिपोर्ट की जाए तो उन फल उत्पादक किसानों के लिए भी केन्द्र और राज्य सरकार से सहायता मिल जाए और जो अभी के कानून हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, मैंने आपके माध्यम से खासकर कोंकण के किसानों की हालत सदन के समक्ष रखी है और मुझे भरोसा है कि केन्द्र के सम्माननीय मंत्री जी से जब कभी हम मिलते हैं तो वह गंभीरता से सुनते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं असलियत में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सही कदम उठाने की विनती करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापित महोदय, आज यह सदन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 50-60 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। आज उस समुदाय की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह सारे देश के लिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है। जब किसानों की दुर्दशा होगी, जो हमारी खाद्य सुख्शा का प्रबंध करते हैं और जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, अगर उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी और उनके आत्महत्या करने या परेशानी में पड़कर जिस कारण से भी उनकी मौत होती है, तो यह हम सबके लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अच्छी बात यह है कि हमारे गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों सदन में मौजूद हैं और अगर उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है तो यकीनन आने वाले समय में, गृह मंत्री मंत्री जी अध्यक्षता में जो तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, इसमें जो मापदंड है, उसे बदलने की उम्मीद की जाती है, जो मानक है, उसे बदलने की बात कही जा रही है। अगर उन सब चीजों को सरकार ने गंभीरता से लिया तो मैं समझता हूँ कि हम किसानों को कुछ राहत पहुँचा सकते हैं।

महोदय, हमारे यहाँ अभी भी फसल बीमा का उस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है, जिससे किसानों का जो नुकसान इस प्राकृतिक प्रकोप से हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके। कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है, लेकन वह नाममात्र है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपको और पूरे सदन को इस बात का एहसास होगा, क्योंकि यह एक जगह तक सीमित नहीं है, देश के हर राज्य में, देश के हर जिले में किसी न किसी रूप से किसानों को नुकसान पहुँचा है। ओला पड़ने से हो, बारिश से हो, सूखे से हो, किसी न किसी रूप से किसानों का नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार आगे आए और राहत का काम तेजी के साथ हो। यहाँ हमारे साथियों ने कहा कि यह वक्त ऐसा है, यह इतना कठिन समय है, क्योंकि किसान कर्ज के बोझ से पहले ही दबा हुआ है और उस कर्ज से उसे कैसे निजात मिले, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर कर्ज माफी हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मदद और कुछ नहीं हो सकती है। आज किसान उस पोजिशान में नहीं है, उस हैसियत में नहीं है कि वह उस कर्ज को बैंकों को अदा कर सके। जो उनका नुकसान है, आने वाले दिनों में अगर हम राहत के तौर पर उनको कुछ मदद नहीं करते हैं तो फसल लगाने में जो उनकी राशि लगी है शायद उसकी भी पूर्ति नहीं होगी।

महोदय, मैं इतना ही कहूँगा, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं गृह मंत्री जी से कहूँगा कि वे खुद किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत होंगे, हमारे कृषि मंत्री भी उससे अवगत हैं,

इसलिए यह वक्त ऐसा है कि तमाम मापदंड से ऊपर उठकर किसानों की मदद करने की जरूरत है, तभी जाकर किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज पूरे देश में दैवीय आपदा के कारण हमारा किसान बदहाली के कगार पर है। किसान दु:खी है तो यह मान लिया जाए कि पूरा हिन्दुस्तान दुःखी है। हमने गाँव-गाँव जाकर अपनी आँखों से देखा है कि कुछ भी नहीं बचा है। आज हमारी सरकार को हम बधाई देते हैं कि उसने बड़ी संवेदनशीलता के साथ डेढ़ गुना मुआवजा देना तय किया है, यह वास्तव में बड़ा सराहनीय कदम है। अब तक 50 फीसदी फसल नुकसान होने पर जो मुआवज़ा किसान को दिया जाता था, उसको भी बढ़ाकर 33 फीसदी किया गया है और 33 फीसदी फसल नुकसान होने पर अब मुआवज़ा दिया जाएगा। लेकिन हमने प्रदेशों में देखा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीयत है, नीति है और उनके बैठे हुए तमाम जो अधिकारी हैं जिनका किसानों को 25 से 75 रुपये प्रति एकड़ देना संवेदनहीनता दिखाता है, ये किसानों के प्रति संवेदनशून्य हैं जो हम सबके लिए बहुत आहत का विषय है, बहुत दुख का विषय है। आज हमारा किसान बड़े सपने संजोए बैठा था कि हम अपने तमाम कर्ज़ों से मुक्त होंगे, अपने बच्चों का ब्याह करेंगे और कहीं न कहीं अपनी झोंपड़ी से आगे बढ़कर अपना घर बनाएँगे। उसने पक्के घर की कल्पना की थी। वह बीमारियों के कारण कर्ज़ से लदा हुआ था। बहुत से ऐसे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जिन्होंने इस सदमे के कारण आत्महत्या की जिसने हम सब लोगों को झकझोरकर रख दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सांसद बड़े परेशान हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार की जो सुविधाएँ हैं, किसानों के प्रति उनकी जो वेदना है, उसका जो मुआवज़ा देना तय किया है और उनका रकबा भी कम किया है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि जो हमारे प्रशासन का पैसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत ठीक न होने की वजह से उनकी मंशा है कि वह गरीबों में लोकप्रियता हासिल करें, साइकिल बँटवाएँ, लैपटॉप बँटवाएँ, लेकिन आज जो किसान मरता जा रहा है, जिसका हक बनता है, आज उसको सही मायने में मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा है। मैं तीन बातें माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगी। पहला यह कि सर्वे बड़े पैमाने पर धांधली के साथ हुआ है। देश के प्रत्येक जनपद में कितना हैक्टेयर गेहूँ किसान, कितना हैक्टेयर आलू किसान, कितना हैक्टेयर दलहन और तिलहन किसान है, उसका एक लेखाजोखा तैयार कर लीजिए। दूसरा यह कि कितना गेहूँ किसान है, इसको तय कर लिया जाए। मेरे ख्याल से घर बैठकर आपका सर्वे पूर्ण हो जाएगा और तमाम किसानों के साथ हम न्याय कर सकेंगे। लेकिन मंशा ठीक नहीं होती है, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगी कि इनकी शुरू से ही नीयत ठीक नहीं लगती है। जब भी कोई आपदा आती है, तो ये पैसे का सही वितरण नहीं करते हैं। बाढ़ आती है

तो इनकी मंशा रहती है किसानों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। आज का जो पैसा भारत सरकार का 10-11 हजार करोड़ रुपये गया है, उसका वितरण प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मात्र दो-तीन किसानों का किसी गाँव में दिखा दिया जो हम सबके लिए बड़े ही दुख का विषय है। मैं आग्रह करूँगी कि पुनः सर्वे कराया जाए और इसी पैटर्न पर कि कितने किसानों का कितना नुकसान हुआ है, और कितने हैक्टेयर बोया गया है, वह आपके कंप्यूटर में खतौनी के द्वारा होगा। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उसका वितरण हो जाए, तब जाकर हमारे किसानों को न्याय मिलेगा। हम चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, वे यहाँ बैठे हुए हैं। पुनः हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का सर्वे कराया जाए, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद मोर्य (फूलपुर): माननीय सभापति जी, प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों पर जो आफत आई है, वास्तव में उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देने का काम करूँगा कि जो क्षति है, पहले 50 प्रतिशत पर उन्होंने मुआवज़े की बात कही थी, सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन अब 33 प्रतिशत की क्षति होने पर भी उन्होंने किसानों के लिए मुआवज़े की व्यवस्था की है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो डेढ़ गुना मुआवज़े की राशि को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यहाँ सदन में हमारे गृह मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश की दशा क्या है? किसानों का दर्द समझने का काम अगर जमीनी स्तर पर जाकर किसी ने किया है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जाकर किया है। प्रदेश सरकार तो बदले की भावना से भेदभाव करते हुए काम कर रही है। वहां जो सर्वे का काम चल रहा है, उस सर्वे के काम में इतना भेद है, इतनी अव्यवस्था है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के कई गांव, जो पूरी तरह से तबाह हो गये, चाहे वह रबी की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, सब का सब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन मुआवजे के नाम पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं अभी दो दिन पहले अपने क्षेत्र में भ्रमण करके वापस आ रहा हूं, लेकिन अभी उनका सर्वे का काम भी पूरी नहीं हो पाया है। समाचार-पत्रों में नित आप देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा, क्योंकि, मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां 75 प्रतिशत क्या, मैं 85 प्रतिशत किसान कह सकता हूं कि उनके पास एक हैक्टेयर में जमीन नहीं है, उनके पास बीघों में जमीन है, इसलिए यह जो मुआवजे की व्यवस्था है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था की जा रही है, केन्द्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन किसानों में वितरण काम इतना शिथिल है, सर्वे का काम इतना शिथिल है कि किसान उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है और प्रतिदिन आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मैं चूंकि एक किसान का बेटा हूं, मैंने स्वयं अपने हाथों से खेत के अन्दर काम किया है और किसानों को जो कितनाई होती है, उसको मैं जानता हूं कि जिस प्रकार वह फसल की बुवाई करता है, तमाम प्रकार के कष्ट सहता है और कष्ट सह करके अगर खेती में कुछ पैदा होता है तो पैदा होने वाला जो सामान होता है, उस सामान में से जो सबसे खराब सामान है, जो बाजार में बिक नहीं सकता, वह उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखता है और जो बिकने वाला होता है, वह बाजार में चला जाता है।

किसान इस समय बहुत कितनाई में है, दर्द में है। केन्द्र सरकार की ओर से जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, उस राशि का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है। कहते हैं कि 'का वर्षा, जब कृषि सुखानि' आज किसान के ऊपर आफत आई है, उसे अपने बच्चों का एडमीशन कराना है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी तो शादी का संकट उसके सामने दिखाई दे रहा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किस प्रकार से करुंगा। उसने सोचा था कि किसी प्रकार से में अपनी जो झोंपड़ी है, उसमें रहने के लिए ठिकाना बनाऊंगा, उसने तमाम प्रकार के सपने देखे थे, लेकिन वे सपने चकनाचूर हो गये। इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो संकट किसानों के ऊपर आया है, मेरी जानकारी के अनुसार, मैं भी कम से कम 30-32 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का संकट कभी नहीं आया था। इस संकट से किसान बड़ा आहत है। मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जो लापरवाही बरत रही है, जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

उनके लिए यदि मुआवजे की व्यवस्था है, किसान को तब तक हम सुखी नहीं देख पाएंगे, जब तक वह खेत के अन्दर जो भी बोता है, खेत के अन्दर बुवाई होती है, लेकिन फसल बोने और काटकर घर लाने के बीच में इतने संकट रहते हैं कि उन संकटों को ताकते-ताकते जब फसल को कटकर के घर आना चाहिए, तब प्राकृतिक आपदा हो गई। मैं आज यहां सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि अब फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिए। उस प्रावधान के अन्दर किसान की जो बीमे की राशि है, उसे किसान नहीं दे सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। जो परिवार किसानी पर निर्भर है, वह अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, अगर कोई बीमार हो जाये तो उसकी दवा नहीं कर सकता, बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, इस प्रकार के संकट का सामना किसानों को करना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि फसल का बीमा कराया जाये और बीमा कराने के बाद किसान की एक बीघा फसल की अगर क्षति होती है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस आपदा में भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों के प्रति संवेदनहीनता का पिरचय दिया जा रहा है। किसी गांव में केवल बयानबाजी हो रही है। भारत सरकार की तरफ से जो पैसा जा रहा है, उसे बांटने का भी काम नहीं हो रहा है। इसकी भी जांच करायी जानी चाहिए कि इस प्रकार का भेद कौन कर रहा है? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? ऐसे अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पिछली फसल गड़बड़ा गयी थी और इस साल की फसल भी गड़बड़ा गयी है। उसके मुआवज़े की राशि देने के नाम पर जितनी लापरवाही है, उस लापरवाही के कारण हमारा किसान परेशान है। इसलिए उसकी एक समय-सीमा निर्धारित की जाए। कोई प्राकृतिक आपदा आती है और अगर हम छः महीने केवल उसका सर्वे करने में लगा देंगे तो जो पीड़ित किसान है, उसको हम राहत पहुंचाने की ज़गह उसको कष्ट देने का काम करेंगे। इसलिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके लिए दस-पन्द्रह दिनों की एक समय-सीमा होनी चाहिए। किसानों के इस संकट के समय में जो अधिकारी उसका सर्वे करके और उसकी रिपोर्ट देकर उन्हें राहत पहुंचाने के काम में लापरवाही बरते, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I want to lay the following:-

- (i) NDRF/SDRF should be amended as per need of the hour and
- (ii) The limit of one hectare and two hectares should be abolished or amended suitably

^{*} Speech was laid on the Table.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, the country has been facing a major agrarian crisis for the past one year. There are various reasons for this. The first and the foremost reason is the inadequate and unrealistic fixation of MSP for almost all the crops. Apart from that, there are other things like sluggish procurement by FCI, non-availability of crop insurance schemes to the farmers and failure to provide input subsidies to the farmers affected due to natural calamities.

Sir, the farmers stood to lose, be it cyclone, be it drought or be it hailstorm. The farmers are affected even during the bumper crop period. This is majorly due to insufficient MSP and improper collection of grains by the Government agencies. If you take the figures of last ten years, last year was the year where the lowest MSP was given to the farmers. It did not even cover 20 per cent of the annual inflation.

A lot has been spoken about the M.S. Swaminathan Committee Report where it has been recommended that input plus 50 per cent cost should be fixed as MSP for the farmers. During the current year even the minimum MSP, which was declared, is of no use to the farmer because the FCI and other Government agencies failed to procure whatever grains have been produced by the farmers.

If you take the case of Andhra Pradesh, out of 81 lakh tones of rice produced last year, only 17.2 lakh tonnes of rice were procured by the Government agencies. A year before, more than 37 lakh tonnes of grains were procured by the Government agencies. Due to this sluggish procurement system, farmers had to sell their produce at distress sale of Rs. 200 below the MSP. This is the case not only with *Kharif*. Even during this *Rabi* season there is not much of procurement being done. If the procurement is given to the States, it is going to be a disaster. Unless the Centre involves in the procurement, justice is not going to be done to the farmers.

If you take the Delta Region of Andhra Pradesh, the East and West Godavari districts, only Rs. 780 is being given for 75 kilogramme of rice. There is nobody to rescue them. Agriculture is not a matter of food security alone but it is a source of our livelihood also. For example, in USA, 0.7 per cent of the workforce produces around 354 million tonnes of food grains. But in our country, 49 per cent of our population is dependent on agriculture for their livelihood and produce only 259 million tonnes of food grains. This is the last year's figure. This gives us an idea that it is not just food security but even the livelihood of the country is dependent on agriculture.

The Government should fix MSP on a more realistic basis and continue with the previous procurement policy where the FCI had collected around 75 per cent of the grains. We have the slogan 'Make in India'. I request the Government to have another slogan 'produce-in-India' where we can export our food grains to other countries and our farmers get benefited. The recent unseasonal rainfall has caused extensive damage in various parts of the country.

It has caused extensive damage in Andhra Pradesh also. There must be a national policy through which we can compensate such farmers by waiving off loan taken for that particular crop and even waiving off interest.

Sir, the coastal Andhra Pradesh was severely affected by Hudhud cyclone and the loss was estimated at Rs.21,000 crore. Only 10 per cent of that had reached farmers and the rest of that loss had to be borne by farmers.

Especially the Rayalaseema region in Andhra Pradesh and even my constituency, Rajampet, which is a part of the Rayalaseema Region, had been affected by severe drought. It is really pathetic to see 30-year old mango trees which have dried up. If we go into those villages, it is like ghost hanging. These farmers have brought up those crops, and 30-year old trees are dying due to lack of water. The Government should step in and help these people. Whatever crops that they could manage with whatever water that they had were hit by the recent hailstorms.

I would like to request the Government to set up a high powered Committee so that each and everyone who have been affected are benefited by all the Schemes. Various rehabilitation programmes should be provided to these affected farmers so that our farmers, who are the backbone of our country, are benefited.

Thank you.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सभापित महोदय, आपने नियम 193 के तहत कृषि की समस्या पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं कृषि की समस्या के बारे में सदन में कहना चाहूंगा कि हमने आजादी के बाद से जो विकास के पैमाने तय किए, जो विकास के रास्ते तय किए, आज हम उसी का फल भुगत रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से असमय बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की तबाही हुई, उससे पूरे देश के किसान तबाह हुए।

मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं, वहां के भी किसान, खासकर लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा सिहत पूरे झारखंड के किसान ओलावृष्टि और असमय बारिश के चलते परेशान हुए और उनकी फसल मारी गई। देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत किसानों के राहत की बात कही और खासकर उन्होंने पचास प्रतिशत से नुकसान का दायरा तैंतीस प्रतिशत तक घटाया, उसका लाभ सचमुच झारखंड के छोटे-छोटे और मझोले किसानों को मिलने वाला है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

हमें विचार करना होगा कि कृषि की स्थिति देश में बार-बार ऐसी क्यों होती रही है? सच्चाई यह है कि देश की आजादी के बाद से अब तक जो 12-13 पंचवर्षीय योजनायें हुईं, उनमें से मात्र पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को प्राथमिकता दी थी। आज तक देश का जो कृषि क्षेत्र है, अपनी योजनाओं में मात्र तीन से चार प्रतिशत ही उनको अंशदान मिलता है और उसी हिसाब से बजटीय प्रावधान होता है। क्या यह विचार का विषय नहीं है, जिसको हम 68 प्रतिशत कहते हैं, जो कृषि पर निर्भर है, वैसे यह संख्या भी बेईमानी इसलिए हो जाती है, क्योंकि आज दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले अनेकों लोग ऐसे हैं, जिनको कहीं न कहीं कृषि से सरोकार है, उस 75 प्रतिशत आबादी की हमने चिंता नहीं की? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से हमने देश के अंदर नीतियों की गड़बड़ी के चलते कृषि को नुकसान पहुंचाया है।

15.54 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

देश की आजादी के बाद कभी हमने कबूतर उड़ाने के रोमांच के तहत रिशया की नीति अपना ली और कभी हम अमेरिका की ओर झुक गए। नतीजा इस देश के किसानों का बंटाधार होता रहा है। अगर हम आजादी के पूर्व जाएं, तो आप ही की मद्रास प्रेसीडेंसी में यह उल्लेख है कि रामनाथपुरम जिले में 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रति हैक्टेयर बीस टन धान का उत्पादन होता था। अगर आज के पैमाने पर हम जोड़ें तो प्रति एकड़ आठ टन धान का उत्पादन होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी आज हम 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन कर पाते हैं। उसका कारण यह रहा है कि हमने अपनी प्रकृति और भारतीय कृषि संस्कृति के अनुरूप कृषि को प्रश्रय नहीं दिया है। उनके हिसाब से हमारे जो परंपरागत सिंचाई के

साधन थे, जिनमें तालाब, आहर और कुआं थे, उन विधियों को छोड़ कर हमने बड़ी-बड़ी योजनाओं का अनुसरण किया है, जिनके कारण हमारी कृषि को नुकसान पहुंचा है।

मैं सदन को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश में 22 हजार से ज्यादा धान की प्रजातियां थीं और हर क्षेत्र के लिए धान था। बलिया जिले में एक 'सुरहा' ताल है, वहां हमने देखा है कि जितना पानी ऊपर आता है, उतना एक बित्ता धान की फसल ऊपर उठ जाती है। इसका अर्थ यह है कि हमने अंधाधुंध नकल किया, हमने अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उस पर विचार नहीं किया है।

में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी हमारी आवश्यकता लगभग 200 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति है लेकिन हमारा उत्पादन प्रति व्यक्ति 175-180 किलोग्राम धान है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए हमें नीति आवश्यकताओं के अनुसार बनानी होगी। अगर हम भारत में कानपुर को पैमाना माने तो हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट ऑफ कानपुर और वेस्ट ऑफ कानपुर, खेती की दो दुनिया हैं। जहां वेस्ट ऑफ कानपुर में कृषि उन्नत है, सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, वहीं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, पूर्व के राज्यों में कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी है। वहां आज भी हमारे खेतों को पानी नहीं मिलता है। वहां किसानों को सही बीज नहीं मिलते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि आप जब भी कृषि की नीति बनायें तो अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से नीति बनायें, तभी हम आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

अंत में, मैं एक बार फिर माननीय कृषि मंत्री जी से झारखण्ड राज्य पर विशेष ध्यान देने की मांग करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important issue.

After the formation of the State of Telangana with effect from 2nd June, 2014, the hon. Chief Minister of the newly formed State, Shri K. Chandrasekhar Raogaru has thought of some agrarian reforms in Telangana. By recognizing the importance of land reforms for reconstruction of agrarian relations, there are some provisions in our Constitution. These provisions are facilitating to achieve democratic social structure, elimination of exploitation in unequal distribution of land and increasing agricultural productivity.

The landholding structure plays an important role in the performance of agriculture sector. Land reforms have been on the national agenda since Independence to improve the performance of agriculture as well as for rural reconstruction. In addition, creating great access to land for the landless poor, particularly, SCs, STs and Other Backward Classes, is an important Poverty Alleviation Programme. Though there are a number of limitations in implementation, land reforms played an important role in changing the agrarian structure. The early land reforms measures in the State were a combination of two administrative histories of the Andhra Region and the Telangana Region which were formerly been under the British and Nizam respectively. Following the pattern at the all-India level, the land reforms in Andhra Pradesh had three components – abolition of intermediaries, tenancy reforms, ceiling legislation and other Government initiatives.

Sir, on the 15th August, after getting Independence and after the formation of Telangana, our Chief Minister from Golkunda Fort had distributed *pattas* to SCs. To each of them, he had promised to give 3.5 acres per household. That has already started. He has started distributing it; and the people are also happy.

e Government regarding subsidy continues, it will lead to more suicides by farmers. It is a very dangerous situation. Since you have withdrawn the subsidy on short term loan, the small and marginal farmers are in trouble. Ultimately, it will lead to suicides by farmers; the rate of suicides by farmers will increase. Therefore, the Government should respond to that. Hence, I would request the Government to reintroduce the interest subsidy scheme in respect of the agricultural sector immediately.

16.00 hrs

To attain Golden Age for the farming and to turn into the reality that a farmer is King, the misery and gloom of the farmers should be removed. It needs a strong political will. To make it possible, all of these problems have to be tackled at different levels and require intervention by various institutions over the short as well as medium term. The new role envisaged to the State Government will require a substantial increase in public expenditure. Therefore, at least, public expenditure on agriculture and allied activities should reach 5 per cent of GSDP in the next Budget. In addition to this, there is a need for further land reforms with strong political will. The spirit of land reforms has not yet materialized in all the ways. Finally, the political will have to translate them into Government policy and on the ground level implementation.

After the formation of the State of Telangana with effect from 2nd June, 2014, Shri K. Chandrasekhara Rao Garu, through his visionary initiatives had brought a paradigm shift *vis-à-vis* land reforms in the State of Telangana. During a very short period of ten months under the able guidance of the Chief Minister, the farmers were for the first time freed from debilitating power crisis. As a matter of fact, during the last 30 years, the farmers used to suffer due to heavy load-shedding stretching up to 7 to 8 hours. But all that is a thing of the past now. During this past ten months or so, the farmers have been getting undisturbed power supply of about 9 hours everyday. This had helped them to gainfully utilize the irrigation water for farming purposes and sow the seeds for the first time.

Under these favourable circumstances, the farmers of Telangana were expecting a rich harvest by 26th April, 2015. However, the recent unforeseen torrential rains have caused huge damages in various parts of Telangana including Warangal, Karimnagar, Mehboob Nagar, etc to name a few. This has resulted in phenomenal loss to the crops running into crores of rupees as well as loss of livestock.

Sir, our hon. Minister for Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu Ji has also visited Nalgonda district and has seen with his own eyes the loss which has occurred. The crops were ripe and were ready for harvest. This was a big loss which was recorded. The horticulture in Karimnagar in hectares was 20,343, in Adilabad, it is 2,164 hectares, in Mahabubnagar, it is 1,216 hectares, in Medak, it is 3,000 hectares, in Ranga Reddy, it is 1,355 hectares, in Nizamabad, it is 789 hectares, in Warangal, it is 3,032 hectares and in Nalgonda, it is 2,110 hectares. The total damage which occurred was about 34,013 hectares. There was a huge loss. Already mangoes were ripe and as you know, May is the season for mango. The people of Telangana were ready to eat the fruits which they had earned.

In the same way, there is a report which has been given in regard to the agriculture crops. A lot of paddy, maize, sesame, bajra, jowar crops were damaged which totalled up to 55,805 hectares.

Hence, I request through the Agriculture Minister that they should come to the rescue and immediately, a Committee should be formed and they should be sent to Telangana. A proper study should be done and as I understand, the hon. Prime Minister has said that 33 per cent of the loss will be considered as a total loss and that should be implemented immediately and the farmers should be rescued very much.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जब वसंत ऋतु की शुरूआत होती है और इस बीच जब होली का त्योहार होता है उस त्यौहार पर गांव में रहने वाले लोग चाहे वह किसान हों वे साल भर की ब्राईयों को भूलकर उसे होली में जला देते हैं और उस जली हुई मिट्टी के राख को अपने माथे पर लगाकर खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। आज किसान के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है, जहां किसान को एक ओर राज्य सरकारों द्वारा समय पर खाद नहीं मिल रहा है, जिस खाद का दाम 5,000/- रुपये मीट्रिक टन है उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते भेजकर 20,000/- मीट्रिक टन बेचने का काम किया। किसानों को खाद न मिलने के कारण, सिंचाई समय पर न मिलने के कारण किसानों ने संतोष कर लिया। वह होली के अवसर पर बुराईयों को भूलकर खुशी का अनुभव कर रहा था। लेकिन बेमौसम बरसात होने के कारण किसान की सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के साथ खड़े होकर उनको स्विधाएं देने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों को सर्वे कराकर रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे न होने के कारण किसान बर्बाद और तबाह है और किसान आत्महत्या करने पर विवश हुए हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर विवश हुआ है। मैं स्वयं कई मौकों पर गया हूं। भारत सरकार ने चिंतित होकर अपने अधिकारियों को भी प्रदेश में भेजने का काम किया। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं हमारे लोक सभा क्षेत्र में गए हैं और उन सारी चीजों को देखने का काम किया है। इसके बावजूद किसानों का दुख तभी दूर होगा जब उनको तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उस आर्थिक सहायता में किसानों का जो बिजली बिल, सिंचाई बिल, कॉपरेटिव से खरीदा गया खाद, उसे माफ करने का काम किया जाए। उनके बच्चों को पढाई करने में भी कठिनाई आ रही है उनको भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसानों को आसान शर्त पर ऋण दिया जाए। भारत सरकार ने मुआवजे की राशि को डेढ़ गुणा बढ़ाने का काम किया है। विगत तीन वर्षों में किसानों ने किस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसल बोयी है, उसका उत्पादन कितना हुआ है, अगर आप तीन वर्षों का आकलन कराकर वर्तमान में जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार ने 33 फसदी नुकसान को भी दैवीय आपदा में शामिल करने का निर्देश दिया है। इससे ज्यादा ही प्रदेश और देश में नुकसान हुआ होगा, हमारे क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। पिछले तीन वर्षों का आकलन कराकर मुआवजा देने का काम किया जाए। हमारा लोक सभा क्षेत्र कानपुर में गंगा के किनारे से शुरू होकर यम्ना तक जाता है। हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड जैसी स्विधाएं नहीं है, हमारा रेवेन्यू का एक रिकार्ड है, सीलिंग एक्ट जो 1960 में बना था उसके अंदर जोत सीमा का वही प्रावधान था जो बुंदेलखंड में है, 27 एवं 45

एकड़ सिंचित और असिंचित का है। यमुना नदी की मुख्य धारा से 16 किलोमीटर उत्तर की ओर सीलिंग एक्ट में लागू किया गया है लेकिन किसानों को उसका सुविधा नहीं मिल रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा अमराहट पम्प कैनाल को चालू किया गया था उसका एक चरण 1986 में चालू किया गया था लेकिन अगला चरण आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी चालू कराने का काम किया जाए। कानपुर देहात में निचली गंग नहर है यह सबसे नीचे का क्षेत्र है, सबसे आखिरी क्षेत्र है, वहां के किसानों तक कभी भी पानी नहीं पहुंच पाता है। कानपुर देहात और कानपुर नगर को भी बुंदेलखंड जैसी विकास की सुविधाएं किसानों को प्रदान की जाए तभी किसान पर मरहम लगाने का काम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I like to thank you that you have given me this opportunity to speak on the agrarian situation in the country.

All of us know that at present a situation like mid 60's has arisen in our country. Now a days the peasants, agriculture workers and artisans, who are living in villages, are not getting enough work. That is why they are not getting enough food and drinking water for themselves. The situation in the countryside has worsened.

Recently we have seen that unseasonal rains and storms have affected 106 lakh hectares of land. The figure of 106 lakh hectares has been given by the government officials. More than 14 States like Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana have been affected by these storms and rains.

We know that due to neo-liberal policies of the erstwhile Governments, more than 3 lakh farmers have died. We have never seen this before; we have never heard this before that the people, who are giving food to us, who are the backbone of our country, who are mother and father of our country are dying if kisans do not work, we cannot get our food. Farmers are dying regularly. They have died due to lack of remunerative price for their produce in the last two decades.

We hoped, after the coming of the BJP Government in power, that the situation would change. But what we see in the villages are that the peasants are still dying by hanging themselves or consuming poison. In the 10 months of Modi's Government it is reported that near about 75 thousands peasants have given their life. In this situation, we hope that this Government would give the proper ear and hear the voice of peasants, who are providing food to our country.

When your turn comes, you may also speak. I am talking about the peasants, about the kisans. It is the real problem of the country. Why are you disturbing me? HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Sir, I demand that in this critical situation, the Central Government should immediately sanction and provide full compensation to all peasants in the country, agricultural workers and artisans, who have been affected in this recent calamity in these 14 States, for loss of human lives and livelihood.

With these words, I conclude and thank you.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापित जी, आज नियम 193 के अधीन कृषि और किसानों पर आई आपदा के ऊपर यह सदन अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। मैं अपनी बात शुरु करने से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस देश में प्राकृतिक आपदा का किसानों को हर दो तीन साल में सामना करना पड़ता है। वर्षों के अनुभव के बाद किसानों के साथ नीतिगत मामलों में जो न्याय होना चाहिए, अभी तक उसकी अनदेखी हुई है। पहली बार भारत सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की नीति में और किसानों को कितना मुआवजा दिया जाए, इस पर चिंतन किया। मैं सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा कृषि मंत्री जी के प्रति अपना बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा।

प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता। सरकार मदद करती है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके अपनी बात रखी है कि कैसे मुआवजा मिले, किस तरह से मदद हो। मैं चाहता हूं कि नीतिगत फैसले होने चाहिए। प्राकृतिक आपदा होती है, सबसे बड़ी राहत सरकार की मदद के रूप में आती है और दूसरी बीमा के रूप में आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में राज्यवार बीमा की नीति किसानों की मदद के लिए बननी चाहिए। जो बीमा नीति उत्तर प्रदेश में किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, आवश्यक नहीं है कि वही बीमा नीति महाराष्ट्र में भी लाभ पहुंचाए। जो महाराष्ट्र में कृषि बीमा नीति है, यह आवश्यक नहीं है कि उस बीमा नीति का लाभ मध्य प्रदेश के भी किसानों को मिले। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो बीमा की नीति बने, वह राज्यवार बने। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने प्रदेश में अपनी बीमा नीति बनाने का फैसला किया है। इस तरह से अगर राज्यवार बीमा की नीति बनेगी, किसानों को अगर सीधे उस राज्य में कि वह कौन सी फसल लगाता है, कौन से महीने में कौन सी फसल लगती है, उस आपदा से क्या नुकसान हुआ, स्थानीय स्तर पर अगर उसका आकलन हुआ तो शायद हम किसानों की बेहतर मदद कर पाएंगे।

आम तौर से अति वृष्टि, ओले और बहुत ज्यादा बारिश से जो प्राकृतिक आपदा आती है, उससे किसानों की फसल को क्षिति पहुंचती है लेकिन अति बारिश में उसका आकलन नहीं होता। कई बार बारिश में अगर दो इंच पानी गिरा है, वहां भी वह उतना नुकसान कर जाता है कि जितना नुकसान वहां नहीं होता जहां पर 6 इंच पानी गिरता है। यह फसल के ऊपर निर्भर करता है। अगर दलहन की फसल है तो दो इंच पानी भी नुकसान कर जाता है लेकिन अगर फसल गेहूं की है तो 6 इंच पानी गिरने के बाद भी नुकसान नहीं होता। इसलिए स्थानीय परिस्थितियां आकलन का आधार बने, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

दूसरे, जो हमारी बीमा की कंपनियां हैं, उनकी बाध्यता तय होनी चाहिए। हमारी जो बीमा नीति अभी बनी है, वह तहसील के आधार पर थी। उसमें गांवों और किसानों को आधार बनाया जाए। बीमा कंपनियों की बाध्यता रहे, मोटर दुर्घटना होती है तो उसमें यदि किसी का नुकसान होता है तो कंपनी बगैर खबर के सीधे उसको एप्रोच करती है, मदद करती है लेकिन किसानों की जब क्षति होती है तो किसानों का प्रीमियम तो लोन के साथ काटा जाता है लेकिन जब उसकी क्षति होती है तब बार बार आग्रह करने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। इसमें सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि जैसे ही प्राकृतिक प्रकोप अगर किसानों पर होता है तो बीमा कंपनियों को आगे बढ़कर, स्थानीय प्रशासन के साथ कोआर्डिनेशन करके किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिर्याणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षिति हुई है। मेरा यह भी सरकार से अनुरोध है कि जिन राज्यों में अभी क्षिति हुई है और वहां पर जो अनाज बचा है, कम से कम स्थानीय सरकारों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसे खरीदने का काम करना चाहिए। भारत सरकार गेहूं खरीदती है, दलहन फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज निर्धारित करती है लेकिन हिंदुस्तान की मंडियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज के ऊपर अनाज खरीदा नहीं जाता है। सामान्य परिस्थितियों में किसान इस बात की परवाह नहीं करता है लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हैं। आज परिस्थितियां किसान के अनुकूल नहीं हैं। किसान आज प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, कर्जे से जूझ रहा है। हमारे साथी ने भी कहा है कि आज किसान इस हालत में भी नहीं है कि वह बिजली का बिल अदा कर सके। इन स्थितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर मंडी के अंदर उनका माल खरीदा जाए, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। आज किसान की लागत का मूल्य बढ़ रहा है। किसान की लागत का मूल्य हर वर्ष बढ़ता है लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइज में उतनी वृद्धि नहीं होती है, इस बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार किसान की परवाह की जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार किसानों की तरफ पूरा ध्यान देगी और किसानों की मदद करेगी।

उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, श्री राधा मोहन जी, कृषि मंत्री सदन में बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यों में नुकसान के बाद राज्य सरकारों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि किसानों की क्षिति को देखने के लिए केंद्र सरकार किसानों के बीच गई है और किसानों के दुख दर्द को देखने का काम किया है। यह किसान के लिए सुखद अनुभूति है। किसानों में उम्मीद जगी है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी और कृषि मंत्री

राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह सरकार किसानों की मदद करेगी। मैं चाहूंगा कि सदन हमारी राजनीतिक मान्यताओं से ऊपर उठकर राजनीति न करते हुए देश के किसानों की समय पर मदद की जा सके, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस राज्य में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उस जगह ईमानदारी से किसानों के बीच जा कर मदद करे, यही हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Deputy-Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on this issue. The farmer is India's backbone. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please maintain order in the House.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is the problem?

... (Interruptions)

SHRI RAHUL GANDHI: Whatever we have constructed; whatever we(*Interruptions*) have built; whatever has been achieved in this country whether it is IT or defence, etc. all these structures sit on top of our foundation. ... (*Interruptions*)

आप घबराइए मत, मैं हिंदी में भी बोलूंगा। Everything has been built on a foundation that has been provided to us by the farmer. The farmer gave us the Green Revolution, and the Green Revolution happened because the farmer was given abundant credit and because the farmer was provided with the idea of MSP so that he could sell his crops....(*Interruptions*) अभी बोलता हूं। Today ... (*Interruptions*) HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not make any comment.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kindly allow me to run the House. If you do not like, you can go outside and sit there.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If a Member is speaking, he must be allowed to speak.

... (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Deputy-Speaker, Sir, you have to control them. ... (*Interruptions*) This is unacceptable. ... (*Interruptions*) The Parliamentary Affairs Minister is sitting here. ... (*Interruptions*) He should control them. ... (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI: Anyway, Sir, I am sorry to say that on the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our Government, the *Acche Din* Government -- that is their name, not my name, so I take their permission to use it -- The acche din Government has failed the country.

I would like to point out a little bit about the MSP and agricultural credit. In our time, UPA Government's time, agricultural credit grew by 700 per cent. It went up to Rs. 8 lakh crore and 6.5 crore farmers benefited from this. Our average increase in credit was an average 20 per cent every year. I am sad to say that the current Government has only given an increase of 5 per cent.

Comparing MSP, the current Government has allowed it to stagnate. This is the heart of agriculture. Our record is available with everyone. I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. And what has the current regime done over the last year? I would like to say wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and cotton has been raised by Rs. 50. As if that was not enough, our farmers are struggling.

What is the result of this? You talk about defending the country and you talk about strengthening the country. What is the result of this? Result of this is that during our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the 'India Shining' Government, your record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. MSP is where it was; agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent. How can you talk about strengthening this country, if the foundation of the country is that farmer? How are you going to do that?

Someone from an NGO came to me two days ago, before our rally and he said that he had gone to meet Mr. Gadkari. First, I would like to praise Mr.

Gadkari, who is not here. I would like to praise him because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. This is I would like to praise him और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को न भगवान पर और न ही सरकार पर भरोसा करना चाहिए। ...(व्यवधान) अच्छी बात है कि जो उनके दिल में था, वह उन्होंने कह दिया। ...(व्यवधान) दिल की या मन की बात। ...(व्यवधान) अभी कहता हूँ As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

ओले पड़े, बारिश पड़ी और किसानों का नुकसान हुआ। ...(व्यवधान) सबसे पहले में आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) एक छोटा-सा सुझाव देना चाहता हूँ। पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, हिन्दुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख हेक्टेयर में नुकसान पहुँचा है। ...(व्यवधान) 14 राज्यों में नुकसान हुआ है। 40 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद आपके एक्सपर्ट्स 180 लाख हेक्टेयर में नुकसान की बात कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वह गलत है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह नुकसान 106 लाख हेक्टेयर में हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं, भईया प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर अफेक्टेड है। ...(व्यवधान) तो सबसे पहले आप हमें बताइए एक्सपर्ट्स सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सही कह रही है। तीनों सही कह रहे हैं।...(व्यवधान) यही बीजेपी का तरीका है। यहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, कि तीनों एक ही बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान) किसान को नुकसान हुआ।...(व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): चूंकि गलत आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं। शायद जानकारी मिलने में एजेंसी ठीक नहीं रही होगी। 180 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान बताया। जब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान बताया था। कृपया इसमें सुधार कर लें।...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में ऐसा बताया था।...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने बताया था।...(व्यवधान) यह गलत बात है।...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: मैं आपको एक सुझाव देता हूं। ये कनफ्यूजन हो रहा है कि कोई 106 लाख हेक्टेअर कह रहा है, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें। क्यों नहीं वे जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वे वहां जाकर उन लोगों से बात करते। ...(व्यवधान) गेहूं मण्डियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसे आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, उसे आप लाठी मारकर भगा रहे हैं।...(व्यवधान) देखिए स्वामीनाथन जी ने कहा है।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I request you to control them. I request the Parliamentary Affairs Minister to control their Members. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will manage it.

श्री राहुल गांधी: महोदय, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है किसानों की मुश्किलों को इग्नोर और मजदूरों की आवाज नहीं सुनती है। आपकी सरकार उद्योगपितयों की सरकार है, यह बात सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं,...(व्यवधान) बड़े लोगों की सरकार है।...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You have got to control him. ... (*Interruptions*)

श्री **राहुल गांधी:** आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Why are you upset? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Take your seat.

... (Interruptions)

श्री राहुल गांधी: अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया: ये लोग क्यों इतना शोर कर रहे हैं...(व्यवधान) यह कोई तरीका है!...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: नहीं वो सही हैं। वो...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): आप सब बैठ जाएं, पप्पू यादव जी आप भी बैठ जाएं। हमें हाउस चलाना है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य पार्लियामेंटरी मर्यादा के अनुसार बोल रहा हो तो उसे बोलने का अधिकार है। बाद में आप में से कोई बोलना चाहे तो उसे मौका मिलेगा, यह संसदीय पद्धित है। इसलिए किसी को भी बीच में टोका-टाकी या किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बहस है, सदन में हो रही इस बहस को पूरा देश देख रहा है।...(व्यवधान) पप्पू यादव जी आप बैठ जाएं, आप सुबह वैल में आए थे। किसी भी व्यक्ति को बीच में इंटरिफयर नहीं करना चाहिए इसलिए मेरा निवेदन है कि शांति से बहस होने दें।

श्री राहुल गांधी: अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया है, उसका आपने ऑक्शन कर दिया है इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, खुश! यह सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं इसीलिए आप इतने जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को और मजदूर को आपकी सरकार नेग्लेक्ट कर रही हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह रनिंग कमेंट्री कब बंद होगी?

श्री राहुल गांधी: अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधान मंत्री हैं...(व्यवधान) देश के

कुछ माननीय सदस्य: वह देश के प्रधान मंत्री हैं।

श्री राहुल गांधी: ठीक है, वह देश के जो प्रधान मंत्री हैं, अगर वे देश के हैं तो आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वो आपके नहीं हैं...(व्यवधान) मैंने गलत बोला क्या कि वह आपके नहीं हैं...(व्यवधान) देश के तो हैं, मगर आपके नहीं हैं?...(व्यवधान) फिर क्यों चुप करा रहे हों मुझे...(व्यवधान) ठीक है, वो आपके प्रधान मंत्री नहीं हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं। वो पोलिटिकल केलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, वह मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देश की 60 प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर है। किसान, मजदूर हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 60 प्रतिशत नहीं, 67 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है।

श्री राहुल गांधी: ठीक है 67 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। आपके जो प्रधान मंत्री है, देश के जो प्रधान मंत्री हैं, वो पोलिटिकल केलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि अगर वह पोलिटिकल केलकुलेशन समझते हैं तो इन 60 प्रतिशत लोगों पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सवाल है, प्रैग्मैटिक व्यक्ति हैं तो क्यों 60 प्रतिशत लोगों को नाराज कर रहे हैं? मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि इसका क्या कारण है? स्वामीनाथन जी ने कहा है कि , अंग्रेजी में कोट है तो मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ।

Future will belong to nations with brains, not guns. डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन्स की बात होती है, 60 परसेंट जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एक ही जवाब मिला कि हिन्दुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है, वह तेजी से बढ़ रही है और आपके कॉरपोरेट्स दोस्त उस जमीन को चाहते हैं।...(व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो आप किसान और मजदूर को कमजोर कर रहे हैं और जब वह कमजोर होगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा तब आप उस पर अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60 प्रतिशत लोगों को इग्नोर कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Bijoya Chakravarty, you are a very senior Member of Parliament. How can you speak without my permission? Please take your seat.

श्री राहुल गांधी: प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60 प्रतिशत किसान मजदूर हैं। उनको राजनैतिक फायदा होगा, अगर वह अपनी साइड बदल दें। आपने वायदे किए हैं, अगर आप लोग कारपोरेट्स के वायदे तोड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप किसानों और मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में वे आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो बड़ी-बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि उनके हाथ में इस देश की शक्ति हैं। यह गलत है, इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। With this, I would like to conclude my intervention. Thank you very much.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): उपाध्यक्ष महोदय, वह जो बोलते हैं, वह हम सुनें और हम जो बोलते हैं, वे लोग भी सुनें, यही महत्वपूर्ण होगा। एक दिन में और एक बहस में कुछ नहीं होने वाला है और यह बहस चलती रहेगी।

I also come from an agricultural and rural background. I really feel sorry for the farmers. ... (*Interruptions*) I am intervening as a Minister. ... (*Interruptions*) Shri Suresh, please have some patience. As a farmer, I also want to open up my heart. ... (*Interruptions*) यह बात आपको भी मालूम है...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Please open up your coffers also.

श्री एम. वैंकेया नायडू: कॉफर्स ओपन करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 रुपये का जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया है, ज्योति बाबू आपको इसको थोड़ा समझना चाहिए।...(व्यवधान) इस तरह के ब्राउनी पॉलीटिकल प्वाइंट्स स्कोर करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि इन विषयों के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, नीति आयोग, पॉलीटिकल पार्टीज़ को पूरे सिस्टम के ऊपर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। हम पिछले पचास साल से सरकार नहीं चला रहे हैं। हमें आए हुए नौ-दस महीने ही हुए हैं। देश के सामने जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए सभी लोगों को मिल कर कोशिश करनी चाहिए।

Sir, today, a politician wants his son to be in politics; an industrialist wants his son to be in industry; a businessman wants his son to be a businessman; a doctor wants his son to be in medicine; and an actor wants his son to be an actor, even if his face is not good still they are thrusting on us! But today no farmer wants his son to be in agriculture. The reason is that agriculture, because of a variety of reasons, has become unremunerative. That is why there is a large scale migration. ... (*Interruptions*)

This is my observation. आपकी ओपिनियन नहीं है, ठीक है। Can I speak for you? I cannot. ... (Interruptions) मैं परकाया प्रवेश करके, आपके मन में प्रवेश करके नहीं बोल सकता हूं।

The share of agriculture in the GDP which was 26 per cent has come down to 13 per cent in 2012-13. It had come down from 26 per cent to 13 per cent by 2012-13. As I told you, there is every need to increase the output; there is every need to spend more on research and development; there is every need to spend

more on our facilities for the rural extension officers going around the fields and educating the farmers in a better manner. These are all long-term measures and these are measures to be taken up in the country as a whole.

We are discussing two issues. The first is the recent instance of hailstorm and untimely rains. जो ओलावृष्टि हुई, वह एक विषय है। अभी जो हुआ, वह आठ-नौ स्टेट्स में हुआ। उससे किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इसके बारे में एक तरफ सोचना चाहिए, दूसरी तरफ हम लोगों को लांग टर्म में खेती के बारे में सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

The people have decided who represents the *kisan*. I will come to that point a little later. My point is this. The Government and the hon. Prime Minister are sensitive to the issue of farmers. That is why we are happy that the moment it happened the hon. Prime Minister called the Agriculture Minister and other senior Ministers and asked them to go around the States. ... (*Interruptions*)

I am in public life for the last 40 years. ... (*Interruptions*) He called the Home Minister, the Rural Development Minister, the Agriculture Minister, and the Parliamentary Affairs Minister. ... (*Interruptions*) आप चिंता मत करो, वे सब लोग खड़े होकर बोलें तो भी मैं समाधान दे सकता हूं, आप निश्चित रहिये, आप चिंता मत करो। मेरा यह कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्री, सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और कृषि विभाग में सहायक मंत्री और सब लोग हैं, लेकिन आपको अपना नेतृत्व का विषय आ जाता है, एक व्यक्ति के बिना आप लोगों को कोई दिखाई नहीं देता है। ...(व्यवधान)

We are a Cabinet. Yours is one whereas ours is everyone! That is our policy. Please try to understand that. ... (*Interruptions*)

Shri Jyotiraditya Scindia and Shri Suresh, do not get it back again and again. आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम होगी। ...(व्यवधान)

The moment this hailstorm happened, all these Ministers had been asked to go to different States. The Ministers have gone to different States. Even I, as Parliamentary Affairs Minister, have visited the State of Telangana along with the local Member of Parliament Shri Narsaiah Goud. We have interacted with the farmers.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हमारे प्रधान मंत्री कहां गये?

श्री एम. वैंकेया नायडू: आपके प्रधान मंत्री हार गये, इसिलए घर पर बैठे हैं। ...(व्यवधान) और देश के प्रधान मंत्री देश में काम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ किसानों को पुरानी सरकार के जमाने में जब कृषि में नुकसान होता था तो यदि उनको पचास परसैन्ट नुकसान होता था, तभी उन्हें कुछ रिलीफ देते थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद...(व्यवधान) प्लीज, क्या यह बीमारी आपको भी पकड़ गई है?...(व्यवधान)

AN HON. MEMBER: Members from your side are making noises.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Both sides are responsible. It is a contagious disease and has come from that side to this side. I am also finding it difficult. Sir, the problem is this is a contagious disease and we should take care to see that this disease is stopped once for all.

Sir, my point is, when we went and met the farmers in different parts of the country, particularly the affected areas, the situation there was really horrible. Heavy rains and hailstorm came and the farmers whose crops had come up to the cutting level, just about to be harvested, their total paddy, wheat, mango, papaya, cotton, chilly and other cash crops were badly affected. The farmers were naturally worried. When we went there, we informed the farmers also that earlier only if 50 per cent of the crop is damaged it used to be considered for compensation. I am happy, Sir, this Government has reduced it to 33 per cent. It is a very positive step taken by the Government.

Secondly, earlier Rs.1,20,000 compensation used to be given to the family of the deceased. Keeping in view the helplessness of the ordinary people, this Government has enhanced the amount of compensation from Rs.1,20,000 to Rs.4,00,000. Sir, whether it is the loss of cattle, milch animal, cattle shed, crop, boat of the fishermen or rural artisan implement, for all these things the compensation has been adequately raised to 50 per cent, 60 per cent, 70 per cent and 80 per cent.

I really applaud the initiative taken by my colleague Shri Radha Mohan Singh and his team of Ministers and officers in the Agriculture Ministry. As soon as this had happened, he wrote to all the States. I had been a Legislator in an Assembly. Normally, when something like this happen the State Government first makes a visit and sends a report to the Central Government. The Central Government then sends a Central team of officers who then go around and give a report. At the end of it there is a high level Committee presided over by the Home Ministry, Agriculture Ministry and Finance Ministry representatives who then consider the report. This Government in a proactive measure, as it is concerned about the plight of the rural people, first deputed senior Ministers to the spot. Secondly, requested the State Government to spend money from State Disaster Relief Fund (SDRF). Once it is exhausted they can also send the report to the Central Government. Once the Central Government receives the report, it will depute the team to visit the affected areas. After this the high level Committee meets which announce adequate relief and rehabilitation measures for the affected people. That is the new practice this Government has introduced after coming to power.

Sir, as a new initiative taken by the Government, Rs.59,100 per person is being given to the person with disability between 40 to 60 per cent; Rs.2,00,000 per person if the disability is more than 60 per cent; Rs.12,700 per person requiring hospitalization for more than a week. एक हफ्ते से ज्यादा हॉस्पिटल में रहे तो उनके लिए 12,700 रूपया देने का सरकार ने निर्णय किया है। The Government has decided to give Rs.4,300 per person requiring hospitalization for less than a week; Rs.1800 per family for loss of clothing. कपड़ा गया तो भी उनको 1,800 रूपया देने का सरकार ने निर्णय किया है। Then, Sir, for the loss of utensils, जो ग्रामीण इलाके में गरीब लोग होते हैं, उनके यूटेन्सल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। It is very difficult for them to get back those utensils if they are lost in a natural calamity like flood and other things. The Government has taken care also ... (*Interruptions*)

आप बैठिए, आप अपनी जगह पर बैठिए।...(व्यवधान) रिलीफ कैम्प में जो एडल्ट होते हैं, उनके लिए 60 रूपए देने का, जिसके मकान का नुकसान हुआ, मकान का पुनर्निमाण करने के लिए जो पहले पैसा देते थे, उसको भी बढ़ाया है। रेन फेड इलाके में एग्रीकल्चर क्रॉप का नुकसान हुआ तो उनका जो पहले काम्पन्सेशन 6,800 होता था, उसको 13,200 तक पहुँचाया है। ...(व्यवधान)

Please have some patience. Why are you afraid of facing the facts? Please have some patience. The Government has announced Rs.30,000 for loss of buffalo, cow, camel, sheep, goat, etc. हर एक विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने ध्यान दिया है और सबको राहत पहुँचाने का सरकार ने निर्णय किया है।

मेरा कहना यह है, I will come back to the other issues, यह केवल तात्कालिक मदद के लिए, टैम्प्रेरी रिलीफ के लिए, जिनका नुकसान हुआ, उनको मदद करने के लिए केन्द्र सरकार का कदम है। यह पर्याप्त है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर जितना आटा, उतनी रोटी। केन्द्र के पास कितने साधन हैं, कितना पैसा है, विरासत में जो हमें मिला है, नौ महीने के पहले जो विरासत में हमें मिला है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। Sir, my friend from the Congress Party has mentioned the Swaminathan Commission. Yes, he said that grains are more important and that future belongs to grains and not to the guns. Our Government also believes in that but this Swaminathan Commission was appointed in November 2004 and it gave its report in 2006. From 2006 to 2014, there was a different Government... (Interruptions). I am only trying to place the facts... (Interruptions)

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): जो गलती ये किए हैं, वही गलती क्या आप भी करेंगे?

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: हम नहीं करेंगे, आप चिन्ता मत कीजिए। हम भी नहीं करेंगे और आपका भी परिवार एक हो गया है, आप भी पुरानी गलती दोबारा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। ...(व्यवधान)

ये हमारे मित्र हैं और पहले हमारे साथ थे। उस समय आपातकाल में क्या हुआ, मैं सबको याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि स्वामिनाथन कमीशन का पूरा अध्ययन करके उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। मगर सरकार 2006 से 2014 तक उस पर पूरा अमल नहीं कर पाई, इसलिए इस सरकार को भी कुछ समय देना चाहिए। अभी केवल नौ महीने हुए हैं। इन रिकमंडेशंस के बारे में गहराई से विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

आप लोग चिन्ता क्यों कर रहे हैं? गहराई से इन विषयों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यह सरकार अध्ययन करेगी। भूपेन्द्र जी, उनके बारे में आप चिन्ता क्यों करते हैं, हम देखेंगे। ...(व्यवधान) हम

ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रैली में सब लोगों को हम ही लाए, उनके लिए गुलाबी हैडिगियर पहनाया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सरकार में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। हम टीम इंडिया हैं। We are a team. The Central Government and the State Governments should work together.

Coming back to the main point, we all have to put our heads together. All the political parties, Niti Aayog, media and also Parliament, we have to put our heads together to find out some ever lasting and long term solutions.... (*Interruptions*) An initiative has been taken by this Government also. There are a lot of pro-farmer steps and pro-rural steps.

With regard to rural credit, it was Rs.8 lakh crore and now it has been enhanced to Rs.8.5 lakh.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: It is only five per cent.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If Rs.8 lakh to Rs.8.5 lakh is only five per cent increase, then I leave it to your calculation... (*Interruptions*).

Sir, we have started Atal Pension Yojana. Our Government is the first Government to think about the rural people and rural road connectivity. हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाँव गाँव तक डामर रोड का निर्माण करने के लिए प्रयास किया। आप लोगों ने पचास साल में नहीं किया। हमने गाँव गाँव तक डामर रोड का निर्माण किया because transport is vital for the development of rural people. That had been done effectively. Unfortunately, in the last 10 years that has been given a go by. This Government is again focusing more on Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. When it was started, I was the Minister of Rural Development. Once again, I want that the Centre and States should focus on Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. We have to repair and strengthen the roads under the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. This is one objective which has to be there before the entire country. Together we should strengthen the rural road network system.

Another initiative has been taken by our Government.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप यह बताइए कि किसान के लिए आप क्या कर रहे

हैं? ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेया नायडू: आपको यह मौलिक तथ्य मालूम नहीं हुआ ज्योतिरादित्य जी, कि किसान गाँव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। गाँव के लिए सड़क नहीं है तो वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलैक्टर, डाक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गाँव में। सड़क बहुत ज़रूरी है। सड़क के बिना गाँव में विकास नहीं होगा, यह आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए सड़क बहुत ज़रूरी है।

<u>17.00 hrs</u>

इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में...(व्यवधान) जयप्रकाश जी, आपने भी जयप्रकाश जी से प्रेरणा ली, हमने भी प्रेरणा ली, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जयप्रकाश जी ने क्या कहा, आपको भी मालूम है। मेरा कहना यह है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण गोदाम, the other day when I was there in a kisan Panchayat, the farmers told me that the Indian Railways provide wagons for carriage of coal, they provide wagons for other things and that they should provide ... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We want a reply on agriculture and would like to know whether the Government will provide compensation or not; if they give compensation, how much compensation will they give? How they are going to solve this problem? We would like to know whether the Government is going to create a special fund for the farmers or not.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister for Agriculture will reply to the debate. He is just intervening in the debate.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He has every right to intervene, but he cannot give reply to everything, from rail to road and road to rail. We want a reply on the problems of agriculture. How is the Government going to solve the problem of agricultural workers?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: रिप्लाई भी होगा, सप्लाई भी होगी, माइंड एप्लाई भी हो रहा है, इन विषयों के बारे में सरकार ध्यान दे रही है। Why are you disturbed?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सप्लाई हो रही है, पर रिप्लाई नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: देखिये, आप थोड़ा माइंड एप्लाई करिये। मेरा कहना यह है कि कृषि मंत्री जी को जो जवाब देना है, वे जरूर जवाब देंगे। As a representative of the rural people I also feel that I must pour out my heart. The rural godowns, the cold storage and rural

connectivity are important for the rural people. One of the methods for addressing the agrarian crisis is to solve the problems of the rural people and to stop the migration from the rural areas and also to take water to the rural areas. These are the areas on which we should all work together and see to it that allocations are made to these sectors both by the States and the Centre. We should also give more focus and more thrust on the issues relevant to rural areas. That is the point that I would like to make.

Coming back to the issue that our Government represents big issues, I would like to point out to Shri Rahul Gandhi that we are in power only for a period of nine to ten months and your party had been in power for more than 50 years ... (*Interruptions*) Have a sporting spirit. Your leader is patient enough to hear. You also have the patience to listen.

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: खड़गे जी, आप हरेक विषय में खड़े होते हैं, आप बोलते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम आपत्ति व्यक्त नहीं करते तो आपको क्या प्रोब्लम है? ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जब आप रास्ते से भटकते हैं तो हम आपको रास्ते पर लाते हैं।...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We will never divert from the main route. Simply because of headlines in newspapers we will not change our line. The headline in the media cannot be the deadline for us. We have our own line and we are very clear about it. My point is that for more than 50 years the other side was ruling this country. On this side, we have come to power only for a period of 9 to 10 months. Are we patronizing only industrialists? Is giving Rs. 1 lakh compensation going to help farmers or the industrialists? Is making rural roads going to help the rural people or the industrialists? Then there is a scheme of giving one rupee per month premium and also giving Rs. 2 lakh for the rural helpless people, is it going to help the rural people, or the industrialists? A scheme of paying 90 paise per day and Rs. 330 per year and then at the end of it giving a lumpsum amount of Rs. 2 lakh as life insurance, is it going to help the business people or the rural people? The

Mudra bank meant for the ordinary people and the artisans, the fruit vendors, is it going to help the industrialists? An extra allocation of Rs. 5 crore has been made to MNREGA. Is it going to help the industrialists?

Sir, we all know about 'Housing for All' by 2022. Is it going to help only the industrialists and not the rural and poor people? Then, as regards Swachch Bharat, is it going to help only industrialists? All these things have to be thought about. Our Government is committed to farmers. Our Government is committed to poor people. Our Government is committed to rural people and Antyodhya. Upliftment of the poorest of the poor is our motto. But you people, all these years, had only words for the poor and deeds for the rich. That is why, people have brought you there and brought us here. We remember the mandate of the people. I can tell you ... (*Interruptions*) Have patience for five years and then try your luck.

In this Parliament, let us recollect the facts. The highest number of MPs from the farming community are on the side of NDA. The highest number of MPs belonging to Scheduled Castes are on the side of NDA. The highest number of MPs belonging to the Scheduled Tribes are on this side. The highest number of women MPs are on this side. That being the case, how can you tell us that we do not represent the poor people, we do not represent the farming community? We represent the farmers. This Government represents the poor people and rural people. Our thinking is for the rural people; our thinking is for the farmers. On day one, the Prime Minister even before taking his oath, made it very clear that farmers, women and rural people are our priority.

Now you are talking about the Land Bill. Sir, I am happy...... (*Interruptions*) You do not get confused. If I am trying to confuse you, you do not get confused. The Land Bill has been brought after much deliberations.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: No deliberations.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This has been brought after a meeting of the Minister, after receiving letter from the Congress leader in the other House, after receiving a letter from the Chief Minister and receiving a representation from 28

States on different issues saying that there is a need to have a relook at this issue. Sir, 13 Central Acts were exempted by my friend, Shri Jairam Ramesh from the purview of the Land Act. If you do not make a legislation, the farmers in those areas will be affected and deprived of the four time compensation. I do not want to elaborate on this. Still we have time and when the time comes and the issue comes up, we will discuss it. Earlier, the same House discussed it and three-fourths of the House have approved the legislation. How can you say that it is one-sided? The number is high on my side in democracy. On your side, the number is less. Try to understand the numbers.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is why, the Ordinance has come. ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You have issued 462 Ordinances. सौ चूहे खाकर बिल्ली हज़ को चली।...(व्यवधान) आप इतने ऑर्डिनैंसेज जारी करके हमें प्रवचन दे रहे हैं।...(व्यवधान) We have issued hardly ten Ordinances. You have issued 462 Ordinances. Let us not try to score political points. Facts are there before the people. People are wise enough. They are intelligent enough and they will understand and decide. Sir, curse can be given by people who have the capacity and morality. Curse cannot be given by people who have been rejected by the people. That has to be understood by one and all.

My point is, it may be your wish. If you give some meaningful suggestions... (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Time decides. ... (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Time decides. Time has sixty minutes in an hour, 24 hours in a day, 30 days a month and 365 days in a year. So, that is time and one has to understand this.

Sir, let my friends have some patience. You have ruled for 50 years from Centre to State. दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, मुख्य मंत्री से लेकर

म्युनिसपैलिटी तक पूरा अधिकार आपके हाथों में जनता ने दिया।...(व्यवधान) आपने क्या किया, वह देश के सामने है। नौ महीने में हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं, वह भी देश के सामने है। देशवासी जागरूक हैं। वे अपना निर्णय देंगे। कम से कम उनके ऊपर भरोसा रखिए। आप निश्चिंत रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कमज़ोर वर्गों के बारे में ज्यादा ध्यान देती है, किसानों के बारे में ज्यादा ध्यान देती है, ग्रामीण इलाके के बारे में ज्यादा ध्यान देती है। इसलिए हमारी संख्या इतनी है और आपकी संख्या उतनी है।

धन्यवाद।

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I support the Government of India initiative for farmers. Unseasonal rains and hailstorm damaged rabi crops in nearly 5000 hectares of land impacting 25000 farmers at Godda (Jharkhand) in this month, even as farmers death.

The situation in Jharkhand and particularly at Santhal Pargana too was far from bitter. We are grateful to our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for his active policy change decision for farmer's life, health, security and food. Our Prime Minister always thinks for poor, farmers, labours, women, youth and unemployed. I urge agriculture minister some of the basic points for his consideration.

Agrarian relations in India had undergone a sea-change during the period of last two decades of economic reforms. One of the serious outcomes of these changes is the incidence of suicides of farmers in different states of the country. Changes in agrarian relations occurred due to the changing policies and change in agricultural market. Changing macroeconomic policies and other changes led to the gross neglect of agriculture consisting of 60 per cent of the population and one fifth of the electorate. This took agriculture and rural economy towards distress. The number of suicide cases in rural parts has been mounting in last fifteen years. More than two lakh of farmers ended their life through suicide. Since the mid 1990s, large section of farm households have been facing a distress as a consequence of decline in agricultural income and loan repaying capacity and increased debt burden. Rain-fed areas are particularly prone to year to year fluctuations in production and degradation in environmental resources. In the present liberalized trade market, farmers are exposed to price volatility because of fluctuations in domestic production and international prices of agricultural commodities. The most serious aspect of this crisis is deceleration in agricultural growth with distress state of farmers in general and that of small and marginal in particular. The issue of farmers indebtedness become a matter of intense debate

^{*}Speech was laid on the table.

whenever agricultural sector faces distress. But, indebtedness is not the root cause of the current crisis. The factors that are responsible for indebtedness are vital in this phenomenon. The underlying causes are stagnation in agriculture, increasing production and marketing risks, institutional vacuum and lack of alternative opportunities. The agrarian crisis in India has both long term structural and institutional as well as short term manifestations. The long term structural features indicate sharp decline in the share of agriculture in the Gross Domestic Product (GDP) accompanied by very low rate of labour force diversification away from agriculture. This has resulted in declining relative productivity of agriculture and non-agriculture sector. The growth rate of agriculture has decelerated noticeably during the post reforms period. The crisis has been exacerbated further by rapid environmental degradation and plate acing the existing agriculture technology. The liberalization of economy has failed to give a big push to agriculture sector and to increase income and employment in agriculture. The gradual withdrawal of state from active participation in development activities has resulted in sharp decline in public investment in agricultural infrastructure in general and agriculture science and technology in particular. This has resulted in deterioration of rural infrastructure and thereby stagnation in agriculture development. Although, almost all the regions of the country have experienced a deceleration in their agricultural growth, the adverse impact is especially serious in rain fed regions and among small and marginal farmers.

The glory of the green revolution has been darkening since the mid 1980s. The income from agriculture had declined with increased cost of cultivation. However, the institutional credit supply dried up and farmers resorted at private moneylenders for their credit needs. The moneylenders took disadvantage of the footloose situation of farmers and charged heavy rates of interest on loan amount doubling the principle amount within a year or two. The situation further aggravated during the post reforms period. Farmers have to face the international market competition without any state support.

The present agrarian crisis is closely associated with the misapplication of the macroeconomic policies towards agriculture during the post independence period in general and that of the post reforms in particular. The blindly following of the developmental policies of the developed countries has an adverse impact on the agriculture sector of the country. The innovation in the agriculture during the 1960s expected in inclusive growth of the sector but has been limited to few crops (Paddy and Wheat) and in few states i.e. Punjab and Haryana. The increase in the agriculture credit remains only on paper and in real terms it has been stagnant over the decades. The co-operatives are far away from their target group i.e. small, marginal and weaker sections of the agrarian community. However, the institutional structure of agriculture produce marketing failed to address the farming community and became a play ground for the new comers in the politics. The functioning of APMCs is like a private entity of the traders, whereas farmers are the mute receiver. This is the situation of the domestic institutional marketing mechanism of agriculture produce. Whereas, at international level, government withdrew the institutional support through reduction in import duties during the 1998 to 2001 from earlier 35 to 5 per cent. At the same time, developed countries continuously support their farmers through direct subsidies under different schemes. Over the years, Indian government reduced the volume of indirect subsidies to the agriculture sector. Which resulted in to increase in the cost of cultivation and the mere stagnant and declined support prices caused for the increase in the gap between income and expenditure.

In all, the subject matter of agrarian crisis and thereby farmers suicides in the country has the positive correlation with the agriculture policies since the independence. The agriculture development in India essentially involves five important phases. The first phase involves the period prior to independence of the country. This period was marked by the retrogression of the sector and ended by leaving the country with perhaps the world's most refractory land problem. The second phase of development of agriculture sector covers the period of

independence influenced both by the indigenous thinking about development i.e. Gandhian perspective and also the western process of growth borrowed from the industrialized countries. This phase ended with the drought of mid-sixties when food security and acute poverty became prominent issues. The third phase consisted the Green Revolution after the mid- sixties. Afterwards India not only met the domestic requirement of food but also became a net exporter of food grains particularly the Wheat and Rice. This was the success of the technological changes of the 1960s. This should be equally credited to the participation of farmers in readily accepting technological innovations along with the availability of new inputs. The role of farmers in the process of the spread of technological changes is of prime importance but acknowledged or highlighted rarely. The halfclad, ill-fed and undernourished farmer with strong resource constrains was fully charge to provide food security to the country and to prove wrong the predictions of a widespread famine by the western economists. Therefore, the achievements of the technological change were possible only due to the farmers' positive role and whole-hearted participation in the process. This was followed by two distinct phases of growth, i.e. the immediate fall-outs of technological change and the phase of new economic policy.

During the pre-independence period, even though food was the major contribution expected from the agriculture sector, the foodgrain sector recorded extremely dismal rate of growth. It is further painful to observe that the foodgrain output grew only at 0.11 per cent per annum which was far below the growth of population during that period. The growth rates in non-foodgrains were higher than foodgrains which indicated strong forces of commercialization operation in the sector. It means, the farmers growing food crops were facing major constrains compared with those growing non-food crops. The growth of agriculture sector came mainly through the expansion of area under the crops and not through improvements in productivity. The productivity growth of 0.01 per cent per annum in all crops indicated stagnation or near absence of any technological changes over

a half century. Production of non-food crops grew at much faster rate than food crops and same trend was visible in area as well as productivity. It points to the historical process of commercialization of agriculture during British Rule, which favoured selected crops and areas of importance. The farmer and his welfare was obviously not the focus of the developmental process then.

At the time of independence, the agricultural economy of the country was clearly a stagnant economy with wide regional diversities, lower resource availability, inadequate institutional support and acute poverty. The policy makers then began with an optimistic note and recognized the problems at the outset. The farmers became the focus of reforms and increasing their efficiency became major objective. Community Development (CD) programme initiated in 1952 for the development of villages by coordinating the activities related to agriculture, animal husbandry, infrastructure and extension at the level helped to create rural infrastructure across blocks (Dandekar-1994)

The National Extension Service Programme of 1952 was also initiated as part of the CD programme. These two initiatives were intended to provide necessary technical inputs to the farmers and organize them for the village development. Early sixties witnessed two important interventions in agricultural development. One, in the form of Intensive Agriculture District Programme (IADP) of 1960-61, for 13 selected districts in the country, to provide a package of inputs and the other, as Intensive Agriculture Area Programme (IAAP) of 1964-65, for selected districts, to provide technological inputs for production improvement.

Farmers and food crops became the focus of the strategy during the phase of Green Revolution. The technological changes focused on Cereals as a broad group and Paddy as well as Wheat as the vanguards of the revolution. The process involved providing essential resources for the transfer of the technology from lab to land along with extension support. In addition to this, other support institutions also helped the technology to take roots in the farm i.e. price policy, agricultural education, extension services and provision of credit. All these presumed the

farmer as a active participant, without really making the group as a part of decision making process at least overtly.

It comes out clearly from data that the non-food crops dominated the growth in the crop economy during 1949-65 and the growth in the production of food crops came mainly through the expansion of area. Growth in productivity of food crops was quite low indicating little gains due to technological innovations during that period. The situation changed after the introduction of new technology. Growth of food-grains was quite impressive. It was food-grains, which contributed mainly to the crop economy, and the growth came out of improvement in yield per hectare. The growth rates in production of food-grains stayed ahead of the growth rates in population in following decades thereby ensuring certain minimum per capita availability of food-grains. The expansion in area under foodgrains more or less ceased by 1980s and growth in production was clearly visible during eighties and nineties. Yield improvement is seen during the seventies and the second spurt in the growth is visible around the late eighties. Production and productivity seem to be stagnated in the post 1997 period. The gains of technological changes were incurred in a few states and for a few crops. A large portion of the farming community was out of the technological changes during the mid 1960s. As a result, the gains from the innovation were not as per the level of expectation. And more vigorously small and marginal farmers were at the marginal in this new commercial agriculture practice. The transformation of the agriculture sector also had its negative externalities. The objections were directed more towards the region, crop and groups of farmers participating in the technological change. The technological change resulted in widening the regional as well as interpersonal disparities.

Foodgrain growth was lower than the rate of growth of population of 1.9 per cent during this period. The 1990s was the first decade since the 1970s in which the rate of growth of food crops fell below of yield levels, especially of some food crops. While the annual yield growth for all crops taken together

decelerated from 2.56 per cent during the eighties to 0.90 per cent during the later period. for Rice, the yield growth rate decelerated from 3.47 per cent to 0.99 per cent and for Wheat from 3.10 per cent to 1.35 per cent. In case of Cotton, the yield growth rate has gone down from 4.10 per cent during the 1980s to 0.69 per cent during the 1990s. The free entry of MNCs in the pesticides production during the reforms period caused the decline in the effectiveness of the same on pests and the spurious pesticides have failed to prevent complete loss of the crop.

Initially the plan target i.e. first five year plan was food security. And we received the success more than the level of expectation. But during the 1960s the situations of food-grains became worst. During that period the Indian agriculture was introduced with the new technological innovation i.e. the Green Revolution. which had resultant impact on the crop productivity and it increased substantially. Irrigation is the key factor for the agricultural development. At the initial stage only 18.1 per cent of the total area under food-grains had irrigation coverage, which was increased later but very slowly. At present 46.8 per cent of the total area under food crops is under irrigation. Still 54.2 per cent of the area is out of the purview of institutional and individual irrigation. This is the obstacle in the 11th five year plan goal of food security. After the implementation of the new policy during the mid 60s there was a boost in the agricultural production and thereby productivity. Till the late 1980s the crop productivity increased substantially. But during the period of new economic reforms and WTO amendment the production of food-grains has been volatile. Further the situation became worse during East Asian Economic Crisis in 1996-97. Another reason of the deceleration or mere stagnancy in the food production is the fundamental Law of Returns. According to the law; at the initial stage of production, all factors of production are efficient hence there is incremental trend in production. As a time passes, the sector experience a stagnation and thereby deceleration due to the over exploitation of technology and natural resources. The law is applicable for the agriculture sector. In India, the boom in agriculture sector during the period of 1970-1990 was the

resultant impact of green revolution of 1966. After 1991 the agriculture sector faced the stagnation and since 2003 the agricultural production decelerated considerably. And the country experienced the food insecurity and thereby food price inflation which has almost crossed the limit of 18 per cent. Hence now the policy makers are thinking about the second green revolution which is expected to give the sustainable food security.

The minimum support price is declared by the CACP on the basis of cost of cultivation and the recommended support price by the state governments. The thrust of the price mechanism is to give a remunerative returns to agricultural commodities. The situation of open market operations for agricultural commodities is always fluctuating which have the adverse impact on the returns from the agricultural operations. While declaring the support prices for agricultural commodities, it is expected that the market price should be above the support price. And whenever the market price is below the support price the government will enter the market for the procurement. Basically the methodology of accounting of cost of cultivation is not beyond doubt. Due to availability of the factors of production ,the cost of cultivation may vary but the accounting mechanism doesn't consider it. The transportation cost is only considered for the crops of Sugarcane and Jute. The cost of transportation is substantially higher for the Cotton due to the time lagging at government procurement centers. As a result, the support price is benefited for the less and incurred losses for the large section of farming community. The average gap between the cost of cultivation and support prices for the year 2005-06 was about 38 to 50 per cent. However the gap between the recommended prices from state government and price announced by CACP is around 50 to 55 per cent. It means the centre announced the support price below the recommended prices by the states.

During the field visit for the collection of primary data for the present study we observed that around 80 per cent of the surveyed farmers are unaware of the Minimum Support Price mechanism. For the year 2010-11 the support price for

Cotton is Rs. 3000/- per quintal and market price during the period is observed around Rs. 45000/-. The fact is that the difference between the support and market prices is due to the decline in the production of Cotton. The cost of cultivation of Cotton is around Rs. 4000/-. It means the cost of cultivation and support price have no positive relationship. The declining returns from agriculture and increase in cost of cultivation resulted in to increase in indebtedness of farmers.

The increasing burden of labour force on a slowly contracting cultivable land area leads to increasing number of holdings with lower size. Over the period 1960-61 to 2003, the number of holdings doubled from 51 to 101 million, while the area operated declined from 133 to 108 million hectares. This has resulted in a sharp decline in average size of holding and growing marginalization. Added to this the fact is that despite land reforms, the land holding pattern continued to be skewed.

Decline in size of holding and increase in the number of small and marginal holdings, as well as, the number of rural landless households had continuously increased after the 1980s. In states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal, Haryana, Maharashtra and Karnataka, the proportion of landless households abnormally gone up after the period of 1986-87.

As well as, the plan and non-plan expenditure on agriculture did not increase in proportion to its share in employment and GDP of the country. Total expenditure on agriculture during reforms period increased slightly which shown a disproportionate trend for the period brings out overall neglect of agriculture in fiscal policy. The unremmunerative state of agricultural operations caused for the increase in landless households. The area operated was declined from 133.48 million ha. to 107.55 million hectare between 1960-61 and 2003-04. As well as the average size of holding reduced from 2.63 hectare to 1.06 hectare during the period of 1960-2003. Increase in landless households on the one hand and decline in total area operated and average size of holding indicated increased in the use of agriculture land for the purpose of industrialization and urbanization. It has

affected the total production of food and non-food crops. Nonetheless, we achieved the food security after the four decades of green revolution.

The most important manifestation of the crisis is deceleration of agriculture growth combined with increasing inefficiency in use of input and thereby adversely affecting the profitability of the sector. The growth rate of GDP from agriculture decelerated from 3.08 per cent during 1980-81 to 1990-91 to 2.61 per cent in 1992-93 to 2002-03. The growth rate of agriculture both in terms of GDP from agriculture and agricultural output has also decelerated in most of the states. Increasing share of service sector in GDP is an obstacle in sustainable development due to lack of creativity. Hence, sectoral transformation in the economy is required. Industrial sector has also shown an increasing trend during the mentioned period. But the share of service sector was high as compared to other sectors. Increasing share of the service sector in GDP indicates that the post reforms policies were more in favour of the same and adverse to the agriculture sector. The negligence of the agriculture in the policy domain has been reflected by the declining share of the sector in GDP during the post reforms period.

The growth of agriculture GSDP shows a declining trend from 3.05 to 2.19 per cent for the period 1983-84 to 2003-04. It means the agriculture GSDP was quite high in pre reforms period and decelerated during the post reforms period. It is expected to grow at 4 per cent per annum but resorted at 2.19 per cent for the decade. The agriculture GSDP of the suicide affected states has also shown a deceleration. In Maharashtra agriculture GSDP dwindled from 5.39 to 1.27 per cent whereas, the GSDP decreased from 7.43-4.92 per cent.

It means both the agriculture GSDP and GSDP shown sharp decline in the post reforms period. Kerala has shown negative GSDP (-2 per cent) for the period. The states like Haryana and Punjab where the green revolution was very successful also experienced a sharp deceleration in agriculture and overall growth during the post reforms period. State like Bihar experienced increase in both agriculture and GSDP for the mentioned period and the same has happened with

Orissa. These are the backward states of the country with high incidence of poverty. Gujarat and Uttar Pradesh have shown tremendous improvement in agriculture sector. Among these, most striking is that GSDP of West Bengal which increased from 4.73 to 7.03 per cent during the post reforms period which was quite high than national average. The states that were comparatively developed in agriculture and general growth, experienced huge setback during the post reforms period. That was happening due to both technological and policy related factors. On the other hand backward states experienced increasing growth in general and agriculture in particular. Agriculture is the root of the sustainable development. Hence, the crisis in agriculture has multiple impacts on economy of the nation as a whole.

The data on public and private investment in agriculture doesn't depict any satisfactory picture but on the contrary it brings out vividly the neglect. From 1996-97 onwards total public and private investment in Indian agriculture has declined substantially and increased slightly for 1990-00. For the subsequent period of 1999-00 to 2004-05, the situation brings out overall fluctuating trend. When public investment in agriculture was not satisfactory the private was also bound to fall and thereby the total investment. The withdrawal of public sector compels an equal reciprocal withdrawal by private sector projects the complementarity hypothesis. Hence, the overall decline in the public investment in agriculture causes for the deceleration in the growth of the sector.

The share of Gross Capital Formation in Indian agriculture in total GCF started to decline since the early 1980s. In the year 1995-96, it declined to 6.3 per cent from 16.1 per cent during 1980-81. There was a steep decline in the share of public sector GCF in agriculture to 17.3 per cent in 1999-2000 from 43.2 per cent in 1980-81. Thereafter it shows a marginal increase. On the contrary, private investment failed to compensate for the drastic decline in public sector investment. The share of private investment was increased during the period 1995-96 to 2003-04. The consequence was that the overall GCF in agriculture as a share of total

capital formation in the country declined sharply from 16.1 per cent in 1980-81 to 7.6 per cent in 2004-05. As well as, the GCF in agriculture to total GDP was stagnated around 2.5 per cent during the abovementioned period and the GCF in agriculture as per cent of aggregate GDP around 11 per cent. It means the government gradually withdrawn the institutional support to the agriculture sector in general and during the post reforms period in particular. This led to unprecedented distress that has been one of the causes underlying the rising trend in the incidence of farmers suicide in the country.

Capital formation is the prerequisite for the economic growth which is widely acknowledged by the models of economic growth. Whereas agriculture development is the precondition of the industrialization. Looking at the trend of capital formation in agriculture sector it declined from 7.8 to 7.1 per cent during the period of 2004-08, which is the period known for agrarian crisis and farmers suicides.

On the one hand, Government announced economic relief packages for suicide hit states and on the other it reduced the share of capital formation in agriculture. The interesting fact is that the share of public sector declined from 6.7 to 6.1 per cent while the share of private in GCF increased from 8.1 per cent to 10.3 per cent. The increased share of private capital formation is a good sign for the development of the sector but this does not seem to be happening due to the decline in share of public sector in GCF. The role of public sector is important particularly in developing economies but the policy makers thrown open the agriculture sector without any safeguards. Which have the negative impact on the sector.

The change in focus during the second plan period (1956-61) towards heavy industries, led to slackening of investment in the farm economy. This has shown the result in the form of slow down in the overall growth of the sector. Then for the next plan, again the expenditure on the agriculture sector declined and thereafter increased little. But it stagnated around 24 per cent of the total plan

expenditure. Actually, it was expected to grow more than 30 per cent during the period of the Green Revolution. After the sixth five year plan (1980-85) the plan expenditure on agriculture declined substantially. Where the seeds of the future agrarian crisis were sown, plan expenditure on agriculture and important allied sectors like irrigation declined much faster during the reforms period than before. Particularly during the period of tenth plan, the ratio of actual expenditure on agriculture to total plan expenditure declined to 10.63 per cent from the earlier 18.83 per cent i.e. ninth plan. This had negative multiplier effects on the agrarian economy of the country. This the period when the agrarian crisis was deeply rooted and took the lives more than two lakh of farmers in the country. After such worst periods of agriculture sector the expectations of agriculture sector from 11th five year plan increased. But the plan also did not complete the expectations and the sector's share in total plan expenditure remained at the level of 9.51 per cent.

There is a fluctuation in the budgetary expenditure on agriculture during the reforms period. The year 1997-98, there was a first big setback to the agriculture sector when the budgetary expenditure declined by 12.74 per cent over the previous year. Thenafter it increased but not significantly. After the year 2000-01 the sense of crisis generated in the agriculture sector. And in the following year the expenditure again declined by 6.92 per cent. Thenafter little attention towards agriculture was given and the expenditure increased by around 25 per cent averagely up to the year 2007-08. And again it declined by 27.46 per cent in 2008-09. Hence, the inconsistency in the budgetary allocation on agriculture sector caused for the vulnerability of the farming community.

The importance of farm credit as a critical input to agriculture is reinforced by the unique role of Indian agriculture in the macroeconomic framework and its role in poverty alleviation. Recognizing the importance of agriculture sector in the development process, the government and the RBI have played a vital role in creating a broad-based institutional framework for catering to the increasing credit requirements of the sector. Agricultural policies in India have been reviewed from

time to time to maintain pace with the changing requirements of the agriculture sector, which forms an important segment of the priority sector lending of scheduled commercial banks (SCBs) and target of 18 per cent of net bank credit has been stipulated for the sector.

The approach paper of the Eleventh Five Year Plan has set a target of the growth of 4 per cent for the agriculture sector within the overall GDP growth target of 9 per cent. In this context, the need for affordable, sufficient and timely supply of the institutional credit to agriculture has assumed critical importance. The evolution of the institutional credit to agriculture could be broadly classified into four distinct phases i.e. 1904-1969 the predominance of cooperatives and setting up of RBI, 1969-1975 nationalization of commercial banks and setting up of Regional Rural Banks (RRBs), 1975-1990 setting up of NABARD and from 1991 onwards the period of financial sector reforms. The RBI is perhaps the first central bank in the world to have taken interest in the matters related to agriculture and agricultural credit, and it is continuously doing (Ramesh Golait-2007). The demand for agriculture credit arises due to; i) the lack of simultaneity between the realization of income and act of expenditure, ii) lumpiness of investment in fixed capital formation, and iii) increase in capital investment in agriculture due to technological innovations and liberalized market. Policy makers in India have long recognized the need to provide short and long term institutional credit to agriculture at reasonable rates for meeting farmers needs. This was in recognition primarily as the moneylenders and other non-institutional sources charged higher rates of interest to farmers who often had to mortgage, and sometimes, sell their land to clear their debt.

Institutional credit expanded rapidly during the post-bank nationalization period from Rs. 1,675 crore in 1975-76 to Rs. 1,80,486 crore in 2005-06. The rate of the growth was even higher than the growth rates of GDP originating in agriculture. Despite this growth, the credit needs of agriculture have not been met fully and overwhelming number of farm households have not been able to borrow

from institutional sources. Which has increased borrowing of the farmers from the private sources at high rates of interest. While short term credit has remained the dominant component of total credit. Its relative importance declined from 7.03 per cent in 1975-76 to 58.1 per cent in 2005-06. Declined returns from agriculture sector caused for the debt accumulation of farmers.

High rates of interest, crop failure, negative returns, extent and incidence of indebtedness and low credit ability on the one hand and the neglect of agriculture by the formal sector of lending on the other had increased dependency of farmers on private sources of credit for more than 80 per cent during post reforms period. The ensuing agrarian distress on account of declining monetary support by-way of public investment and neglect of the sector by institutional lending mechanism was first predicted in 1986 (Rath).

Looking at the short and long term advances for agriculture and allied sectors by formal institutions between 1970-71 and 2008-09, it comes out that the neglect of sector has continuously increased and thereby the distress and strengthening of the grip of private moneylenders. Cultivation being the main source of farm household income and if that itself is not supported by the institutional lending mechanism leads to the increase in cultivation expenditure as farmers pay higher rates of interests to private moneylenders. Number of banks both in public and private sector achieving the statutory target of 18 per cent between March 2001 and March 2003 has not been more than six (Public Sector) and two (Private Sector) respectively (Deshpande-2008).

Issues relating to agricultural credit include the poor performance of credit co-operatives and regional rural banks and on the other hand inability of commercial banks to meet their targets for agricultural lending and high cost of rural banking. The result has been the continued dependence of farmers on non-institutional sources and the inability of small farmers to obtain timely and adequate institutional credit.

Historically, co-operatives have played a vital role in the provision of institutional credit to agriculture sector. With the entry of commercial banks in rural areas, the share of co-operative credit in total agricultural credit had gone down. It fell from 70.8 per cent in 1975-76 to only 21.8 per cent in 2005-06. Also the share in crop loan has declined from 74.9 per cent in 1975-76 to 33.2 per cent in 2005-06. It means the co-operative sector was not fulfilling to commitments. And also their functioning is regulated by politically dominant groups. These institutions have become a way to entry in politics hence they resort to favouritism for credit disbursement rather than the need based disbursement. While the share of co-operatives in Term Loan declined from 61.2 per cent(1975-76) to 6.0 per cent in 2005- 06. At the same time commercial banks have become dominant source of credit to the agriculture sector.

After the nationalization of commercial banks their share in agriculture credit has increased substantially. But after the financial liberalization commercial banks reduced the supply of credit to agriculture. The main objective of the nationalization of the commercial banks was to provide adequate, timely and reasonable credit to the weaker section of agriculture i.e. small and marginal farmers. But the data in the above table reveals that these banks have neglected the small and marginal farmers and only concentrated on the big farmers. These banks are found only interested in providing the long term credit. As well as, getting the loan from these financial institutions is time consuming and costly. As a result the dominance of the private moneylenders on agrarian economy still remains intact. Share of the private sources has increased particularly after the financial liberalization. Most of the commercial banks did not fulfill the minimum statutory target of 18 per cent of total credit to agriculture sector.

Indebtedness of farmers is basically due to the unsatisfactory performance of organized sector lending. Looking at the credit deposit ratio and the ratio of agriculture lending to total credit of banking sector, it comes out that the availability of bank credit for agriculture has been far less than the demand for

over a long period of time. Data in the above table brings out a state-wise number and percentage of indebted farm households where the Maharashtra are more affected than rest of the states with corresponding percentage of 82, 74.5, 65.4, 64.4, 61.6 and 52.8 respectively. This picture underlines the finding that majority of suicide affected families were debt ridden families.

The share of farm households with less than one hectare of land holding in total farm households comes out to be 65.9 per cent and also substantial number of estimated number of indebted farm households comes out from the same category with average loan outstanding to be more than Rs. 6000. Data shows holding-wise outstanding debt per account for different categories of states for over a period of more than fifteen years covering pre and early post reforms period brings out that except few states (Punjab, Orissa, West Bengal and Kerala) and for an occasional time period all other states have shown a fast increasing trend in the average outstanding debt per account. This kind of a situation takes out farmers credit ability in future as their loan accounts enter the category of bad accounts. Information about per hectare outstanding of credit for over a period of ten years covering the period 1980-81 to 1990-91 brings out that in case of almost all states (except Rajasthan) the amount of per hectare outstanding of loan has increased sharply. In case of some states per hectare outstanding is more than per hectare availability of loan amount.

The proportion of agriculture credit to total bank deposits show the extent of funds made available for agriculture lending whereas the ratio of agriculture credit to total bank credit brings out spread of credit for the sector. The insignificance of agriculture credit for the period from 1981-2000. The data show proportion of agriculture credit to total bank credit has substantially declined for majority of the states and wherever it increased, the increase has not been sufficient over the period, except West Bengal only in the beginning. Agriculture credit to total bank deposit ratio for a state like West Bengal has been lowest among others with just 3.3, 4.8, 3.3 and 2.2 per cent whereas for states like Bihar

and Uttar Pradesh it decelerated from 9.2 to 5.4 and 10.1 to 6.3 per cent during the period of 1981-2000. Proportionate change in agriculture credit to total bank credit and percentage change in agriculture credit as proportion to total bank deposits for over a period between 1981 and 2000 make it clear that in case of both the indices banks have undermined the significance of agriculture in their lending activity. Evidently it comes out from the progressive decline in ACBC and ACBD that the banks have diverted lending towards more profitable and secured sector than agriculture. This type of shift of credit will further consolidate the group of private traders and moneylenders in the rural areas.

During the post reforms period the number of branches of nationalized commercial banks in rural areas also declined progressively. As it comes out that in states like West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar the agriculture lending has declined seems that more credit for other prominent areas is being made available at the cost of agriculture. In case of the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Punjab which are more affected by farmers suicides the change in ACBC and ACBD has been continuous for the period of 1981 to 2000. The foregoing discussion on agriculture credit for the said period brings out that the sharp decline in institutional lending for the sector and thereby ignited the crisis as availing of credit from private moneylenders became costlier. As a result, during nineties, the country witnessed increasing number of suicides. The bankers' perceptions about risk involvement in agriculture lending might have forced them to adopt credit rationing for agriculture thereby progressive decline in the credit performance indices at the national level.

Looking at the prospects of profitability of farmers through comparison between the annual cultivation expenditure and the annual income from cultivation, the prevalence of crisis in rural countryside of India comes out vividly. Deducting the all India household average annual income from cultivation(Rs. 11628.00) from the annual household cultivation expenditure (Rs. 8791.00) the average household net income remains Rs. 2837 which is available for the family

consumption and maintenance. In states like Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu, the annual average net income is negative. And in states of Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal the average annual net income from cultivation is less than Rs. 1000 per farm household. When calculated the farm household annual net balance comparing the annual net income and annual consumption expenditure, the picture become further worst. This clearly supports the observation that something is terrible in rural countryside of India. It means the cost of cultivation rises but the minimum support price mechanism has failed to give remunerative prices to the agriculture produce. Increased gap between income and expenditure forced farmers to borrow from private sources to fulfill this gap. Due to the inadequate institutional credit support farmers resorted to private moneylenders who charged heavy rates of interest. In all, these vagaries accumulate debt and it goes beyond the repaying capacity of farmers.

Among states, there were only few achievers in agricultural productivity. Productivity of Punjab worker was Rs. 35,000, this is 7.5 times that of Bihar. There was a decline in per worker productivity for non-agriculture in eight out of seventeen states. Per worker productivity for non-agricultural workers was high for all the states. In Maharashtra, productivity of non-agricultural worker was 11.71 times high than agricultural worker. This was higher than national average. It means the income inequalities were high in the state of Maharashtra. The high income group lived in a luxurious life whereas the farming community was begging for basic needs. The general price level increased and non-farmers groups have paid same price for the consumption. However, income of the farming community was not increased proportionate to non-agriculture group. Hence, farmers have to borrow the money for consumption purpose from the private sources at high rates of interest. The income inequalities were high in comparatively developed states as compared to under developed states. And these states were highly affected by farm suicides. The high ratio of agricultural and non-agricultural productivity is relatively more in industrial states like,

Maharashtra, Gujarat and Karnataka indicates weak linkage between agricultural and non-agricultural sectors.

State wise analysis of indebtedness has shown that the incidence of indebtedness was high in states where the agriculture is more capital intensive. As well as, these states experienced more success of green revolution as compared to other states i.e. Punjab, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh, Gujarat and Kerala. Andhra Pradesh has the 82 percent of indebted farm households followed by Tamil Nadu with 74.5 per cent. But, Tamil Nadu has less number of farm suicides despite incidence of indebtedness. The average outstanding debt of per farm household was high in Punjab followed by Kerala, because the characteristics of the agriculture of these states is highly capital intensive as compared to other states. On the other hand, the incidence of indebtedness and outstanding debt per farm household was low in the states from central, eastern and north eastern forests, where agriculture is the way of livelihood and not a commercial one. And these states are mostly producing foodgrains than cash crops. In all, the incidence and outstanding debt was high in the states that shifted their agriculture from food-grains to commercial crops, which needs high techniques as well as investment. But the present agricultural marketing did not give adequate returns to the farmers. As a result, the gap between income and expenditure has widened and farmers were forced to borrow money to fulfill the gap. Hence, the incidence of indebtedness and outstanding has been growing beyond the repaying capacity of farmer.

The share of institutional sources in cultivators' debt improved considerably after the nationalization of banks, from 32 per cent in 1972 to 66 percent in 1991. But, during the 1990s the period of financial liberalization, there was a loss of momentum of agriculture lending and share declined and resorted at 61 percent in 2002. The share of commercial banks has increased during the pre reforms period. After the introduction of new economic policy, commercial banks reduced credit flow to agriculture from 35.2 per cent to 26.3 percent, because,

agricultural lending was no more profit making business. As well as, supply of credit from co-operatives was mere stagnant. As a result, the dependency of farmers on moneylenders increased substantially. Basically, co-operatives were meant for fulfilling the credit needs of small and marginal farmers. As the time passed, co-operatives were far away from their goal and pushed farmers into the trap of private money lending. The share of co-operatives in total agricultural lending was 30.2 percent in 2002 with increase of 0.66 percent over 1991. The lending from cooperatives never crossed 30 percent during throughout the period means 70 percent share was taken by the commercial banks and private money lending. Every year the government budget target announces the increment in the agriculture lending but is only a book adjustment and not in real terms. Hence, again private sources become an important and sustainable soure of credit to farming community and it becomes the matter of concern.

Co-operative credit societies were basically meant for the supply of credit to the agriculture in general and that small and marginal in particular. But, in fact this target is fulfilled only in the five states i.e. Maharashtra, Gujarat, Kerala, Haryana and Tamil Nadu. The share of co-operative in farmers suicides affected states was very low i.e. Karnataka - 16.9, Andhra Pradesh - 10.4 and in Punjab - 17.6 per cent. Only Maharashtra among suicides affected states has 48.5 per cent share of co-operatives in agricultural lending. The efficient mechanism traced out in Western Maharashtra region where the co-operative movement is deeply rooted and other regions of the state have not been that much successful in cooperative lending. And only big and politically influenced farmers are the beneficiaries of the co-operative credit whereas small and marginal farmers did not receive expected returns from it.

As well as, the share of Banks in total agricultural lending was not remarkable. The share of non institutional lending was high in Andhra Pradesh with 68.5 per cent, higher than of national average of 42.4 per cent. Looking at the national scenario of non-institutional sources, still 42.4 percent farmers depend on

private sources on record and off the record figure can be more. Means 42.4 percent of farmers were out of the reach of institutional credit mechanism. And in recent survey of NSSO (2005) 41 percent of farmers are willing to leave the agriculture if they have other opportunity of employment available.

Source of financing and outstanding debt varied across the land size groups. The outstanding debt of the sub-marginal land holder (less than 0.40 hectares) was financed by non-institutional agencies. In most of the states more than 70 percent of their outstanding debt was from non institutional sources. In Andhra Pradesh and Rajasthan, non-institutional sources accounted for as high as 80 percent of their outstanding debt. In Kerala and Maharashtra, dependency of very sub-marginal landholding households on non-institutional sources was very much less. This could be attributed to the spread of commercial banks and co-operatives in the rural areas of these states. At all India level, still 42.3 per cent of the farmers are out of the reach of institutional credit mechanism. It means lots of efforts are needed to improve the institutional credit supply to agriculture sector. It can help to reduce the hold of the private moneylenders over the rural economy and farmers can freely do their activity.

A substantial proportion of cultivator households' debt was for productive purposes at all India level. However, debt for productive purposes as a per cent of total debt declined from 72 per cent in 1981 to 63 per cent in 2002. Similarly the share of debt incurred for farm business declined from 64 per cent in 1981to 53 percent in 2002. Within farm business expenditure, the share of capital expenditure declined from 45.3 percent to 34.3 percent. The increase in capital expenditure for non-farm business could not fully compensate the fall in farm business expenditure, which resulted in a fall in the share of overall productive expenditure between 1981 and 2002.

Farmers in India have perhaps reported willingness at first to have agriculture as a profession provided that the substitute way of livelihood is available mainly because that the cultivation is no more remunerative. Overall

proportion of the negative desire is of 40.1 per cent with Uttaranchal, West Bengal, Tripura, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana and Andhra Pradesh leading the list. All the states from where farmers don't prefer agriculture is because it is not profitable to them due to increased cost of cultivation, stagnated productivity and mismatch between input and output prices.

The foregoing discussion on policy matters since the colonial period revealed that the agriculture and farming community of the country was at the marginal. During the colonial period, Britishers concentrated only on the crop which earned them maximum returns i.e. Cotton. Since then welfare of the farmers has not been the central point of any policy. It was expected from the independent India, that they provide an attention towards agriculture where the farmers' welfare is the core issue. But looking at the overall nature and performance of the policies (1951-2010) towards agriculture, that have failed to address the agriculture. Despite institutional reforms in agricultural credit and marketing, the state of agriculture remains unremmunarative. Some hopes were created by the Green Revolution during the mid sixties. But afterwards it showed the negative side of the same. The green revolution did not succeed due to the lack of inclusiveness. It concentrated only on few crops and states in the country. The situation further aggravated during the post reforms period in general and post WTO amendment in particular. Both the things i.e. economic reforms and WTO have long term negative impact on agriculture and farming community of the country. The large number of suicides by farmers in various states of the country has been the outcome of the negligence of the agriculture on policy front since independence. The incidences of farmers suicides became epidemic in some states of the country. The incidence of farm suicides started in 1986 and continuously increased during the subsequent decades of the 1990s and 2000s.

During the ten year period between 1997 and 2006 as many as 166304 farmers ended their lives through committing suicide. And this is not a good sign for a country where 58.5 percent of the labour force still depends on agriculture

for their livelihood and the sector which is the backbone of the economy. If we consider the 12 years period from 1995 to 2006 then the figure of 200000 (190735) would be an underestimation since a couple of major states like Tamil Nadu and Rajasthan and a number of smaller states like Pondicherry did not report any farm suicides for one or the other or both of these two years. During the field visits for the present study we observed that the police often adopted a rather strict and stringent definition of a farmer in identifying farm suicides. The title to land was taken as the criterion for identifying farmer and this often left out many genuine farmers from the count. For example, a tenant farmer who leased in land and hence did not have a title to the land could be denied the status of a farmer. The same happened when the title of the undivided land which was in the name of head of the family. The year 1998 in fact shows a sharp increase in the number of farm suicides with 18 percent jump from the previous year and the number remained more or less steady at around 16000 farm suicides per year over the next three year upto 2001. The year 2002 again saw a sharp increase close to 10 percent as compared to 2001 and the number of farm suicides remained around 18000 per year during the period after that. The average number of farm suicides per year in five year period 2002-2006 stood at 17,513 which is substantially higher than the average of 15747 for the previous five year period. There are certain regions in the country where the farm suicides are largely concentrated and where the problem has been a very sharp over this period with the farm suicides increasing at much faster rate, in comparison, both with farm suicides in the country and general suicides in these regions.

According to the official data, farmers suicides take place overwhelmingly by the male farmers. Considering the period of 1997-2006 as a whole, close to 85 per cent of all the farm suicides were by male farmers and every fifth male suicide in the country was a farmers suicides. Suicides in general, among the population as whole, were also largely concentrated among males, but the degree of concentration here was significantly lower than in case of farmers suicides. Male

suicides in general population accounted nearly 62 percent of all suicides in the country. The number of male farmers suicides increased rapidly as compared to female during the above mentioned period. The reason of concentration of farm suicides among male may have to do with the possible undercounting of female farm suicides in the police records. It was noted that the criterion generally adopted in these records for identifying the farmer is title to land and since the title is generally in the name of male head of household it is very likely that a female farmer who committed suicides will not be recorded as a farmer suicide in these records. This is not the whole story; the head of the family have to carry all decisions of the family. Hence it points towards economic distress as a major motivating factor underlying large number of these suicides and the acute agrarian crisis in the country would be the reason of this distress. In all, the foregoing analysis of the macroeconomic policies towards agricultural in general and during the post reforms in particular revealed the changed nature of the policies that have the concording negative impact on Indian agriculture. It also has the positive correlation of significantly higher degree with the farmers suicides in India.

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : इस समय जो ओला वृष्टि हुयी व अतिवृष्टि हुई है वो लगातार मार्च एवं अप्रैल के महीने में कई बार हुई, उससे किसानों के हालात बहुत ही विषम हो गए हैं । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दैवी आपदा को देखते हुए मुआवजा डेढ़ गुणा कर दिया तथा मानक को 50 % से घटाकर 33 % कर दिया । अतिवृष्टि को भी दैवी आपदा में शामिल किया । दैवी आपदा पर मृत्यु होने का मुआवजा डेढ़ लाख से बढ़ाकर 4 लाख रूपए करने का काम किया । घायलों तथा जानवरों के मुआवजा को बढ़ाने का काम किया । लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अभी किसानों को सरकार से और राहत की उम्मीद है । मेरा अनुरोध है कि किसानों के कर्जे व ब्याज माफी की योजना सरकार घोषित कर किसानों को आत्म हत्या से रोकने की व्यवस्था करे। राज्य सरकारों को उनके बिजली के बिल को कम से कम 1 वर्ष के माफ कर किसानों को राहत प्रदान कराए । राज्य सरकारों को यह भी निर्देशित करना चाहिए कि गाँवों में और राजस्व कर्मी व कर्मचारी बनाकर प्लॉट टू प्लॉट के सर्वे गाँवों में यथाशीघ्र कराएँ । क्योंकि एक-एक लेखपाल के पास 8 से 10 गाँव है जहाँ पर वह 1 माह बीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ।

⁻

^{*} Speech was laid on the Table.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय करूणाकरण जी का आभारी हूं कि उन्होंने जिस दिन से चर्चा की, उसके बाद देश के अंदर किसानों पर संकट और उसके समाधान के लिए लगातार हम लोग इस पर अपने विचार व्यक्त किए। हम सब लोगों ने ईमानदारी से किसान के संकट की चर्चा की। एक-दो लोगों की बात अलग है, राजनीति जिनका पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। ... (व्यवधान) करूणाकरण जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और करूणाकरण जी से भी ज्यादा मैं सम्माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद विदेश से आप लौटे हैं, देश में पहुंचे हैं, इसलिए देश की जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ... (व्यवधान) आप मत बोलिए। ... (व्यवधान) अगर आपको बोलना है तो खड़े होकर बोलिए। ... (व्यवधान) जितने सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, हम उन सबके आभारी हैं। यह अवसर ऐसा होता है, जिसमें निर्दोष भाव से कृषि, किसान और उसके संकट पर जब हम चर्चा करेंगे तो आगे उसका भविष्य बनेगा। राजनीति करते हैं तो राजनीति भी उसमें आए, इसमें कोई बंधन नहीं हो सकता है। लेकिन जरा उदार मन से और सब लोग मिलकर यदि चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान की गित तेज होगी।

सबसे पहले हमें चिंता करनी है, चूंकि हम सरकार में आए हैं, तो सरकार में आने के बाद, यह मेरी राजनीतिक भाषा हो सकती है कि पुराने युग में सतयुग और द्वापर युग जब होता था तो उस समय जो पाप करता था, उसी को प्रायश्चित करना पड़ता था। लेकिन यह कलयुग है, इसमें पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी दूसरे को करना पड़ता है। मेरा विषय वह भी नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा विषय वह नहीं है, मेरा विषय है कि जब हम सरकार में आए हैं ...(व्यवधान) वर्ष 2014-15 में सरकार में आते ही जो सूखे का संकट देश में आया, हम सब अवगत हैं और सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था। टेलीविजन के लोग बैठे होंगे, भीषण अकाल पड़ेगा और वास्तव में पूरा सदन चिंतित था, पूरा देश चिंतित था, लेकिन में देश के किसानों को और राज्य सरकारों को भी बधाई दूंगा, कृषि अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालयों को बधाई दूंगा कि सबने मिलकर 570 जिलों के लिए कन्टिजेन्सी प्लान बनाकर राज्यों को मुहैया कराया और राज्यों ने भी प्रिकॉशन लिए, सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की और किसानों ने भी परिश्रम किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 12 फीसदी बारिश पाँच साल के औसतन कम हुई, फिर भी सिर्फ दो प्रतिशत बुआई में कमी आई और तीन प्रतिशत उत्पादन में कमी आई।

यह कमी चिन्ता का विषय जरूर है, लेकिन जहाँ अकाल पड़ेगा, 12 फीसदी कम बारिश हो तो यह परिश्रम का परिणाम हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर इसकी चिन्ता की। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, बल्कि कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार थी या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या कहीं बीजेपी की सरकार है, सभी सरकारों, कृषि के अधिकारियों और किसानों की मेहनत का वह परिणाम हुआ। आज जो स्थिति आई है, हम सबको पता है कि जब आपदा आती है, जब गाँव या पंचायत में आपदा आती है, तो उस पंचायत में भी अफसर होते हैं। राज्यों में अलग-अलग नाम होते होंगे, हमारे यहाँ पंचायत सचिव है, कहीं तहसीलदार होगा, फिर अंचल, तहसील और ब्लॉक लेवल पर भी अधिकारी होते हैं। जब आपदा आती है, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आ गई, तो दूसरे ही दिन कोई भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, वह कलेक्टर को फोन करता है। फिर कलैक्टर नीचे के अधिकारी को फोन करते हैं और फोन पर उसकी जानकारी लेते हैं तो उस समय लोग अंदाज पर ही वह जानकारी देतें हैं। राज्यों में केन्द्र सरकार के अधिकारी बात करते हैं, वे अंदाज पर टेलीफोनिक जानकारी देते हैं कि क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है। यदि हमारे मंत्रालय ने कहा है कि 180 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का नुकसान हुआ है तो किसी राज्य में काँग्रेस पार्टी की सरकार होगी और किसी राज्य में बी.जे.पी. पार्टी की सरकार होगी, इसमें राजनीति नहीं है। अधिकारियों ने यह बताया है कि मेरे यहां यह एक अनुमान है। उसके बाद दूसरा आकलन बताया गया कि 106 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में पहले जो आकलन बताया गया था, उसमें काफी कमी थी। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उस दिन राजस्थान, जिसने बहुत ज्यादा नुकसान के बारें में बताया था, उसने कम बताया। देश में 80 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों के नुकसान के बारे में बताया। तीन राज्यों से टीम लौट कर आयी है तो मैं कह सकता हूं कि 93.81 लाख हेक्टेयर भूमि आपदा से प्रभावित ह्यी है, लेकिन अभी तीन राज्यों में टीम गयी है। कुछ व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा, उनके समझे बिना न अपनी बातों को हम जनता के सामने रख सकते हैं और न ही सदन में रख सकते हैं। तीन राज्यों से टीम लौट कर आयी है और अभी अन्य राज्यों में टीम नहीं गयी है क्योंकि उनका स्मार-पत्र नहीं आया है। जब सबके रिपोर्ट्स सब्मिट हो जाते हैं तो अंतिम आकलन होता है, पूरे प्रभावित क्षेत्रों का असली आंकड़ा आता है। फिर, उनमें यह देखा जाता है कि कितने 50 प्रतिशत प्रभावित हुए हैं? अब उत्तर प्रदेश से टीम लौट कर आयी है, वहां का आकलन दिया गया है। उन्होंने वह आकलन 50 प्रतिशत के आधार पर दिया है और वहां से 33 प्रतिशत के आधार पर कागज आना बाकी है। कल रात में नीतिश कुमार जी ने फोन किया था कि हमने अपना पत्र बना कर भेज दिया है लेकिन अब 33 प्रतिशत के आधार पर आंकड़ा बना कर भेजना पड़ेगा। मैं इसकी चर्चा निर्दोष भाव से कर रहा हूं। राहुल जी ने जो कहा है उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। शायद उन्हे पूरी प्रक्रिया की जानकारी ठीक

ढंग से नहीं दी गयी है, इसलिए उन्होंने सीधे हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, कृषि मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। ...(व्यवधान)

- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय प्रधानमंत्री जी ने 106 लाख हेक्टेयर के बारे में कहा था, क्या उनका वक्तव्य गलत था? ...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: सारी रामायण पढ़ने के बाद अगर कोई कहे कि सीता किसकी पत्नी है, अभी यह सवाल खड़ा करेंगे तो यह बड़ा मुश्किल है।...(व्यवधान) हमें कोई सारी रामायण के बारे में बता दे और फिर उसके बाद वह कहे कि सीता किसकी पत्नी है तो यह संकट का विषय हो जायेगा।
- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य गलत था? 26 मार्च, 2015 को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 106 लाख हेक्टेयर के बारे में कहा है। ...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: राज्यों से जो जानकारी प्राप्त होती है।...(व्यवधान)
- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मंत्री जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'न' में दें। क्या उनका वक्तव्य गलत था?...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: मैं पुनः उस प्रक्रिया को बताकर समय नहीं लेना चाहता हूं। ... (व्यवधान) आपको या एक-दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसको समझ गये होंगे। ... (व्यवधान)
- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: कोई इसे नहीं समझा है।...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: तीन-चार लोग इसे नहीं समझे हैं।...(व्यवधान) मैं पुनः उन्हें समझाता हूं। ...(व्यवधान) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 26 मार्च, 2015 को जो घोषणा हुई थी, क्या वह सही था या गलत था?...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: मैं आपको फिर वह समझाता हूं।...(व्यवधान) जो अनुमान माननीय प्रधानमंत्री जी बताये थे और आज भी राज्यों की रिपोर्ट्स के आधार पर मैं जो बता रहा हूं, ये सारे अनुमान सही हैं और अंतिम अनुमान जो आयेंगे, वे अंतिम अनुमान सही होंगे।...(व्यवधान)
- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या सही है?...(व्यवधान)
- श्री राधा मोहन सिंह: यह क्रिकेट का मैदान नहीं है। ...(व्यवधान) सारे अनुमान जो राज्य बताते हैं, उस समय वही सही होगा।...(व्यवधान) मैं आज फिर कह रहा हूं कि राज्यों के मुताबिक 93 लाख हेक्टेयर, आज की तारीख में जो राज्य ने बताया है।...(व्यवधान)
- श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: 181 लाख हेक्टेयर, 106 लाख हेक्टेयर, 80 लाख हेक्टेयर या 93 लाख हेक्टेयर, कौन-सा सही नम्बर है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: आप हमें डिस्टर्व कर रहे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप बताइए हम मानने के लिए तैयार हैं।

HON, DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री राधा मोहन सिंह: मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा जो अनुमानित आंकड़े आते हैं, जिस दिन जो आंकड़ा आएगा, हम प्रैस और सदन को ही बताएंगे, गलत नहीं बता सकते।...(व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब सब जगह से टीम लौटकर आएगी, तब वास्तविक अनुमान होगा। यह वास्तविक अनुमान नहीं है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा आंकड़ा सही है, यह इस देश की जनता जानना चाहती है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is enough. Please take your seat. You are a senior Member.

... (Interruptions)

श्री राधा मोहन सिंह: आप क्यों बोलते हैं। मैं इनके पिता जी के समय में भी लोक सभा में था और इनके साथ भी बहस कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। यह लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you interfere, nothing will go on record. Let him finish. You raise afterwards whatever you want.

... (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कौन सा आंकड़ा सही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am standing. Please take your seat first. Let the Minister reply. If at all anything you want to raise, you raise it afterwards. I will allow it.

... (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, कौन सा आंकड़ा सही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. Let the Minister complete his reply. Afterwards you raise whatever you want. I will allow you. Do not comment.

... (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, देश की जनता जानना चाहती है।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Do you want the reply or not? Afterwards I will allow you.

... (Interruptions)

श्री राधा मोहन सिंह: मैं माननीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, भले ही सिंधिया जी, राहुल जी को न पता हो लेकिन बाकी सदस्यों को पता होगा।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हम सबको नहीं पता कि आंकड़ा कौन सा है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : कल अक्षय तृतिया है और देश के किसान खेत में अपना हल, बैल ले जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, कल से खरीफ की बुवाई शुरू होगी, हल के फाल पर बीज डालेंगे और पूजा करके खरीफ की फसल की बुवाई शुरू करेंगे। ऐसे अवसर की पूर्व संध्या में हम सब बैठे हैं। मेरी विनती होगी कि हम किसान के हितों की चर्चा जरूर करें, उसे राजनीतिक मोड़ नहीं दें। महोदय, वेंकेया जी ने बताया कि किस प्रकार किसानों के राहत में हमने बढ़ोतरी की है। इस सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है कि अभी तक एक हेक्टेयर फसल का जो नुकसान होता था, उसी को हम राहत देते थे, 50 प्रतिशत तक तो देते ही थे, लेकिन एक हेक्टेयर, ढाई एकड़ तक जिसका नुकसान होता था, उसी को देते थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा है और वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। दो हेक्टेयर तक यानि पांच एकड़ तक जिसका नुकसान हुआ है उसको भी हम राहत देंगे, इससे बड़ी किसान की चिंता और क्या हो सकती है? जो लोग किसान के हितों की चर्चा करते हैं, अतिवृष्टि राष्ट्रीय आपदा के अंदर पहले नहीं था, आज से नहीं बल्कि दस वर्षों से नहीं है, इस सदन में भी सब लोग इसके लिए मांग करते रहे हैं कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया जाए, अतिवृष्टि से भी नुकसान होता है। पहले भी राज्य सरकारों से कहा गया कि एसडीआरएफ की जितनी राशि है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा दिया जाता है उसमें से 10 प्रतिशत राशि को अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा मानकर उसे एनडीआरएफ के नार्म के मृताबिक मदद की जाए।

महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एसडीआरएफ के तहत सरकार ने 2014-15 में 5,629 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिए थे, हमने एनडीआरएफ से भी 3460 करोड़ रुपये राज्यों को दिया। हरेक जिले के अंदर आकस्मिक निधि होती है, राज्यों के पास

एएसडीआरएफ फंड होता है, जिस दिन यानि 16 तारीख को जो आपदा आई थी, हमारी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात हुई, कई मुख्यमंत्रियों से भी बात हुई। हमने उन्हें पत्र जारी किया कि आप एएसडीआरएफ से सहायता शुरू कीजिए। अगर कहीं एएसडीआरएफ नहीं है तो कन्टेजेंसी फंड से सहायता दीजिए। मैं हिमाचल प्रदेश गया था वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि उन्होंने राहत शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की सरकार के तीन-तीन मंत्री हमारे साथ गए थे। उस समय एनडीआरएफ का नार्म था कि यदि हॉटीकल्चर के अंदर नुकसान होता है तो प्रति एकड़ 12,000 रुपये दिया जाएगा, वहां की सरकार ने अपने मद से 13,000 रुपये निकालर 25,000-25,000 रुपये देने का काम किया है। एनडीआरएफ से पैसा तब जाता है जब उसका पूरा आकलन होता है, जब ज्ञापन आता है, जब टीम की रिपोर्ट आती है। हमारे मित्र बता रहे थे कि यहां की टीम महाराष्ट्र में सभी जगहों पर नहीं घूमा। जब यहां से कोई टीम जाती है तो उसे राज्य सरकार जिन जगहों पर घुमाएगी हम उतना ही घुमते हैं उससे ज्यादा घुमने की स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ही ठहराने और घुमाने की व्यवस्था करती है महाराष्ट्र में जब कभी भी आपदा आई है उसे 500-600 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिला है। पहली बार महाराष्ट्र को 2,000 करोड़ रुपये मिला है। एनडीआरएफ के नार्म, एसटीआरएफ और कंटीजेंसी फंड से राज्य सरकार पैसा देती है। जितनी राशि पिछली बार एएसटीआरएफ को मिली थी उससे लगभग दोगुने राशि का आबंटन राज्यों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2014-15 से दोगुना आबंटन हो रहा है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश का मांग पत्र आ गया है। जून के बाद 2015-16 का पैसा अग्रिम में जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की राशि आज गई है। जिस व्यवस्था के तहत आपने 10 वर्षों तक क्या किया, यह मैं देश को बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप फिर खड़े हो जाएंगे। उसी व्यवस्था के के तहत हम जो करना चाह रहे हैं वह हम कर रहे हैं। आप जैसा चाहते थे वैसे करते थे, हम जैसे चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आपने अपनी बुद्धि को अप्लाई किया। हमारी बुद्धि थी कि अतिवृष्टि को भी आपदा की श्रेणी में लाया जाए। हमारी बुद्धि थी कि 33 प्रतिशत नुकसान हो, तो उसे भी दिया जाये। आप हिमांचल की विजुअल रिकार्डिंग देखिये। आपके मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री और रेवन्यू मिनिस्टर बैठे हैं और रेवन्यू मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि पहली बार आपदा के बाद कोई मंत्री आया है, नहीं तो दस दिन के बाद कोई अधिकारी आता था। ...(व्यवधान) आप हिमाचल का रिकार्ड देखिये। उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी, गडकरी जी और बलियान जी गये हैं। अरूण जेटली जी, गिरिराज सिंह जी राजस्थान के गांव में घूमे हैं। मैं आपदा के ठीक दूसरे दिन महाराष्ट्र के बारह गांवों में गया था। मैं यह नहीं कहता कि आपको भी यह करना चाहिए था। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Where is the Prime Minister?

... (Interruptions)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको भी करना चाहिए था, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस काम को किया है। ...(व्यवधान) हमने यह सब जो किया है, उसकी आपके खाते में भले ही गिनती न हो, लेकिन देश के किसान के खाते में हमारी गिनती हो रही है। ...(व्यवधान)

महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कई मित्रों ने उठायी। देश में जो आत्महत्याएं होती हैं, उसका रिकार्ड नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से आता है। कृषि कारणों से कितने लोगों ने आत्महत्या की, यह राज्य सरकार पत्र देकर कृषि मंत्रालय को बताती है। मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी राज्य सरकारों का पत्र है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। वर्ष 2015 में कृषि कारणों से हुई आत्महत्या की सूचना अभी तक आठ राज्यों—पंजाब, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। यह चिट्ठी इसमें है। महाराष्ट्र को छोड़कर उपरोक्त सभी राज्यों ने यह बताया है कि अकस्मात् वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान के कारण किसी किसान द्वारा आत्महत्या की सूचना नहीं मिली। मैं इसे सही नहीं मानता। ... (व्यवधान) लेकिन ये पत्र राज्य सरकारों के हैं। ... (व्यवधान) में बता रहा हूं कि वहां के एग्रीकल्वर सैक्रेट्री का पत्र है। ... (व्यवधान) आप पूरा सुनिये। ... (व्यवधान) महाराष्ट्र द्वारा यह सूचना दी गयी है कि अकस्मात् वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण आत्महत्या की संख्या तीन है। अभी हमने जो पत्र दिया था कि ... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या आपने हरियाणा में नहीं देखा है? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश में आप नहीं देख रहे हैं कि अखबार में रोज इस तरह के मामले आ रहे हैं। मेरा विषय वह नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मेरे क्षेत्र में तीन आत्महत्याएं हुई है। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: मेरा विषय यह है कि राज्य सरकारों ने पत्र भेजे हैं। ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि मंत्री जी आज कह रहे हैं कि देश में किसान ने आत्महत्या नहीं की है। क्या आप यह कह रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने लिखकर भेजा है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पूरे देश में कृषि से संबंधित आत्महत्याएं नहीं हुई हैं? ... (व्यवधान) क्या मंत्री जी यह कह रहे हैं? क्या इस सदन के पटल पर कह रहे हैं कि इस देश में किसान ने कृषि से संबंधित आत्महत्या नहीं की है?.. (व्यवधान) क्या यह कह रहे हैं कि पिछले दस महीने में किसान ने कृषि से संबंधित आत्महत्या नहीं की है? ... (व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने लिखकर भेजा है। ... (व्यवधान) आपके सहयोगियों की सरकार ने यह पत्र लिखकर दिया है। ... (व्यवधान)

महोदय, आत्महत्या चाहे जिस भी कारण से हो, वह अच्छी बात नहीं है। आत्महत्या देश और हम सबके लिए शर्मनाक विषय है। अब आप देखिये कि वर्ष 2012 में 1046 ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

श्री राधा मोहन सिंह: आप खुद ही अपनी डफली बजाकर सुनते रहिए। ...(व्यवधान) किसान ने आत्महत्या की है। ...(व्यवधान) जो रिपोर्ट आयी है, वह गलत है। ...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी है, वह विश्वसनीय नहीं लग रही है। ...(व्यवधान) जो पत्र आपकी सरकार, मेरी सरकार या किसी ने भी भेजा है, वह बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि आत्महत्या यदि एक भी व्यक्ति करता है, तो वह चिंता का विषय है। अगर हम वर्ष 2013 की बात करें, तो देश में 11 हजार के आसपास कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कीं। राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक 870 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्याएं कीं, यानी दस प्रतिशत। सौ में से दस किसान कृषि कारणों से आत्महत्याएं करते हैं और 90 किसान दूसरे कारणों से आत्महत्याएं करते हैं, चाहे कारण जो भी हों, लेकिन यह चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर राज्यों के अंदर ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए कि...(व्यवधान) अब मैं महाराष्ट्र पर आ रहा हूं। वर्ष 2012 में जो 1046 आत्महत्याएं हुईं, उसमें 732 कृषि कारणों से हुई। 2013 में 889 जो हुईं, उसमें 665 हुईं और 2014 में 1397 जो आत्महत्याएं हुईं, उसमें 1207 हुईं। अभी महाराष्ट्र के अंदर इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं जबिक पिछले दस वर्षों के अंदर, 2003 में विदर्भ विकास के लिए 761 करोड़, 2005 में किसान आत्महत्याएं रोकने के लिए 1075 करोड़ रुपये गये।...(व्यवधान) धैर्य के साथ सुनते रहिए। ...(व्यवधान) यह सब आप लोगों ने दिया है। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री राजीव सातव: यह सब आपकी सरकार आने के बाद हुआ है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: उपाध्यक्ष जी, 3750 करोड़ रुपये इसी साल मराठवाड़ा में विकास के लिए गये एवं सूबे की तिजोरी से 3500 करोड़ रुपये गये। मैं पूरा पढ़ूंगा कि इतने सारे रुपये गये और परिणाम क्या हुआ?

_

^{*} Not recorded.

ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ...(व्यवधान) इतना पैसा जाने के बाद सिंचाई के लिए हालत क्या है कि अभी इस देश के अंदर 48 प्रतिशत एवरेज सिंचित भूमि है तो महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत सिंचित भूमि है। पूरे देश में 48.3 प्रतिशत है तो महाराष्ट्र में 16.8 प्रतिशत है और पंजाब में 98.1 प्रतिशत है। 60-70 हजार करोड़ रुपया पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए गया और वहां 16 प्रतिशत सिंचित भूमि है।...(व्यवधान) इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान यह होता है कि जो उत्पादकता है, वह पूरे देश की 1.9 टन पर हेक्टेअर है और पंजाब की 4.2 प्रतिशत है तो महाराष्ट्र कहां है? सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं। सब आपके कार्य काल के बीच की ही बात है।...(व्यवधान) इसलिए आप चिंता करिए। ऐसे राज्यों में यदि इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं होती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ...(व्यवधान) इसके लिए आज की व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। ...(व्यवधान) हम सबको मिल-बैठकर इसकी चिंता करनी चाहिए।...(व्यवधान)

यह राजनीति का विषय नहीं है। यह जो नई सरकार आई है, यदि यही रवैया रहेगा तो उसकी भी वही दशा होगी जो आप लोगों की हुई है। इसीलिए आपको आत्मचिंत करनें की जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा हो रही थी।...(व्यवधान) समर्थन मूल्य पर अब मैं आता हूं। यदि हम दो तीन अवसर को भी छोड़ दें तो पिछले दस वर्षों में जो आयोग की ओर से आया, उसको हमने किया। अब दस साल में आपने बताया कि इतना बढ़ा दिया और दस महीने का भी बोलते हैं। यह आंकड़ा गले के नीचे नहीं जाने वाला है।...(व्यवधान) देखिए, मुझे अभी दस महीना हुआ है और आपको दस साल हो गये हैं। ...(व्यवधान) आप दस साल को जोड़कर बताते हैं कि हमने इतना बढ़ाया। ...(व्यवधान)

माननीय राहुल जी ने थोक भाव में बताया कि पांच सौ, सात सौ प्रतिशत बढ़ा है, मैं इस बात पर कह रहा हूं। ऋण प्रवाह की बात हमारे सम्माननीय नेताओं ने कही है और यह चर्चा माननीय हुड्डा जी ने भी की थी। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समय पहले से ही सात प्रतिशत पर तीन लाख रुपए की मूल धनराशि तक फसल ऋण मुहैया करवा रही है। इसके अलावा ऐसे किसानों को प्रोत्साहन के रूप में तीन प्रतिशत ब्याज छूट उपलब्ध करवा रही है, जो पहले से चल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह काम मैंने किया है। जो किसान अपने फसल ऋण का समय पर भुगतान कर देते हैं, ऐसे किसानों को चार प्रतिशत की छूट दी जाती है और एक लाख रुपए तक के ऋण में उन्हें जमानत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को यह जानकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऋण प्रवाह कम नहीं हो रहा है बिल्क तेज हो रहा है। वर्ष 2010, 2011 और 2012 में कुल पांच लाख सत्ताईस लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण दिया गया जो वर्ष 2014 में बढ़ कर सात लाख ग्यारह लाख छह सौ इक्कीस करोड़ रुपए हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हमने किया है और यह बता रहा हूं कि कृषि ऋण ज्यादा किया गया है। वर्ष

2014-2015 में यह आठ लाख करोड़ रुपए किया है। वर्ष 2015-2016 में यह बढ़कर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए रखा गया है।

हमारे केरल के एक माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि वहां कोई सर्कुलर जारी हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं वर्ष 2015-2016 में तेरह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लेकिन जो जून तक का है और सर्कुलर में कोई निर्देश जून से पहले जारी होना होगा लेकिन अगले बजट में तेरह हजार करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है, जो कि आपको लगता है कि बंद हो गया है लेकिन वह जून तक है। इसके बाद आगे का निर्देश फिर जाएगा। अगर आपने पूरा बजट पढ़ लिया होता तो आपको कन्फ्यूजन न होता क्योंकि जून के बाद नया निर्देश जारी होना है।

कृषि बीमा पर बहुत चर्चा हुई है। वास्तव में जो एनडीआरएफ है यह रिलीफ है। यह मुआवजा नहीं है। हमें मुआवजा की चिंता करनी चाहिए। देश में मुआवजे की चिंता राजनाथ सिंह जी ने जरूर की थी, जब अटल जी की सरकार थी। तब कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू की गई थी। हम उस समय लोकसभा में थे। अंतिम समय का वह मामला था, जैसे अंतिम समय में भूमि सुधार कानून आप लोगों का था, उसी प्रकार से वह मामला था। बाद में वह मामला बढा नहीं लेकिन 15-20 जिलों को उसमें जोड़ लिया गया था। चूंकि पुरानी सरकार ने वह काम किया था तो जैसा कि होता है नई सरकार के समय वह योजना जहां की तहां रह गई। हमारे देश में कृषि बीमा योजना है। एक बीमा कम्पनी इंडियन इंश्योरेंस थी। वह किसानों का बीमा करती थी। उसमें कम्पनी का अंश बहुत कम होता था। किसान भी कुछ अंश देते थे और राज्य सरकार तथा भारत सरकार का भी अंश होता था लेकिन जो नुकसान होता था, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पचास-पचास प्रतिशत देती थी। जो मोडिफाइड बीमा योजना आई, इसमें कई भारतीय कम्पनियां भी आईं और विदेशी कम्पनी भी आई। इसमें प्रीमियम की राशि बढ़ा दी गई। उसे लागू तो कर दिया गया, लेकिन जब हम सरकार में आए तो सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि नई मोडिफाइड बीमा योजना को हम लागू नहीं कर सकते हैं। हमने छूट दी क्योंकि कुछ राज्य इस योजना को लागू कर चुके थे। मौसम आधारित बीमा योजना भी चल रही थी। लेकिन हमने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में हम एक नयी आमदनी बीमा योजना लाएंगे। इस बीमा में उत्पादन में जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करते हैं और उसे भी ठीक से नहीं करते हैं। मैं जब कृषि मंत्री बना, तो जलगांव के दो सौ किसान आये, उनका नुकसान वर्ष 2012 में हुआ और वहाँ जो उसने यंत्र लगाया, उसकी मैपिंग पूरी नहीं हुई ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is not allowed. Mr. Minister, please address the Chair.

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : वैसी परिस्थिति में हमने घोषणा की, नयी फसल आमदनी बीमा योजना की। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं इस बात को विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ...(व्यवधान) कि हमारे माननीय सदस्य के ध्यान में भी यह बात आ जाए। मैं इसे राजनीतिक भाव से नहीं बता रहा हूँ। ...(व्यवधान) तो चार बैठकें हमने लीं और सभी राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not allowing this.

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : अंतिम दिन 31 मार्च के पहले सभी राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि सचिव बैठे थे। HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is not allowed.

Mr. Minister, you please address the Chair.

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : सभी कृषि मंत्रियों ने एक मत से जो सुझाव दिये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This is not a Question Hour. Please take your seat.

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : उसमें राज्य सरकारों ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया और सबकी सहमित बन गयी। ...(व्यवधान) उसे हम इस वित्तीय वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने वाले हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री ने एक प्रस्ताव लाया। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, please give me one minute. ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him finish. He is going to finish. I will allow you to raise question.

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He can yield to me for one minute. I am requesting you. ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE:Sir, we are patiently hearing. हम तो इतनी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे हैं, कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन मैं यह चाहता था कि वे बताएंगे कि वे कंपेनसेशन कितना देंगे। एक तो आंकड़ों में इतना फर्क है, प्राईम मिनिस्टर का एक आंकड़ा है, कृषि मंत्री का एक आंकड़ा है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स से आये आंकड़े अलग हैं, ऐसे तीन-चार आंकड़ें उनके पास हैं। किस आंकड़े के अनुसार उन्होंने कंपेनसेशन तय किया है और प्रति एकड़ कितना सहायता देने वाले हैं। क्या नैशनल कलैमिटी के तहत फंड से वे कुछ देने वाले हैं? उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी बात को मैं मानता हूँ। ...(व्यवधान) इसके पहले भी जब श्री राजनाथ सिंह जी थे, तो एक प्रश्न चला था फुड़ फॉर वर्क के संबंध में, यह आपको मालूम है। ...(व्यवधान) इसे दूसरी चीजों में भी लेकर गये। ...(व्यवधान) लेकिन वे उस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि दस साल पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, यू.पी. में क्या हुआ? ...(व्यवधान) मैं यह चाहता हूं कि आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं सब बताऊँगा। आप धैर्य रखिए। ...(व्यवधान)

17.49 hrs

Shri Mallikarjun Kharge, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Tariq Anwar and some other hon.

Members then left the House.

महोदय, नई कृषि बीमा योजना हम इसी वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने वाले हैं। राज्यों ने भी सर्वसम्मित से तय किया था और उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया था कि राज्य भी अपनी बीमा योजना लाएं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें यह तय करती हैं कि कौन सी बीमा कंपनी उनके राज्य में किसानों का बीमा करेगी। फिर राज्य सरकार तय करती है कि उस राज्य में किन-किन फसलों का बीमा होगा। राज्य सरकार ही यह भी तय करती है कि जांच का लेवल क्या होगा - ब्लॉक होगा, तहसील होगा या पंचायत हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि वह पंचायत लेवल पर मैपिंग करती है जबिक अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया जाता है जिससे किसानों का नुकसान होता है। हम राज्य सरकारों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि नीचे की इकाई तक मैपिंग करिए। हमको इसमें जो अंश देना होता है, वह देने के लिए हम तैयार हैं। बीमा का वर्ष 2014-15 का अंश हमने दे दिया है, सभी राज्यों के लिए दिया है और पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 73,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार से किसी भी राज्य में हमारा वर्ष 2014-15 का अंश बाकी नहीं है। वर्ष 2015-16 के लिए जब सर्वे

हो जाएगा, हम राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों को लगातार कह रहे हैं कि जल्दी सर्वे कीजिए और हमें बताएं कि हमें कितना अंश देना है, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, भले हमें खजाना खाली मिला हो। जो एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का कोयला घोटाले हुआ था, केवल 20 कोयला खदानों को नीलाम करके दो लाख करोड़ रुपये हमारे खजाने में प्रधानमंत्री जी ने जमा करा दिया है। हम कमी नहीं होने देंगे। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान पर जो संकट है, उससे किसान की ख्क्षा कैसे होगी। जब उसके खेतों में अधिक उत्पादन होगा और अधिक उत्पादन तब होगा, जब उसके खेत को पानी मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिन लोगों ने देश पर शासन किया, उन्होंने किसान के खेत की चिन्ता नहीं की। यह हिन्दुस्तान है, इटली नहीं है, यहां 125 करोड़ देशवासी हैं। जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर खेत को पानी मिले। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के मद में मेरे मंत्रालय में कभी 20 करोड़ रुपये, कभी 50 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या कभी 150 करोड़ दिए जाते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने पूरी सिंचाई योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये दिए हैं, सिर्फ कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके लिए 1,800 करोड़ रुपये दिए हैं। हम उसके लिए परिपत्र जारी कर रहे हैं, उसके लिए पैसे का आवंटन कर रहे हैं और जब तक हर खेत तक पहुचाएंगे, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सुख-चैन से बैठने वाली नहीं है। लेकिन इसमें राज्य सरकार कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, उससे हमारे परिणाम का प्रकटीकरण होगा। जो लोग किसानों की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के 67 वर्ष बाद भी क्या हमने देश की मिट्टी की चिन्ता की? हमने मिट्टी को सिर्फ मिट्टी समझा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की मिटटी को अपनी मां के रूप में समझने का देश की जनता के सामने आह्वान किया है कि भारत में जो मिट्टी है, वह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वह भारत माता है, उसकी गोद में हम खेलते हैं, पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और हमारी मां बीमार है। जब तक किसी की मां बीमार रहेगी, उसके बेटे सुख-चैन से नहीं रह सकते हैं। इसलिए देश के किसानों को यदि सम्पन्न बनाना है तो हमें अपनी धरती माता को स्वस्थ बनाना होगा। यह योजना देश में वर्ष 2007-08 में शुरू हुई - स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारी सरकार आई, उस समय तक इस पर 110 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह पैसा किस काम पर खर्च किया गया? उसी 110 करोड़ रुपये में लेबोरेटरी बनाना, कहीं-कहीं कुछ स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाना और कहीं-कहीं पर जैविक खेती के लिए कुछ पैसे खर्च करना आदि काम किए गए। लेकिन जब हम सरकार में आए तो प्रधान मंत्री जी ने उसके लिए

86 करोड़ रुपए का आबंटन किया और कहा कि पता लगाओ कि देश के अंदर कितने किसान हैं, कितनी जोत हैं। हमने छः महीने तक मेहनत की और जो आंकड़े आए, उसके अनुसार 14 करोड़ ऐसे किसान हैं, जिनके पास जमीन है, जोत है, उन्हें सॉइल हैल्थ कार्ड दिए गए। एक कार्ड की छपाई पर कितना पैसा लगेगा, मिट्टी खोदने में कितना पैसा लगेगा, प्रयोगशाला स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा, जब हमारे मंत्रालय ने बताया कि 567 करोड़ रुपए लगेंगे तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया और 568 करोड़ रुपए का आबंटन किया, जो हमें प्राप्त हो चुका है। जब तक हमारी धरती माता स्वस्थ नहीं होगी, तब तक किसान स्वस्थ नहीं होगा, सम्पन्न नहीं होगा। सन् 2017 के अंत तक हम हिन्दुस्तान के सभी किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड मुहैया कराने वाले हैं।

आज़ादी के इतने सालों बाद तक हिन्दुस्तान के अंदर मार्केट सिस्टम यानि मंडी का कानून है। दिल्ली में हमेशा प्याज और आलू के दाम बढ़ते थे। मंडी कानून राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन दिल्ली में तब संयोग से राष्ट्रपति शासन लागू था। मंडी कानून से फल और सब्जियों को अलग किया गया। उसके बाद 40 रुपए से ऊपर भाव नहीं गया। हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि इसे मंडी कानून से मुक्त करो, किसान को आज़ाद करो। उसे जहां मार्केट मिले, वह वहां जाए, जिससे उसे अच्छा दाम मिल सके। लगभग 12-13 राज्यों ने इसे मानना स्वीकार किया और अपने-अपने राज्यों में लागू किया। लेकिन प्रधान मंत्री जी उसी वर्ष एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 100 करोड़ रुपया दिया। क्योंकि राज्यों में जो मार्केट है, उसे ई-कनेक्टिविटी चाहिए। इस दिशा में हमारा काम शुरू हुआ और इस वर्ष राष्ट्रीय मंडी यानि पूरे देश का जो मार्केट है, वह किसानों के लिए खुला रहे। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि किसानों और खरीददारों को पूरे राज्य में व्यापार करने के लिए किसी भी लाइसेंस से मुक्ति दिलाना तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के खरीददार से जोड़ना, कृषि उपज विपणन में आने वाली अनेकानेक बाधाओं तथा समस्याओं को दूर कर देश के हर कोने में बाधारहित आंतरिक कृषि व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना, किसान को अपनी उपज अपनी पसंद के स्थान पर खरीददार को बेचने के लिए वास्तव में अधिकार देना, राज्य के अंदर तथा राज्यों के बीच मार्केट के विखंडन को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकीकृत मंडी के विकास के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। जब हमारी सरकार को शासन सम्भालने का एक साल पूरा होगा, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाँच करने वाले हैं जो पूरे देश की मार्केट को जोड़ सके।

बिहार से आए हुए विपक्ष के सांसद चले गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां मार्केट ही नहीं है, मार्केट नाम की कोई चिड़िया नहीं है। हमारी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और समझाया जा रहा है, चार-चार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बिहार इसके लिए रास्ते पर नहीं आ

रहा है। लेकिन बहुत से राज्यों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को देश में खुला मार्केट मिले और सब किसानों को उचित मूल्य मिले।

इसी प्रकार से नेता जी हरित क्रांति की चर्चा कर रहे थे। जब नेता जी हरित क्रांति की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे चिंता हो रही थी कि उन्हें पता नहीं कि पहली हरित क्रांति कब हुई थी। जब पहली हरित क्रांति शुरू हुई तो अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ। उत्पाद में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसके दुष्परिणाम एक-दो साल बाद आने लगे। मैं करुणाकरन जी को बधाई दूंगा। इन्होंने जो भाषण दिया, बड़ी ईमानदारी से भाषण दिया था। अपने भाषण में इन्होंने साफ-साफ कहा था कि पिछले तीन-चार सालों से देश में जो नीतियां चली हैं, उनके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब इनके पूरे भाषण को, हो सकता है अनजाने में कहा हो, आपके दल के लोग हो सकता है आप पर नाराज हों। लेकिन आपने ईमानदारी से अपनी बात कही थी कि देश में जो नीतियां बनती हैं, उनके परिणाम अच्छे या बुरे सामने आते हैं। इसलिए अंधाधुंध रासायनिक प्रयोग, संतुलित प्रयोग नहीं, इसीलिए साँइल हैल्थ कार्ड की व्यवस्था जहां हम देश में कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती के बारे में भी मैं कहना चाहुंगा।

जैविक खेती की हालत क्या थी कि उसके लिए मिशन मोड में भारत सरकार की ओर से एक पैसा किसी राज्य को नहीं जाता था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या अन्य योजनाओं में से पैसा निकाल- निकाल कर राज्य सरकारें उसी को जोड़ कर करती थीं। पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने कहा, जो अन्य योजनाओं में कम्पोनेंट थे, उनके लिए 100 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति हेक्टेयर किया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपया किया। हमने वित्त मंत्रालय में उसी समय निवेदन किया था कि परम्परागत कृषि विकास योजना, जिसमें जैविक खेती को महत्व मिले।

18.00 hrs

प्रधानमंत्री जी की जानकारी में जब यह बात आयी तो अब तीन सौ करोड़ रुपये इसके लिए दिया गया है। HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, just a minute. Now, it is 6 o'clock. If the House agrees, then we may extend the time of the House till the Minister's reply is over, and we will also take up the 'Zero Hour' afterwards.

... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Mr. Karunakaran has the right to speak. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, we will extend it till the reply is over. I think that the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री राधा मोहन सिंह: हिन्दुस्तान के कम से कम एक लाख गांवों में किसानों के पास अधिकतम पचास एकड़ जमीन है और मिनिमम एक एकड़ से ज्यादा की जोत किसी की नहीं है। हमने स्टेटवाइज़ उनके लिए तीन वर्षों के लिए कुछ राशि तय की है। पूरे देश में हमारी यह योजना प्रारम्भ होने वाली है। इसी तरह से राज्यों को बजट आवंटन किया जा रहा है। हमारे प्रमुख नेता जो बैठे हैं, वह जब चर्चा करेंगे तो जरूर कहेंगे कि इस बार केन्द्रीय योजनाओं में राशि कम की जा रही है। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं कि योजना परिव्यय में सभी मंत्रालयों के द्वारा जो कमी की गयी है, इसके बदल में डेढ़ लाख करोड़ रुपया राज्यों के पास अलग से जा रहा है। इससे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं या राज्य की योजनाओं में फण्ड की कमी को दूर किया जाएगा। पहले से दुगुना राशि उनके पास जा रही है।

जिस प्रकार से हम योजनाएं बनाते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं बनाती हैं और कई राज्य सरकारें अपनी योजनाओं में कृषि को महत्व देती हैं। मैंने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि हमने जब 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया तो उन्होंने 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देने की बात कही। इस प्रकार से किसानों को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। आरबीआई ने इस आपदा के बाद बैंकों को निर्देश दिया है कि हर राज्य में बैंक किसानों के कर्ज का पुनर्गठन करें। इसमें लोन की अविध एक साल के लिए बढ़ जाएगी और अगली फसल के लिए ऋण भी किसानों को देने की बात कही गयी है। लेकिन हिरयाणा सरकार ने इसमें दुगुना देने का काम किया है। हम यदि तीन-चार प्रतिशत पर किसानों को ऋण दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अपनी राशि डालती है और वहां किसानों को ज़ीरो प्रतिशत पर ऋण दिया जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

एक माननीय सदस्य स्मार्ट विलेज की बात कह रहे थे। स्मार्ट विलेज की जो लोग बात कर रहे थे, हम उनसे जरूर यह पूछना चाहेंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भारत सरकार और निजी कम्पनियां जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हों, वे बिना सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के ही हजारों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। ऐसा वर्ष 2000 में किया गया था। लेकिन यदि राज्य सरकार को एक एकड़ जमीन स्कूल, अस्पताल या सड़क के लिए अधिग्रहित करनी है तो इस पेचीदे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

राहुल जी खेती की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है। हमने राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त किया है, लेकिन मैं उस समय निवेदन करना भूल गया और मैं आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार वे हमारे इस संशोधित बिल का अध्ययन अवश्य करें, तब किसान की बात करें। छोटी और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से भी हम लोगों को गुजरना पड़ेगा तो फिर गांव किस प्रकार से मजबूत बनेगा? राज्य में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण सिंचाई योजनाओं के लिए होता है। यदि हिन्दुस्तान में सौ एकड़ जमीन है तो केवल 0.5 या 0.8 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण होता है और उसमें से भी 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण सिंचाई के लिए होता है और बीस प्रतिशत ही बाकी कामों के लिए होता है। यह कैसे किसान नेता हैं? मेरी विनती है कि एक बार वे इस बिल को जरूर पढ़ें। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब हरियाणा को कोई नेता या उत्तर प्रदेश का कोई नेता यह बोलता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उस समय देश भर के किसान जरूर हंसते होंगे कि जिन लोगों ने हरियाणा के किसानों को लूटा है, उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर लोग अरबपति और खरबपति बने हुए हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव पर लूटा। खेमका की आवाज पूरे देश में पहुंची थी और आज यादव सिंह के करतूत भी पूरे देश और दुनिया को पता है तो जिन लोगों ने किसानों को लूटने का काम किया है, वैसे लोग जब आज किसानों के हमदर्द होने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गांवों में बैठा हुआ किसान इसे मजाक के रूप में लेता है। श्री वैंकैय्या नायडू बता रहे थे, हम पूछना चाहते हैं कि जिस सरकार ने प्रधान मंत्री जनधन योजना शुरू की, वह क्या कारपोरेट घरानों के लिए है? जो प्रधान मंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई, क्या वह कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुई है, क्या यह कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? आज तक किसी सरकार ने वैसे लोगों की चिंता नहीं की, जो नौकरियों में नहीं हैं, जो किसी सेवा में नहीं हैं, जो किसी सेवा में हैं, सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, उन्हें तो

पेंशन मिलती है, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है, गांवों में रहता है, जब वह साठ वर्ष की आयु का होता है तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। अटल पेंशन योजना क्या देश के कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? लेकिन यह जो बोल रहे हैं, उनका चश्मा रंगीन है, कारपोरेट वाला जो चश्मा आंख के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके चश्मे का जैसा रंग होता है, उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। पिछले दस वर्षों तक हिंदुस्तान में चाहे कोल ब्लाक का मामला हो, चाहे टू जी स्पैक्ट्रम का मामला हो, सब कारपोरेट के हाथों में गिरवी रखा गया था। पूरा देश ठहरा हुआ था, देश के लोग निराश हो चुके थे, देश में घपलों और घोटालों की बाढ़ आ गई थी। गांव का किसान सिर पर हाथ रखकर सोच रहा था कि इस देश का क्या होगा और किसान की बात छोड़िये, शहर में पढ़े-लिखे लोग, सरकारी कार्यालयों में बैठे बड़े-बड़े अधिकारी सब निराश हो चुके थे, एक तरह से देश में ज़ड़ता आ गई थी। लेकिन श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद देश की जड़ता दूर हुई है, देश में गित आई है। जहां आज विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो गांवों के गरीब और किसान भी आज मानने लगे हैं कि नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने डंके की चोट पर कहा था और इसी सैंट्रल हाल में कहा था, पहले दिन ही प्रवेश करते समय कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों और किसानों के लिए समर्पित है और सिर्फ कहा ही नहीं था, उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से दिखा दिया है। आज गांवों के गरीब किसान मानने लगे हैं कि आजादी के 67 वर्षों के बाद यदि किसी ने हमारी चिंता की तो नरेन्द्र भाई मोदी ने चिंता की है और इसलिए चिंता की कि अभी तक जो प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनते हैं, वे गरीबी के विषय में बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यह देश का पहला प्रधान मंत्री मिला है, जिसने गरीबी को भोगा है और इसीलिए गरीबों को समर्पित यह सरकार निश्चित रुप से नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है और किसान का भविष्य हम निश्चित रूप से संवारेंगे, उसके संकट की घड़ी में हम उसके साथ हैं। कृषि राज्य सरकार का विषय होता है, उसी के माध्यम से हमें अपनी योजनाओं को लागू करना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि कई राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को तेजी से लागू कर रही हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारें, जिन्हें लूटने की आदत है, भारत सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए जो फंड जा रहा है, उसे त्वरित रूप से किसानों तक पहुंचाने में अभी अवरोध डाल रही हैं, वैसी राज्य सरकारों को निश्चित रूप से वहां की जनता सबक सिखायेगी और वैसी सरकार लायेगी, जो सरकार किसानों की सेवा कर सके। वैसी सरकारें राज्यों में निश्चित रूप से स्थापित होंगी। हम इस देश के किसानों के भविष्य को निश्चित रूप से बदलेंगे। इसी विश्वास के साथ जिन सदस्यों ने इस पूरी कार्रवाई में भाग लिया है और मार्गदर्शन किया है और उसमें कई बातें जो आई हैं, हो सकता है कि आज

तक हमने उस दिशा में कदम नहीं उठायें होंगे, हम निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से विचार करेगें और हम सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं, इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, we listened to the elaborate reply given by the hon. Agriculture Minister, and also that of the Parliamentary Affairs Minister. When I initiated the discussion, I never thought that it would become such an important issue. We have discussed this issue for two days. After the reply, there are some issues yet to be addressed. During the debate, each and every Member from the Treasury Benches has agreed that there is a very serious situation in the agricultural sector. I think the Minister has also agreed with that. It is mainly because the input prices are going up without any control. It is either the price of seeds or of fertilizer or of any other thing is going up. At the same time, the return is very less. Here, I would seek a clarification from the hon. Minister. Hon. Minister has said that they have raised the MSP two or three times. At the same time, the inflation rate for the last ten years is very high. I do not want to go to the other political issues. I do not go to the developmental or nondevelopmental issues. But, I would like to know whether the Government is willing to raise the remunerative price especially considering these facts that we have now.

The second clarification that I need is this. The Swaminathan Committee has given the Report. The two main suggestions of the Swaminathan Committee Report is about the interest rate. It has mentioned that the interest rate should be fixed at four per cent. I can say that in Kerala, many of the agricultural cooperative banks are giving zero interest rate especially on paddy loans and not other loans. He has also suggested that if it is possible, the interest rate should be minimal to one per cent or the zero per cent. It is also with regard to the remunerative prices. It may be true that it is at the time of the last Government or this Government. We are talking about the issues of the farmers. With regard to these two issues, what is the approach of the Government?

The Minister has rightly pointed out that there are some policy issues. I would like to say that in Kerala the price of rubber three years back was Rs.350

for one kilogram. Now it is Rs.80 to Rs.90. It is about the policy issue. So, it is true that it was the fault of the earlier Government. All the Members from Kerala in this House, irrespective of the political parties have raised the issue. I would like to know whether the Government is ready to give any relief to the rubber farmers. I would like to ask on these three issues.

About the norms of the natural calamities, I would like to say that some of the items are not included like the sea-shore and the land slide. These are not included. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I do not want you to make one more speech.

... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: That also has to be revised.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have a single point for clarification from the hon. Minister. He has given a very elaborate answer. But one thing was missing. I would like to get an answer from him so that the House will be educated. पशुधन हमारी कृषि की एक प्रमुख व्यवस्था है। India's animal husbandry in respective States gives support to the farming community. पिछले 40-50 सालों से जो पशुधन हमारी संपदा थी, वह संकुचित होता जा रहा है। जो इंडेजिनस ब्रीड गुजरात का है, जो इंडेजिनस ब्रीड आंध्र प्रदेश का अंगोल का आक्स है, जो इंडेजिनस ब्रीड हमारे ओडिशा के सुजैनपुर की काउज हैं, जो इंडेजिनस ब्रीड हमारे बफैलो या कैटल है, उसके ऊपर जो गवेषणा हो रही है, उसके ऊपर हमारे देश में क्या क्रियान्वयन हो रहा है? हाल ही में जो व्यवस्था आपने कर रखी है, उसके बारे में अगर आप नहीं कहेंगे तो एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन हमारे देश में है, वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: You just ask the question. I do not want another debate.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I will ask only a question. Recently, I had an opportunity to tour the rain-affected area along with the Minister of State for Agriculture Shri Mohanbhai Kundariya and Shri Venkaiah Naidu. The specific request from the farmer is regarding the universal crop insurance. Whenever they are taking the loans from either the commercial bank or

from the cooperative bank, they are cutting the premium. But they are not paying the claim whenever the crop is damaged stating that fifty per cent of the crop in the entire Mandal has to be damaged. This is very obnoxious. It will not help the farmers. On one side, they are cutting the premium and on the other, they are refusing to pay the claim.

Secondly, there is a distress sale because they have to sell the wet grains and the buyer takes it just at 50 per cent of the rate. Our Minister of State is also present. Their request is that you should give 40 or 50 or 60 per cent of the loan on that crop so that they can sell it at a convenient price. These are the two points I wish to make. These two Ministers were there. They said they would seriously think over these issues. I would request the hon. Minister to respond on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow everybody. I will allow one Member from each party. This is not a debate. Discussion under Rule 193 is over. As a special case I am allowing this.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय मंत्री जी ने जो विस्तार में रिपोर्ट दी है, उसने बहुत सी शंकाओं को दूर किया है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं दो क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ। बारिशों के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ, उसकी फिज़िकल वेरिफिकेशन जो आई, असैसमैंट हुई, उसको मुआवज़ा देने की बात हुई, मुआवज़ा ड्योढ़ा कर दिया, वह अच्छी बात की और बधाई की बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके पास रिपोर्ट भी आ गई होगी कि जो उत्पादकता है, बहुत कम है, आधी रह गई है। उस पर सरकार क्या सोच रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कोई बोनस देने की बात है? हमारी पंजाब सरकार ने 300 रुपये क्विंटल पीछे मांगा है। क्या सरकार देने के लिए तैयार है या नहीं? दूसरा, गेहूँ की और दूसरी फसलों की तो असैसमैंट हो जाती है। लेकिन सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जैसे आलू है, तो आलू पर 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तो खाद ही डलती है, 10 हजार रुपये का बीज पड़ता है। तो उसको भी कंपनसेशन उसी में दिया जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने केन्द्रीय टीमों के गठन की बात की है। वे बहुत सारे प्रदेशों में गई हैं और बहुत अच्छी बात है। शायद यह पहली बार हुआ है। क्या आपने पंजाब के लिए किसी टीम का गठन किया है? अगर किया है तो वह कब वहाँ जाएगी?

श्री जगदिम्बिका पाल (डुमिरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत से ऐसे खेत हैं जिनका स्वामित्व किसान के पास है लेकिन वह बटाई पर दूसरे को देते हैं। तो जब मुआवज़ा मिल रहा है तो जिसकी ओनरिशप है, उस ज़मीन के स्वामी को मिल रहा है और बटाईदार और बोने वाला, जिस किसान ने खाद और बीज डाला है, उसको इसलिए, कि ज़मीन उसके नाम नहीं है और वह बटाई पर खेती कर रहा है, क्या इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देंगे कि जिसने वास्तविक रूप से ज़मीन पर खेती की है, उसको पैसा मिलेगा?

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मैं कृषि मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ कि वे बहुत गंभीरता से किसानों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं खास तौर से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आजकल बेमौसमी बारिश का नुकसान फल उत्पादन करने वाले किसानों को हुआ और उनके लिए आपने बहुत अच्छा किया और कर रहे हैं। लेकिन जो मत्स्य खेती करने वाले मछुआरे हैं, बेमौसमी बरसात आने से इन मछुआरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इनके लिए आज तक कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप ध्यान दें और बड़ी संख्या में जो मछुआरे हैं, उनको भी दिलासा दें।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दिया है एनडीआरफ और एसडीआरएफ के बारे में, वह तो टैम्पोरेरी रिलीफ है, मुआवज़ा नहीं है। किसानों द्वारा आत्महत्या कांग्रेस की नीतियों के कारण हुईं, यह सही बात है और पूरा देश इसको जानता है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि to save the farmers and improve the agricultural sector, will this Government declare any long-term or short-term policy under which the seed, fertilizer, MSP, insurance, etc., will all be covered?

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक बात की जानकारी लेना चाहता हूँ। यह हर साल होता है कि कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा से प्रभावित होते हैं और ऐसे ही मुआवज़े का ऐलान किया जाता है। क्या कुछ ऐसा लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्रालय का प्लान है कि जो खेती पर 100 प्रतिशत निर्भरता है, उसको कम करके कुछ सहायक धंधों में उनको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे पहले सूअर पालन था या मुर्गी पालन था, अब वह बिल्कुल ज़ीरों हो गया है। जब उनकी 100 परसेंट निर्भरता खेती पर रहती है तो एक छोटी सी बारिश भी उसको खुदकुशी के लिए मजबूर कर देती है। क्या

सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि किसान की खेती से आत्मनिर्भरता कम की जा सके और किसी और सहायक धंधे में उसे लगाया जा सके?

HON. DEPUTY SPEAKER: This would be the last Member, I cannot allow any more. I cannot open one more debate on this now. This is the last question. I cannot allow one more debate.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का आपने उल्लेख किया है कि वहां 16 प्रतिशत के आसपास कुल भूमि सिंचित है। झारखण्ड में उससे भी कम पांच प्रतिशत ही सिंचित भूमि है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से वहां के लिए कुछ सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करायें।

श्री राधा मोहन सिंह: सुनील जी ने जो कहा, उदाहरण हमने दिया और यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य की मशीनरी की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र की दुर्दशा हम देख चुके हैं, उससे सबक लेते हुए राज्य में आपकी सरकार बन गई है, उसको जो भी यहां से योजना जाये, पैसा जाये, उसका ठीक से सदुपयोग कराइये, यही मैं कहना चाहूंगा।

जो मछली की बात आई, एन.डी.आर.एफ. के जो नोर्म्स बदले हैं, इसमें हमने मुर्गीपालन, मछलीपालन और पशुपालन, इन तीनों में जो कुछ सहायता मिलती थी, जैसे दुधारू पशुओं एवं जो दूध नहीं देते हों, ऐसे पशु का यदि नुकसान होता है या मुर्गियों में पर मुर्गी उसकी डैथ होने पर जो राशि थी, उसको डेढ़ गुना किया है, उसका पूरा चार्ट है। इसी प्रकार से मछुआरे की नाव नष्ट हुई या जाल नष्ट हुआ तो उसके लिए भी हमने उसमें डेढ़ गुना व्यवस्था की है। फिर कटाव यदि कहीं बाढ़ से होता है या बाढ़ का पानी निकलने के बाद साल्ट जमा होता है या भू-स्खलन होता है तो इन सारी मदों में जो पहले नोर्म था, उसको हमने डेढ गुना बढाया है, नाव पर भी और जाल पर भी यही व्यवस्था है।

अभी जो माननीय करुणाकरण जी का सवाल था, यह अच्छा किया कि उन्होंने मुझे स्मरण कराया। एम.एस.पी. पर तो हमारे वेंकैया जी ने विस्तार से बताया है कि एम.एस.पी. स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक हो, मुझे याद है, उस समय हम लोक सभा में थे, पहले यह कमेटी बनी तो उसके अध्यक्ष सोमपाल जी बने थे, बाद में फिर स्वामीनाथन जी बने। उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर किसान नीति तय हुई। उस किसान नीति में जो आयोग की सिफारिशें थीं, उनमें से दस बातों को नहीं माना गया था। उसके बाद जो दस साल आप रहे हैं, आपने भी मेहनत की होगी, हमें अभी आये हुए दस महीने हुए हैं, हम इस पर प्रयास करेंगे, ऐसा हमारे वेंकैया जी ने बताया है।

रबड़ का जहां तक सवाल है, इसके दाम घटे हैं और वाणिज्य मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बातचीत करके इस दिशा में क्या हो सकता है, हम बात करेंगे। इसमें इसका ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है न, तो कुछ प्रोत्साहन मिले या क्या हो, इस पर वाणिज्य मंत्रालय से हम लोग बात करेंगे।

उस दिन आपके दो विषय बड़े महत्वपूर्ण थे। एक विषय तो यह था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी ने जो वहां पत्र दे दिया है कि बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है, इसमें जयपुर हाईकोर्ट की जोधपुर बैंच ने एक निर्णय दिया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ जितनी हैं तो जो उसके मूल मैम्बर्स हैं, उनसे तो लें, लेकिन नये-नये मैम्बर्स बनाकर उनका शेयर लेते हैं और भाग जाते हैं तो उसने कुछ आदेश किया। उसी आधार पर आर.बी.आई. ने सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी पब्लिक तथा नोमिनल सदस्यों से डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती हैं, ऐसा निर्देश जारी किया गया था।

दूसरा उस दिन एक विषय था कि यह जो कुडानाड नम भूमि का कोई पैकेज भारत सरकार से मिला था, यह 1840 करोड़ रुपये का 2008 में था, हम लोगों की सरकार आने के दो साल पहले उसका समय समाप्त हो गया। केरल भी जब हम लोग गये थे तो मुख्यमंत्री ने इंडुक्की जिले में या कहां पर था, लेकिन यह सवाल उस समय मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया था, लेकिन हम लोगों के आने के दो साल पहले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। डॉक्टर इलाज करता है, जब किसी रोगी में सांस भी रहती है, लेकिन डैड डिक्लेयर हो गया, दफना दिया गया, उसके बाद डॉक्टर भी उसका कुछ नहीं कर सकता है।

महोदय, मान साहब ने जो सवाल उठाया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जो खेती है, जिसमें हम फसल उगाते हैं। इसमें हमें अल्टरनेटिव काम मिलना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या है? यदि गांवों के अंदर नेशनल हाईवे नहीं होगा और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें नहीं बनेंगी तो गांव में दुकानें नहीं खुल सकती हैं। लोग मुर्गी पालन नहीं कर सकते। इसिलए गांवों के अंदर अच्छी सड़क जाए, जिससे लोगों को अल्टरनेटिव काम मिल सके और देहातों में भी उद्योग-धंधे खड़े हो सकें। यदि आपने वास्तव में यह सवाल अपने मन से पूछा है तो आप कल से उस आंदोलन में मत जाइए। यदि भूमि सुधार कानून नहीं बना तो फिर गांव के अंदर सड़क, अस्पताल, स्कूल नहीं होंगे। फिर लोग न ही मुर्गी पालन कर सकेंगे, न ही गौशाला खोल सकेंगे और न ही वहां से दूध मिल सकेगा। यदि वह साईकिल पर टमाटर लादेगा और गांव में उबड़-खाबड़ रास्ते से जाएगा तो बाजार जाते-जाते उसके 25% टमाटर खराब हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन बनने वाली सड़क पर वह टमाटर ले जाएगा तो उसके टमाटर स्र्रक्षित रहेंगे और वह कम समय में भी पहंच जाएगा।

इसी प्रकार से, कहीं से बंटाईदारों की समस्या की बात आयी है। जो पुरानी व्यवस्था है, उसमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन, पहली बार हमारी सरकार बनी है तो भूमिहीन मज़दूरों के पांच लाख समूह बन रहे हैं। जनवरी तक ढाई लाख समूह बन चुके हैं। भूमि सुधार बिल के संबंध में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की जो बात आ रही है तो हम जहां भी ज़मीन लेंगे, तो उस ज़मीन पर जो मज़दूर काम करता है, उसको भी नौकरी देने की व्यवस्था हमने उसमें की है।

पशुपालन एक बहुत अच्छा विषय है क्योंकि खेती का मेरूदण्ड है पशु। जलवायु परिवर्तन पर मेरा बोलना बाकी रह गया था। इस सदन में मैं जिन्हें सबसे विद्वान और समझदार सदस्य मानता हूं, उनका जो सवाल आया है, उसने निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही उपयुक्त अवसर प्रदान किया है। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो ब्रिटिश दूध का पावडर मिलता था कि बच्चों का हेल्थ ठीक रहे। हम सभी को पता है कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तब हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश बना। अब देश में, दुनिया में संकर नस्ल, विदेशी नस्ल के पशु मिलने शुरू हो गए। लेकिन आज से सात-आठ साल पहले यह बात आने लगी कि यह जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वर्ष 2020 तक यदि क्लाइमेट एक डिग्री भी बढ़ गया तो यह संकर और विदेशी नस्लों की गायों और भैंसों की संख्या में निश्चित रूप से तेजी से ह्रास होगा। आप देख रहे होंगे कि जो विदेशी या संकर नस्ल की गायें हैं, उनकी प्रजनन क्षमता अब पांच से घट कर तीन बार हो गयी है और उनमें तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। दुनिया के कई देशों ने अपने-अपने देश में हमारे हिन्दुस्तान से करीब 20-21 नस्ल की गायों को अपने देश ले गए और वहां की गायों का नस्ल सुधार किया। अभी हम ब्राजील गए थे। न्यूजीलैण्ड में हम और हमारे माननीय सदस्य दोनों साथ ही थे। देशी नस्लों के लिए हर देश में नेशनल ब्रीडिंग सेन्टर है, जो उन देशों में पशुओं की देशी नस्लें सुधारने का काम करता है। जब हम सरकार में आए थे तो देश में राज्यों के अंदर 170-180 ब्रीडिंग सेन्टर थे। उनमें 98% ब्रीडिंग सेन्टर, जो विदेशी और संकर नस्ल की गायें हैं, उनके सुधार में लगे हुए थे। प्रधान मंत्री जी ने इसकी चिंता की और कहा कि जो देशी नस्ल की गायें हैं, जब तक उनकी नस्ल सुधार नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाला जो दूध का संकट होगा, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें पांच सौ करोड़ रूपए मिले थे। चार महीने बीत चुके थे, तो जो पांच सौ करोड़ हमें मिले थे, हमने यह किया कि वर्ष 2017 तक हम देश के अंदर ब्रीडिंग सेंटर्स राज्यों के माध्यम से बनायेंगे, जिसमें सिर्फ देसी नस्ल के गायों के संवर्धन की बात होगी। मुझे खुशी है कि पहले साल हमने तय किया था कि डेढ सौ करोड़ रूपए खर्च करेंगे, क्योंकि वह तीन साल का मामला था। 368 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट राज्यों ने दिए और पहले साल में हमने उसे सैंक्शन किया और बड़ी संख्या में अब राज्यों के अंदर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जहां देसी नस्लों पर काम शुरू हो गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने 50

करोड़ रूपया दिया कि हर देश के अन्दर नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं, तो हमने घोषणा की कि हिन्दुस्तान में भी एक बनेगा और 50 करोड़ रूपया दे दिया। हमने कहा कि दो बनेंगे, दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर बनेंगे और इसके लिए हर राज्यों से प्रस्ताव मंगाए। जो यहाँ के उस विभाग के अधिकारी थे, कुछ वैज्ञानिकों ने जाकर राज्यों के अन्दर अध्ययन किया कि किस राज्य को हम यह दें जिसके अन्दर ऐसी मशीनरी हो तो एक राज्य निकला आन्ध्र प्रदेश मिला और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश मिला, जहाँ की सरकार इस दिशा में पहले से ही तेजी से काम करती है। इन दोनों राज्यों में एक-एक नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना होगी।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मंत्री जी, आप लोग दिल्ली में चलाने नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। ...(व्यवधान) सरकार यह करे कि दिल्ली में पशु पाल सकें जिसके पास सौ, दौ सौ गज जमीन है। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: आपकी बात से हम सहमत हैं कि दिल्ली में जिसका बड़ा आवास है, उसके पास एक गाय होनी चाहिए। इस बारे में आप वैंकैय्या जी से बात कीजिए, यह महानगर का मामला है तो कहीं कुछ सुझाव हो सकता है। ... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: 25 परसेंट दिल्ली में अभी भी गांव हैं। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: आप उनसे मिलकर बात कीजिए। आप उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर मिलिए। मैं यह बता रहा था कि ये जो देसी नस्ल की हमारी गाय हैं, आज समय की आवश्यकता है कि इनके संवर्धन के साथ-साथ संरक्षण की भी बात करें। इसिलए हम उसमें एक योजना और लाए, राज्यों को उसके लिए पैसा दिया है कि आप अपने राज्यों में आयोजन कीजिए कि जो देसी गाय का जो सबसे अच्छा पालक हो, अच्छा दूध देने वाला हो, उसे गोपाल पुरस्कार भी दे और कई प्रकार की गाइड लाइन्स दी हैं। 368 करोड़ रूपए की स्कीम की स्वीकृति दी है और मैं समझता हूँ कि जितनी राशि की जरूरत पड़ेगी हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें निश्चित रूप से करेंगे। जो हम एक नंबर के दुग्ध उत्पादक देश हैं और वर्ष 2020 आने तक जो चुनौती हमारे सामने खड़ी होने वाली है, उसका न सिर्फ हम सामना करेंगे, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके पक्ष में हैं।

मैंने शुरू में भी आभार प्रकट किया था कि करूणाकरण जी बहुत अच्छा विषय और उचित समय पर लाए थे। आज माननीय करूणाकरण जी का जन्म दिन भी है, तो बहुत-बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, the issue raised by Shri Karunakaran was discussed in the previous Session and today also. This shows how seriously the Parliament of India, particularly the Lok Sabha, takes care of the problems of rural people, particularly farmers. I would like to thank Shri Karunakaran and all other Members who have contributed to a constructive discussion in the House. It sends a good message across the country about the Indian Parliament.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up 'Zero Hour'.

Shri Nishikant Dubey, please be brief, do not take much time.

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं संथाल परगना से सांसद हूं। कल ही हमारे यहां एक आतंकवादी पकड़ा गया है, जो बांग्लादेश का है। जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बात लगातार उठा रहा हूं। मेरे संथाल परगना के 6 जिले हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकूर, जामताड़ा और साहेबगंज। यह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यह केवल रिलीजन का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, वे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, बाई का काम कर रहे हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं, कंडक्टर का काम कर रहे हैं और हमारे यहां के जो गरीब लोग हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे वर्धमान ब्लास्ट हो, चाहे यहां पश्चिम बंगाल में क्रिश्चियन मिशनरी पर हमला करने का सवाल हो, चाहे नन के रेप करने का सवाल हो, सभी जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों की संलिप्तता उजागर हुई है।

इसीलिए आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि 'आधार कार्ड' और एन.पी. आर. लाने के लिए माननीय गृहमंत्री जी ने इस सदन में जो आश्वासन दिया था, नागरिकों की पहचान हो, हमारे यहां नक्सलिज्म और घुसपैठिए की समस्या है, जो डेमोग्राफी चेन्ज हो रही है, उसके ऊपर रोक लगायी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Pralhad Joshi, Shri Rajendra Agrawal and Shri P.P. Chaudhari are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, I am bringing a very sensitive and tragic issue before the august House for a decision by the Government of India.

On April 11th, in my own eyes two young boys – one aged 20 years and another aged 26 years – died unnatural deaths and six were injured. The reason for these incidents was lightening in my district of Balasore in Odisha. In the last month of March, six people had died in Khurda which is very near to Bhubaneswar and 20 were severely injured due to lightening. A study by the Government of India in 2014 has said that in the last 35 years, out of the total

deaths that have happened in the country due to natural disaster, 39 per cent of the people have died because of lightening. This is such a serious issue. But the unfortunate part is that those people who die or suffer grievous injury are not covered for relief under SDRF or NDRF.

Therefore, my submission to the Government would be to take serious cognizance of this issue and immediately declare lightening as a natural disaster and provide relief under SDRF and NDRF.

श्री जुगल किशोर (जम्मू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान जम्मू-कश्मीर के जिला राजौरी और तहसील कालाकोट की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पर कोयले की बहुत सारी खाने हैं लेकिन सरकार ने उन खानों से कोयला निकालना बंद कर दिया है। शायद जम्मू-कश्मीर पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाती है और वहां से कोयला नहीं निकल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार की खनन करने की ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत बंद हुयी खानों को सिक्रय किया जा सके तािक वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके और कोयले का उत्पादन भी हो सके। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो केन्द्र सरकार उन सभी खानों को किसी संधि के तहत अपने अधीन करना चािहए जिससे उनका लाभ देश को मिल सके।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें 150 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, वे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खानों में जाते हैं और वहां से कोयला निकालते हैं, जिसके लिए उनको 150 रुपये दिये जाते हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। यह उन लोगों के साथ धोखा है। मेरा यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर की सरकार को निर्देश दे कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ायी जाये और उनको परमानैन्ट भी किया जाये।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वह कृषि पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही टिकी हुयी है। किसानों द्वारा फसलों में रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग करने से दिनों-दिन खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। दवा और रासयनिक उर्वरकों के एजेंट बिना किसी प्रयोगशाला परीक्षण के उनकी अंधाधुंध खपत बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं तथा उनका उत्पादन करने वाली कम्पनियां विक्रेताओं को सिंगापुर, बैंकाक, गोवा आदि की सैर का प्रलोभन देकर उत्पादों की खपत बढ़ा रहे हैं।

अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश 50 वर्ष पहले जिन जहरीले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं उनका भारत में अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। हमारी समूची कृषि पैदावार इनसे दूषित हो रही हैं। बीमारियों के कारण प्रत्येक घर दवाइयों का स्टोर बना हुआ है जिसका मुख्य कारण प्रदूषित जल और पैदा होने वाला जहरीला दूध, चावल, गेहूं, गन्ना तथा फल और सब्जियां हैं। सरकार और कृषि विभाग को इस संबंध में एक व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समस्या हमारे देश के लिए एक नये तरह का आतंकवाद है, जो विकसित और विरोधी देशों द्वारा फैलाया जा रहा है

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मृदा परीक्षण के साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक व्यापक रणनीति बनाकर कार्य किया जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Virendra Kumar.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. This is to invite the attention of the Government to the fact that supply of cooking gas in Kerala has been interrupted for the last two weeks due to the indefinite strike launched by contract workers at the Indian Oil Corporation's Udayamperoor bottling plant. It is to be noted that almost every month there has been a strike in any of these bottling plants in Kerala. Prior to the strike in IOC plant, gas supply was crippled by lorry drivers' strike at the BPCL's Irumbanam bottling plant. Udayamperoor plant distributes more than fifty thousand gas cylinders every day.

In addition to regular strikes by the workers at the bottling and supply chain, lack of transportation facilities also adversely affect the availability of gas cylinders. For instance, Indane LPG distribution in southern part of Kerala has been interrupted due to the lack of transportation facilities. There are not enough trucks to transport cylinders from the bottling plant in Kollam. At present only 30 trucks are in service. It requires the services of 130 trucks to normalize the supply. It is learnt that the laxity on the part of the authorities in renewing the contracts of the trucks is the major reason behind the shortage of transportation facilities at the

Kollam Plant of Indane. As a result customers have to wait for forty to sixty days to get their cylinders refilled.

Therefore, I would like to request the Government to redress the grievances of the customers by declaring the supply of LPG cylinders as an essential service and apply the provisions of the Essential Services Maintenance Act whenever the supply of LPG cylinders is interrupted by strike.

Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित एक लम्बी चर्चा के बाद माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत प्रभावी जवाब दिया है। मेरा उसी से संबंधित विषय है। यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं ने देश के किसानों के सामने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। किसान का खेती का धंधा घाटे का हो गया। एक तरफ लागत खर्च बढ़ रही है, उस अनुपात में उत्पादन का दाम नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी तरफ रबी एंव खरीफ दोनों में सूखा, बाढ़, ओला, पाला, अतिवृष्टि से लगातार फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी यहां मंत्री जी बता रहे थे कि इस सीजन में देशभर में 106 लाख हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिस बात को लेकर हम यहां पिछले दस सालों से लड़ रहे थे कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पुरानी बोत को सरकार में आने के बाद मान लिया। उसमें दो-तीन संशोधन किए। एक तो फसलों का जो नुकसान होता था, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। अब उसमें नए प्रावधान आ गए। 33 प्रतिशत तक उन्होंने फसलों के नुकसान को जोड़ लिया और जो पैसा मिलता था, उसका डेढ गुना बढ़ा दिया। मैं मानता हूं कि यह राहत है। मेरा निवेदन है कि जब तक फसल बीमा योजना नहीं आएगी, सौ प्रतिशत फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान की खेती की इकाई उसका आधार नहीं बनेगा, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। आज किसान के पास जितने भी मेहनत के साधन हैं, वह सब कुछ कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार नई फसल बीमा योजना बनाना चाहती है। उसके लिए अनुमति चाहिए और राज्य सरकार ने जो पैसा मांगा है, उसे तत्काल मिले।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P P Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Ganesh Singh.

Shri Anoop Mishra --- Not present.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise an important issue regarding women

engaged in agriculture across the country. As per census 2011, 9,80,00,000 women are engaged in agriculture, out of which 63 per cent are agricultural labourers and 37 per cent are farm cultivators. The percentage of agricultural land owned by women is very low. For example, in Uttar Pradesh, it is just 3 per cent and the highest is in Kerala which is 14 per cent.

In this connection I would like to submit that there is a need to expand our efforts for skill development, training and recognition of women farmers. The Government is having only scheme for women agriculturists, namely *Mahila Kisan Surakshikaran Parivarna Yojana*. Under this scheme only 24,00,000 beneficiaries are covered out of 9,80,000 women farmers. Recently, the NDA Government has cut down the Budgetary allocation for agriculture. I would like to request the Ministry of Agriculture to address these specific gender based issues in land ownership, credit and skill and to monitor the progress of women agriculture beneficiaries across various schemes.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां मगही पान की खेती लगभग 20-25 गांवों में होती है। मैं लगातार दस वर्षों से देख रहा हूं कि वहां के किसानों की हालत माली होती जा रही है। बारिश, आंधी, कीड़े-मकौड़ों से फसल बराबर नष्ट हो रही है। पान उपजाने वाले किसानों को आज तक माली का दर्जा दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे देश में पान उपजाने वालों को किसान का दर्जा दिया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो पान उपजाने वाले किसान हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए सरकार द्वारा जांच कराकर अनुदान देने की कृपा की जाए।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महोदय, आज हम देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं मेरे संसदीय क्षेत्र मुंबई साउच्य सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले माहिम, सिबरी, सायन, बरली और ट्राम्बे के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक महत्व वाले किले है, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज इन किलों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तथा उनकी वर्तमान स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इन किलों का सर्वश खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही में सरकार का ध्यान मुंबई में बहुत सुन्दर एवं लंबी कोस्टल लाइन जो वरली-माहिम-दादर से होकर गुजरती है की बीचों की ओर दिलाना चाहता हूं। आज मुंबई में बीचों की स्थिति भी काफी खराब है, इन बीचों को

गोवा के बीचों के अनुरूप विकसित एवं सुन्दर बनाए जाने की आवश्यकता है। दोनों कार्य होने से मुंबई पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन ऐतिहासिक किलों की मरम्मत एवं आवश्यक पुनर्निर्माण किया जाए तथा मुंबई के बीचों को गोवा के बीचों की तरह सुन्दर बनाया जाए जिससे मुंबई में पर्यटन को बल मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र को भी अच्छी आय होगी। डॉ. किरीट सोमेया (मुम्बई उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर वैली में एक बार पुनः पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं। हाफिज सैय्यद जैसे व्यक्तियों द्वारा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की समर्थन से कश्मीर में अशांति का निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। उसके प्रति भारत सरकार और सेना अपना कर्त्तव्य निर्वाह कर रही है। जम्मू-कश्मीर और भारत सरकार को इस विषय के साथ कड़ाई से निपटना चाहिए।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को ग्रामीण विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मनरेगा के बजट को बढ़ाकर एक अच्छा कार्य किया है। माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि मनेरगा के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए इसमें स्वच्छ भारत मिशन अभियान को जोड़ा जाए, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक महत्वपूर्ण योजना मानते हैं। मनरेगा में गांव की सड़कों, गली, नाली की सफाई को भी शामिल किया जाए जिससे शहर की तरह हर गांव भी साफ-सुथरा दिखाई दे। मनरेगा के द्वारा लोगों को सड़कों, गलियों और नालियों की सफाई के लिए वहीं मजदूरी दी जाए, जैसे मनरेगा में अन्य कार्यों के लिए दी जाती है इससे गांवों में सफाई के साथ-साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। पूर्व में गांवों में सफाई करने वालों को प्रत्येक घर में रोटी एवं अनाज दिया जाता था। परंतु अब नगरपालिका क्षेत्रों में ज्यादा वेतन पाने वाले स्थाई रोजगार के कारण, सफाई करने वाले ग्रामों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पंचायतों की आय इतनी नहीं है कि वे सफाई कर्मचारी को स्थायी रूप से रख सकें। अतः मनरेगा के तहत अन्य कार्यों की तरह पंचायतों के तहत ग्रामों की सफाई की व्यवस्था करने से रोजगार भी बढ़ेगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: SHRI C.R. CHAUDHARY and SHRI BHAIRON PRASAD MISHRA is permitted to associate with the issue raised by Shri SHRI SUKHBIR SINGH JAUNAPURIA.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पंजाब में फसलों की हो रही बर्बादी की ओर लेकर जाना चाहता हूं। करीब 14 राज्यों में जो बेमौसमी बारिश हुई है इससे काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में गेहूं ज्यादा डिस्कलरड हुआ है, उसका रंग बदला है, गेहूं का दाना भी बहुत कमजोर और पतला हुआ है। जो खरीद एजेंसियां हैं वह भी उसकी खरीद के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से खरीद नहीं कर रही है। जिसकी वजह से मंडियों में किसानों के अनाज के अंबार लग गए है। आज भी मौसम के खराब होने का बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि सारा अनाज ओपन मंडियों में पड़ा है और किसान वहां बैठा है। इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है।

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कई स्टेट्स में सैंट्रल गवर्नमैंट की टीम सर्वे के लिए गयी है, जिसके बारे में आज मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे। अगर हम नाम्स चेंज की बात करें, तो जो गेहूं डिस्कलर हुआ है, उसमें गुजरात को 25 परसेंट, राजस्थान को 50 प्रतिशत, मध्य प्रदेश को 40 प्रतिशत और ऐसे ही हिरयाणा को रिलैक्सेशन दी है। जो टूटा हुआ दाना है, उसमें हिरयाणा, मध्यप्रदेश को दस परसेंट और राजस्थान को 9 परसेंट की रिलैक्सेशन दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब ने हमेशा देश में अनाज के भंडार भरे हैं, लेकिन आज तक वहां पर न तो कोई टीम भेजी गयी है और न ही प्रोक्योरमैंट, डिस्कलर या टूटे दाने के लिए नार्म्स बदले गये हैं। मेरी सरकार से मांग है कि वह पंजाब में जल्दी से जल्दी एक केन्द्रीय टीम भेजें, जिससे किसान को राहत मिल सके। किसान जो बाहर आसमान के नीचे बैठा है, वह भी अपना अनाज बेचकर घर जा सके। ...(व्यवधान) श्री अरिवंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत व्यथित हूं कि नैशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की बिल्डिंग्स जो मुम्बई शहर में हैं, उसका विषय मैंने इस सदन में पहले भी उठाया था। मुझे आश्वासित किया गया था कि उस पर ध्यान देकर हम काम करेंगे। इंडिया यूनाइटेड मिल और दिग्विजय मिल की वहां जो पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, वे छह माले की हैं, लेकिन उनमें लिफ्ट नहीं है। उसकी अवस्था इतनी खराब है कि उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। भास्कर नाम की एक कम्पनी के साथ एनटीसी के लोगों ने ज्वाइंट वेंचर किया और 55 लाख रुपये उसकी मरम्मत के लिए दिये। उस 55 लाख रुपये में से सिर्फ 15 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। वहां बारिश कभी भी आ सकती है। इस बार तो उलटा ही हो रहा है, क्योंकि अप्रैल तक बारिश हो रही है। यह बारिश आगे भी आयेगी। अगर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया, तो बहुत बड़ा हादसा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमित दी, उसके लिए मैं आपको खास धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से टेक्सटाइल मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि वह इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें और उसकी मरम्मत के लिए तुरंत पैसे अदा करें।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, बेमौसमी बारिश के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसकी फिजिकल वेरीफिकेशन करके नुकसान का असेसमैंट तो कर दिया, उसके नाम्स्र्त तय कर दिये, किंतु वे अभी तक पहुंचे नहीं हैं, डिले हैं। हमारा कहना है कि वह जल्दी से जल्दी जाने चाहिए। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि उत्पादक बहुत कम रह गया है, यानी पर एकड़ आधा रह गया है। जहां 20 क्विंटल एकड़ गेहूं निकलती थी, वहां 10 क्विंटल ही निकल रही है। उसे कम्पैनसेट करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कुछ एनाउंस नहीं किया। मैं चाहता हूं कि कम से कम 300 रुपये पर क्विंटल बोनस के रूप में किसानों को दिया जाये।

दूसरा, मौसम में नमी होने के कारण हवा में मॉइस्चर की दर बढ़ गयी है। जबिक इसके लिए मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। पहले 14 परसेंट होता था, लेकिन अब उसे 12 परसेंट कर दिया है। इस स्पेसीफिकेशन के आधार पर कोई भी गेहूं खरीद नहीं पायेगा। हमारा कहना है कि इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए।

तीसरा, केन्द्रीय टीम सब प्रदेशों में गयी है। पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए केन्द्रीय टीम का गठन ही नहीं हुआ है। जब वहां कोई केन्द्रीय टीम ही नहीं गयी, तो वहां पैसा कैसे जायेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों को बोनस दिया जाये, मॉइस्चर में रिलैक्सेशन भी दी जाये और वहां केन्द्रीय टीम भी जल्दी से जल्दी जाये।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

I take this opportunity to bring to the notice of the Government of India, particularly the Minister of Health and Family Welfare that the new State of Telangana has been awarded an AIIMS-like institution almost six months back. The State Government have sent them all the check-list, including the availability of land and other paraphernalia two months back.

I take this opportunity to urge upon the Minister of Health and Family Welfare to send the inspection team at the earliest so that the poor people of Telangana can get the benefit from the AIIMS-like institution. Thank you.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न इलाहाबाद में जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर स्थित लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है, उसके अध्यक्ष के पद पर एक अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति होने के बाद से लगातार वहां सम्पन्न हो रही परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वहां के प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं और वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वे अध्यक्ष को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। उन पर बर्बरता से लाठी चार्ज, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि उनके बीच में जा रहे हैं, उन पर भी बल प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने, सीबीआई द्वारा जांच कराने और प्रतियोगी छात्र जिनके ऊपर भविष्य में देश को चलाने का दायित्व है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन छात्रों के खिलाफ जो फर्जी आपराधिक मुकदमें दर्ज किये गये हैं, उन मुकदमों को वापस लेकर उनको जेल से रिहा किया जाए। देश को चलाने के लिए वहां एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बैठ गया है, जिसके ऊपर स्वयं 2003 में एक विवाद था और हाईकोर्ट में वह मामला विचाराधीन है। मैं मांग करता हूं कि अध्यक्ष पद से उनको बर्खास्त करके वहां एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो वास्तव में निष्पक्ष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पन्न करा सकें।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I cannot allow the name to be taken. The name cannot be brought in. You cannot take the name.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajendra Agrawal and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Keshav Prasad Maurya.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to thank you very much for calling me to speak now.

I wish to laud the efforts of the Government on the issue of declassification of the documents. This issue has surfaced recently pertaining to Netaji Subash Chandra Bose. But there has been an Inter-ministerial Committee which has been appointed. My point of view is that on the one side we have the RTI which gives right to the citizens of the country to have access to the document and, on the other hand, there are certain State rules under which documents repeatedly get destroyed. There is the Official Secrets Act of 1923. The colonial legacy of 1923 should not only be amended but also it should be replaced by a

new set of rules. The point I am trying to make is that there should be coherence and harmonious construction of these three enactments so that most of the information should go to the public for their use and bring transparency into governance. An exclusive zone should be created for the top secret matters pertaining to military etc. and categorization should be strengthened.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL):Hon. Deputy-Speaker, Sir, the National Highways Authority of India has recorded a 17 per cent increase in toll collections which will lead to hike in essential commodity price. Though the Government has closed down about 125 toll plazas on the National Highways, the frequent toll hikes affects truck and lorry operators, for whom the increase in toll expenses work out to a significant amount. So, the toll rates are needed to be reduced.

Further, the hon. Minister has announced that electronic toll (e-toll) collection system will be installed which will save Rs.88,000 crore and cut waiting time at toll plazas significantly. I welcome this move, but, at the same time, the exemption should also be given to the people, who are residing around 50 km. radius of toll plaza.

Accordingly, I would like to urge upon the Government to prepare a data base in its Electronic Toll Collection System having details of vehicles registered within the 30 km. radius of the toll plaza and permit them to cross toll plaza without tax. Thank you.

श्री भरत सिंह (बिलया): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने आज मुझे पूर्वान्चल और विशेष तौर से बिलया और गाजीपुर में जो असमय बारिश हुई है, ओला वृष्टि हुई है, उस पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पूर्वान्वल में असमय बारिश से किसानों की कमर टूट गई लेकिन पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की लहलहाती गेहूं की फसल, प्याज की फसल और सारी फसलें चाहें मसूर की खेती हो, चाहे दलहन की खेती हो, चाहे सरसों की खेती हो, पूरे बिलया और गाजीपुर जनपद में टोटल फसल यानी 80 प्रतिशत से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। भारत सरकार ने राहत देने के लिए नया मानक

बनाया है लेकिन जिले में प्रदेश सरकार के जो नुमाइन्दे हैं, वे उसका आकलन बारह प्रतिशत का ही कर रहे हैं और कहीं कहीं पर दस प्रतिशत का कर रहे हैं।

19.00 hrs.

केंद्र सरकार ने कहा है कि 33 परसेंट तक जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उसे दैवीय आपदा में काउंट किया जाएगा। बलिया और गाजीपुर में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि नुकसान का सही आकलन किया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदय, मगध का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। मगध से भारत की पहचान दुनिया में हुई है और भारत के इतिहास में कभी आर्थिक जोन मगध को कहा जाता रहा है। आज मगध की स्थिति यह है कि वहां भय, भूख, भ्रष्टाचार और गरीबी भ्रष्टाचार बन गई है। आज वहां विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है। वहां सिंचाई की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पांच फसलों में से केवल एक फसल हो पाती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो बिहार में मगध की हो गई है और वह किसानों की लूट के कारण हुई है। पदाधिकारियों और नेताओं द्वारा किसानों की लूट इसकी मुख्य वजह है। वहां सबसे बड़ी परियोजना कोयल नहर परियोजना शुरू हुई थी। वहां मोहम्मदगंज बैराज और इन्द्रपुरी बैराज होते हुए औरंगाबाद से कुटकुट और हरियाई, दोनों पर दो हजार आठ सौ करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह परियोजना शुरू नहीं हुई है। झारखंड में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है।

मैं आग्रह करूंगा कि इस कोयल नहर परियोजना को शुरू करके जहानाबाद से औरंगाबाद और औरंगाबाद से मगध तक किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पानी घर-घर देना आवश्यक है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): महोदय, मैं सदन का ध्यान विलुप्त हुई सरस्वती नदी की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादित किया गया है कि प्राचीन सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, का भूप्रवाह राजस्थान से हो कर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रवाह क्षेत्र के नलकूपों में 11 हजार से 35 हजार लीटर प्रति घंटे पानी के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र देश के अति सूखे क्षेत्रों में गिने जाते हैं और इस नदी के भूप्रवाह क्षेत्र भी यहीं हैं। सरस्वती का वर्णन हिंदू धर्म के इतिहास और पौराणिक कथाओं में किया जाता रहा है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि विलुप्त हुई सरस्वती नदी को पुनर्जीवन प्रदान करते हुए इसके भूप्रवाह के जल को प्रयोग में लाने हेतु विस्तृत योजना बनाने की कृपा करें ताकि देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र को इस प्राचीन सरस्वती नदी का अमृत रूपी जल वरदान के रूप में मिल सके।

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Thank you, hon. Deputy Speaker, for allowing me to raise the issue of establishing a KV school at Vellore. Vellore constituency has a population of about 20 lakh people. There is a corporation and three municipalities in Vellore constituency. It has a healthy literacy rate of about 80 per cent. Though there are so many top educational institutions, at the level of school education it leaves much to be desired.

Therefore, I request the hon. HRD Minister to take steps to initiate or set up a Kendriya Vidyalaya Sangathan at Vellore which will fulfil the aspirations of thousands of people.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के पांच तहसीलों में जो बहुत ज्यादा बरसात और ओलावृष्टि हुई है, उनके नुकसान के बारे में सरकार का ध्यान विशेष रूप से धनघटा तहसील, खजनी तहसील, आलापुर तहसील, मैदौल तहसील और खैइलाबाद तहसील की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन किसान लखलोहर के दशस्थ चौधरी, उत्तरावल के छोटे लाल, बरौली के रहमत अली अपनी बर्बाद फसल को देखकर सदमे से मर गए। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां का स्थानीय प्रशासन तत्काल उन्हें सुविधा मुहैया कराए, जिससे उनके परिवार को राहत मिले। मैं चाहता हूं कि जहां-जहां भी नुकसान हुआ है उसका भौतिक सत्यापन कराने का काम स्थानीय प्रशासन करे।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on an issue of urgent public importance.

I want to bring to your kind notice that there has been a heavy rainfall in Andhra Pradesh during the period of March-April, 2015. This has led to a large scale destruction of crops in Andhra Pradesh particularly, in Anantpur District. The farmers of Anantpur District have lost their livelihood because of this unprecedented heavy rainfall and have incurred tremendous losses.

The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Nara Chandra Babu Naidu along with other Ministers of Andhra Pradesh Government have personally visited and interacted with the farmers about their losses.

Therefore, I am personally requesting the Central Government to kindly help the farmers in all ways possible to mitigate their losses.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, इस सदन में शून्यकाल के दौरान 3 दिसम्बर, 2014 को एक महत्वपूर्ण विषय मैंने उठाया था। जैसा कि बम्बई के स्थान पर मुम्बई नामकरण हुआ, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट का नाम आज भी बम्बई हाई कोर्ट चल रहा है। मुझे खुशी है कि तब के शून्यकाल में भी आप ही पीठासीन थे। आपकी कृपा से जब मैंने यह मुद्दा उठाया, तो केन्द्र सरकार ने इस पर निर्णय लेने की तैयारी की है। आपके माध्यम से मेरी विनती है कि 1 मई, जो महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस है, के पहले बम्बई हाई कोर्ट का नामकरण मुम्बई हाई कोर्ट करने का निर्णय केन्द्र शासन के माध्यम से ले।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arvind Sawant and Shri Rahul Ramesh Shewale are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinayak Bhaurao Raut.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I express my sincere thanks on behalf of people of Thanjavur constituency for considering the long pending demand for a new broad gauge line between Thanjavur to Pattukottai and Pattukottai to Mannargudi. They have recently been granted by the Government. There is also a fiscal allocation for these projects in the current Railway Budget 2015-16.

A new broad gauge line from Thanjavur to Pattukottai was announced 60 years ago. Nearly 20 lakh people are traveling through railways for their day-to-day activities like education, medical, agriculture etc. I would request the Government to expedite the work of this new broad gauge railway line from Thanjavur to Pattukottai.

As far as the Pattukottai to Mannargudi railway line is concerned, tender work for construction of rail over bridges, on this line, has been delayed and there

is no development or progress at present. They need to be completed immediately on an urgent basis for the benefit of our 20 lakh people.

Therefore, I request the Government to speed up the execution of railway line Thanjavur to Pattukottai on a priority basis.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) महोदय, वर्तमान में कश्मीर में जो हालात हैं, उससे पूरा देश चिंतित है। जिस प्रकार से मुसर्रत आलम की रिहाई के बाद से वहाँ का माहौल बना है, वह चिन्ताजनक है। घाटी में माहौल को खराब करने की अलगाववादियों की साजिश है। वहाँ जिस प्रकार से पाकिस्तानी झण्डे लहराये गए और भारत के झण्डे को जलाया गया एवं भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये गये, उसके पीछे गहरी साजिश है। जैसा कि समाचारपत्रों से खबर आ रही है कि मुसर्रत आलम एवं अन्य के खिलाफ अभी तक राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया है, यह और भी चिन्ताजनक है। वहाँ पत्थरबाजी के लिए छोटे बच्चों तक को उकसाया जा रहा है।

अस्तु, मेरी सरकार से मांग है कि मुसर्रत आलम, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे घाटी के अमन-चैन को फिर से बिगाड़ने की कोई जुर्रत न कर सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, इस वर्ष किसानों को दोहरी-तिहरी मार झेलनी पड़ी। पहले यूरिया के लिए मारा-मारी होती रही, उसके बाद पकी हुई फसलों पर बेमौसम बरसात से नुकसान हुआ। अब जो बची-खुची फसल है, वह मण्डियों में आ गयी, तो अब उस पर एफ.सी.आई. की कुल्हाड़ी चली है। पूरे देश में एफ.सी.आई. ने आदेश दिया है कि जो गेहूँ के टूटे हुए दाने हैं, उसे 15 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीदा जाएगा, जिससे सीधा नुकसान कुदरत और कानून की मार झेल रहे किसानों को होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर राज्य में अलग-अलग, डेढ़ सौ-दो सौ रुपये का मुआवजा देकर किसानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जैसे दिल्ली सरकार ने 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया है, ऐसे ही मुआवजा देकर किसानों को बचाया जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की हिन्दू बंजारा जाति सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने 21/09/1991 को पत्र के माध्यम से एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की इथनोग्राफिक्स आख्या के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 21/08/1998 के माध्यम से उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। उस पर भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने 21/11/2005 को

आख्या मांगी थी, जिसमें निदेशक, अनुसूचित जाति-जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हिन्दू बंजारा जाति का इथनोग्राफिक सर्वेक्षण कराकर आख्या उत्तर प्रदेश शासन को अपने पत्र संख्या दिनांक 27/08/2008 के माध्यम से प्रेषित की, जिसमें उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने की स्पष्ट संस्तुति की गयी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1699, दिनांक 8/11/2013 को भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय में संयुक्त सचिव को प्रेषित किया, जिसमें उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने की स्पष्ट संस्तुति की गयी थी, परन्तु तत्कालीन सरकार ने स्पष्ट संस्तुति के बावजूद उक्त बंजारा समुदाय को जनजाति में शामिल नहीं किया है।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उक्त बंजारा जाति को जनजाति में शामिल करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Mishra Teny.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Deputy Speaker, Sir, my constituency, Krishnagiri is the Capital town of the district and nearby Hosur is the industrial township. Day-by-day the number of telephone subscribers is increasing but the service has been at the decreasing level.

During the last couple of years, the number of landline connections in Hosur and Krishnagiri Zone has been decreasing because of insufficient supply of cables, wires, components and machinery and they are not able to meet the requirement. Therefore, I would request the Government to install a new separate Telephone Exchange at the Krishnagiri Collectorate Office complex.

I would also request the Government to construct a mini Telephone Exchange for 1,000 connections in the rural areas for increasing the number of landline subscribers.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर जिले के चक्की ओ.पी., ब्रह्मपुर थाना अंतर्गत चक्की गांव रंगीडेरा के श्री गया यादव की एक 17 वर्षीय, अत्यंत ही गरीब एवं निस्सहाय लड़की, जो दिनांक

16/04/2015 की संध्या लगभग साढ़े सात बजे अपने घर से कुछ ही दूरी पर खेत में शौच कर रही थी। उस वक्त उक्त गांव के ही चार दिरेंदों ने उसे बुरी तरह मार-पीट कर जबर्दस्ती उसके मुहं एवं गले को दबाते हुए सामूहिक बलात्कार कर बेहोशी हालत में अधमरा छोड़ दिया, जो अत्यंत ही शर्मनाक, लोमहर्षक एवं पाश्विक प्रवृत्ति का द्योतक है। बक्सर महिला पुलिस थाना काण्ड संख्या 10/15 दिनांक 17/04/2015 बलात्कार काण्ड दर्ज किया गया है, किन्तु सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ सामूहिक हत्या के प्रयास के लिए धारा 120बी एवं धारा 307 को नहीं जोड़ा गया है और न ही बलात्कारियों की गिरफ्तारी हुई है। हद तो तब हो गयी, जब मैं कल दिनांक 19 अप्रैल को इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु उक्त पीड़िता एवं उनके परिजनों से मिलने गया। उनका खौफजनक एवं डरावना चेहरा देखकर मैं द्रवित हो गया। उसके गले, आंख एवं चेहरे पर जख्म एवं सूजन उसकी असहनीय पीड़ा को प्रत्यक्ष दर्शा रहा था। वह गले में दर्द की वजह से पानी एवं थूक भी नहीं घूंट पा रही थी। पीड़िता गुप्तांग में दर्द एवं लगातार रक्तस्राव से बेचैन थी, उसके कपड़े रक्त रंजित थे। सरकार एवं प्रशासन द्वारा उसकी समुचित चिकित्सा कराना मुनासिब नहीं समझा गया, जो मानवीय मूल्यों को शर्मसार करता है। पीड़िता और उसके परिजन विगत तीन दिनों से मुखे-प्यासे, भयाक्रांत होकर घर छोड़कर सड़क पर भिखारी की तरह दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं।

महोदय, बिहार सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। वहां जंगलराज की पुनरावृत्ति हो गयी है। हमने बक्सर के जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक एवं राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पीड़िता की सघन चिकित्सा व्यवस्था कराने एवं पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है। लेकिन उनके आश्वासनों के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार अविलम्ब इस पर कार्रवाई करे।

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Sir, Tiruvannamalai is a pilgrim centre known for fire, which is one among the five elements of nature. This is a temple town. Many ashrams and divine centres are located all around this place. To visit Annamalaiyar temple in Tiruvannamalai and for Girivalamduring the full-moon days, Tamil New Year, English New Year and festival days like Karthigai Deepam, lakhs of pilgrims from several parts of the country and abroad visit Tiruvannamalai. Since there is no adequate lodging facility for the visiting public in this area, it becomes absolutely necessary for Yatri Niwas in Tiruvannamalai for the exclusive use of tourists and pilgrims. This Yatri Niwas in Tiruvannamalai shall be set up in line with the one established by our hon. Puratchi Thalaivi Amma in Srirangam.

I would, therefore, urge upon the Union Government to set up a Yatri Niwas in Tiruvannamalai immediately.

श्री सी.आर.चोंधरी (नागोर): उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के बारे में बात कहने का अवसर दिया। मैं रसायन और उर्वरक मंत्री जी से आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि नागौर जिला न केवल कृषि प्रधान है, बल्कि खनिजों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर विश्व प्रसिद्ध मारबल मकराना भी पाया जाता है। इसी तरह जिप्सम में भी यह भारत का एक ऐसा जिला है, जहां इसके काफी भंडार हैं। नागौर में जिप्सम, लिग्नाइट, लाइमस्टोन ये सारे खनिज जो रासायनिक खाद के लिए आवश्यक हैं, यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर मेन पावर भी काफी सस्ता है, क्योंकि 35 लाख की जनसंख्या वाला जिला है। यहां पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से अर्ज है कि या तो सरकारी सेक्टर में या फिर पीपीपी मोड के तहत इस जिले में इन खनिजों को, जो रॉ-मेटिरियल के रूप में पिछले कई सालों से विदेशों में जा रहे हैं, वहीं पर उद्योग लगने से नागौर को जो कृषि प्रधान जिला है, उर्वरकों को भी फायदा होगा।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण एवम् तात्कालिक विषय पर बोलने की अनुमित प्रदान की। कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश के तमाम राज्यों में इस बार किसानों की रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ फसल का नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ उनके पास कोई विकल्प है रोजगार का, तो वह मनरेगा है। गांवों में अगर नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की बात कही गई है, तो किसानों को और

मजदूरों को कोई रोजगार उपलब्ध होगा तो वह मनरेगा के माध्यम से हो सकता है। एक तरफ केन्द्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जो फसल का नुकसान हुआ है, उसका प्लाट टू प्लाट सर्वे हो, लेकिन इसके बावजूद फसल की कटाई हो रही है और वह सर्वे पूरा नहीं हुआ है। अगर मुआवजा देने की बात हो भी रही है तो जहां एक बीघे में छः से सात क्विंटल फसल का उत्पादन हो रहा था, तो इस बार उसका उत्पादन घटकर दो या ढाई क्विंटल ही रह गया है। मेरा निवेदन है कि सिद्धार्थ नगर में मनरेगा का कार्य बंद है, किसानों को मिट्टी का कार्य नहीं दिया जा रहा है, आप सरकार को निर्देश दें कि जो डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जिससे रोजगार सृजित होता है, तो उस मनरेगा के कार्य को शुरू किया जाए, जो कई सालों से हमारे जिले में बंद है।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 21st April, 2015 at 11 a.m.

19.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 21, 2015/Vaisakha 1, 1937 (Saka).